



सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व सेक्टर
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 5

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-x
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-7
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	8
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	9
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	9-10
रिफंड मामले	1.5	10-11
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	11
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	11-14
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	14-15
लेखापरीक्षा आयोजना	1.9	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	15
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	15
अध्याय-2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंधन	2.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	17-19
बिक्री के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	2.3	19-20
अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.4	20-21
पेनल्टी का अनुद्ग्रहण	2.5	22
'एफ' फॉर्मों और 'सी' फॉर्मों के विरुद्ध छूट की अनुमति के कारण अवनिर्धारण	2.6	23-25
इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ	2.7	25-26

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.8	26-27
कम सकल टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण	2.9	28
वस्तु एवं सेवा कर रिफंड पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.10	28-43
ट्रांज़िशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.11	43-57
अध्याय-3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंधन	3.1	59
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	59-60
लाइसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.3	60-62
राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	3.4	62-90
अध्याय-4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंधन	4.1	91
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	91-92
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.3	92-93
नगर निगमों/ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों द्वारा/के लिए उद्गृहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण/संग्रहण	4.4	94-95
अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.5	96-97
अचल संपत्ति में गलत दरें लगाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.6	97-98
प्राइम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.7	98-99
गैर-वास्तविक डिक्रियो को वास्तविक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.8	99-101

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लंबित रही/31 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.7.5	103
II	31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.5	104-105
III	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (स्टाम्प शुल्क) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	106
IV	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (स्टाम्प शुल्क) के स्वीकृत मामलों की वसूली	1.8.2	107
V	श्रेणी-वार लेखापरीक्षा यूनीवर्स और नमूना चयन की सूची	2.10.3	108
VI	रिफंड मामलों की सूची जिनमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिफंड स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया था	2.10.5.1(ग)	109
VII	रिफंड के मामलों की सूची जिनमें रिफंड की प्रदानगी के लिए अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर विचार किया गया था	2.10.5.2(ग)(i)	110
VIII	रिफंड के मामलों की सूची जिनमें रिफंड की प्रदानगी के लिए अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर विचार किया गया था	2.10.5.2 (ग)(ii)	110
IX	उन मामलों की सूची जिनमें समय बाधित अवधि के लिए रिफंड स्वीकृत किया गया था	2.10.5.2(ड)	111
X	रिफंड मामलों की सूची जहां फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य के बजाय चालान मूल्य पर विचार करने के कारण अधिक रिफंड प्रदान किया गया था	2.10.5.3	111
XI	उन मामलों की सूची जिनमें केंद्रीय कर प्राधिकरण से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान की जानकारी प्राप्त नहीं हुई	2.10.5.4	112
XII	2019-21 की अवधि के लिए लाइसेंस फीस की मासिक किस्तों और उन पर ब्याज की कम वसूली के विवरण	3.4.6.1(i)	113
XIII	वर्ष 2019-21 के लिए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होने के विवरण	3.4.6.1(i)	113

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
XIV	एल-1बी.एफ. लाइसेंसधारियों के संबंध में लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के विवरण	3.4.6.1(i)	114
XV	(क) वर्ष 2019-21 के लिए त्रैमासिक कोटा कम उठाने और पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/अवसूली को दर्शाने वाले विवरण (आई.एम.एफ.एल. और सी.एल.) (ख) वर्ष 2019-21 के लिए त्रैमासिक कोटा कम उठाने और पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/अवसूली को दर्शाने वाले विवरण (आई.एफ.एल.)	3.4.6.1(v)	115
XVI	वर्ष 2019-21 के लिए लाइसेंस के उल्लंघन की स्थिति में लगाए गए पेनल्टी की अवसूली दर्शाने वाले विवरण	3.4.7.1(iii)	116
XVII	2019-21 के दौरान अवैध शराब की जब्ती के विवरण	3.4.7.2(i)	116
XVIII	वर्ष 2019-21 के लिए एस.पी. सोनीपत और पानीपत के संबंध में नष्ट करने में देरी के विवरण	3.4.7.4	117
XIX	एस.पी. सोनीपत तथा पानीपत द्वारा वर्ष 2019-21 में नष्ट नहीं की गई जब्त शराब के विवरण	3.4.7.4	118
XX	एस.पी. सोनीपत तथा पानीपत द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कलेक्टर के पास नहीं भेजी गई जब्त की गई शराब के विवरण	3.4.7.5	119
XXI	वर्ष 2019-20 के लिए एस.पी. सोनीपत तथा पानीपत में जब्त की गई शराब (आर-19 में दर्ज नहीं) का लेखा-जोखा न रखने के विवरण	3.4.7.6	119
शब्दावली		121-122	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2020-21 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 613.67 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, वस्तु एवं सेवा कर के रिफंडों, ट्रांजिशनल क्रेडिट, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क के आंतरिक नियंत्रण तथा स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं सहित 17 दृष्टांतदर्शक लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 67,858.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 67,561.01 करोड़ थी। इसमें से, 72.34 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 41,913.80 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,961.49 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 27.66 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 6,437.59 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 12,248.13 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 297.12 करोड़ (0.44 प्रतिशत) की कमी थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 83 यूनियों के अभिलेखों की वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 1,359 मामलों में कुल ₹ 734.50 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 564 मामलों में आवेष्टित ₹ 91.86 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं। विभागों ने वर्ष 2020-21 के दौरान 54 मामलों में ₹ 2.62 करोड़ (2.85 प्रतिशत) वसूल किए। इनमें से, सात मामलों में वसूल किए गए ₹ 1.65 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रास सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 4.56 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 26.53 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच डीलरों को फर्जी खरीद/अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 24.66 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 17 डीलरों को ₹ 70.05 करोड़ मूल्य के शाखा हस्तांतरण/कंसाइनमेंट की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 11.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-मुक्त/अंतर्राज्यीय बिक्री के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.68 करोड़ का अधिक लाभ हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच डीलरों को कर की गलत दर अनुमत की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर का ₹ 8.59 करोड़ तक कम निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.58 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.9)

विभाग ने बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी बीजक प्रेषण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना अनियमित रिफंड की संस्वीकृति दी थी तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित न करके अधिक रिफंड की संस्वीकृति दी थी। विभाग निर्यात दस्तावेजों में दिए गए फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य की सीमा तक शून्य रेटेड आपूर्ति के मूल्य को प्रतिबंधित करने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ के रिफंड की अनियमित प्रदानगी हुई।

(अनुच्छेद 2.10)

विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित नहीं किया था, जो विभाग के दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है, जिसके कारण वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का विचलन और गैर-अनुपालन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 382.94 करोड़ के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक आगे ले जाया गया।

(अनुच्छेद 2.11)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) ने लाइसेंस फीस की मासिक किस्त समय पर जमा न करने पर ठेकों को सील करने के लिए न तो कोई कार्रवाई शुरू की और न ही ब्याज उद्गृहीत किया जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 6.56 करोड़ की लाइसेंस फीस और ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 3.3)

आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रियाएं सरकारी विभागों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बर्बादी और दुरुपयोग से बचाती हैं। आबकारी अधिनियम और डिस्टलरी नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और अधिक प्रभावी निगरानी की आवश्यकता ₹ 116.76 करोड़ की अवसूली/कम वसूली से प्रमाणित होती है।

(अनुच्छेद 3.4)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

खून के रिशतों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के 23 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 23.64 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेनदेन मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से प्रभारण/उद्ग्रहण किए बिना नगर निगमों/ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में 197 बिक्री विलेख पंजीकृत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.71 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर 83 विलेख पंजीकृत किए गए थे जिन पर भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) के अनुसार उद्ग्राह्य ₹ 7.29 करोड़ के बजाय ₹ 2.36 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी, परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के अंदर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 18 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का निर्धारण आवासीय भूमि की बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

तेरह समझौता डिक्रियां जो वास्तविक नहीं थी, बिना किसी स्टाम्प शुल्क के और ₹ 3.73 करोड़ के कुल प्रतिफल पर ₹ 650 की मामूली पंजीकरण फीस प्रभारित करके पंजीकृत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.84 लाख के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की अनियमित छूट हुई।

(अनुच्छेद 4.8)

अध्याय-1
सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 ¹
1.	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	कर राजस्व	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95	41,913.80
	कर-भिन्न राजस्व	6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74	6,961.49
	योग	40,221.78	50,212.23	50,556.98	50,224.69	48,875.29
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	6,597.47	7,297.52	8,254.60	7,111.53	6,437.59 ²
	सहायता अनुदान	5,677.57	5,185.12	7,073.54	10,521.91	12,248.13 ³
	योग	12,275.04	12,482.64	15,328.14	17,633.44	18,685.72
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	52,496.82	62,694.87	65,885.12	67,858.13	67,561.01
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	76.62	80.09	76.74	74.01	72.34

(स्रोत: वित्त लेखे)

¹ राज्य सरकार के वित्त लेखे।


² इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,907.46 करोड़ की राशि शामिल हैं।

³ इसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,065.81 करोड़ की राशि शामिल है।

2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1 (राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति)

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 48,875.29 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 72.34 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों का शेष 27.66 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2016-17 (76.62 प्रतिशत) से 2017-18 (80.09 प्रतिशत) तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई। तत्पश्चात, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए घटकर 76.74 से 72.34 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2017-18 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2018-19 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2019-20 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2020-21 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2019-20 के वास्तविकों पर 2020-21 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	23,488.41 (69.03)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.31)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	3.12
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर		10,833.43 (26.36)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	(-) 3.38
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	8.57
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	(-) 14.24
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	594.59 (1.75)	2,317.47 (5.64)	20.70 (0.05)	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	(-) 76.40
5.	वाहनों पर कर	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	(-) 14.43
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	81.70
7.	भू-राजस्व	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	(-) 19.73
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	4.92 (0.01)	26.48
	योग	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95	41,913.80	(-) 2.13
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	10.01	20.79	3.61	0.57	(-) 2.13	
	संपूर्ण औसत वृद्धि एवं पांच वर्ष की वृद्धि दर						40,489.03 (6.57)

(स्रोत: वित्त लेखे)

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: एकत्रित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे)

5.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व कर में ₹ 7,888.11 करोड़ (23.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, 2020-21 में 2.13 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राज्य उत्पाद शुल्क 2019-20 में ₹ 6,322.70 करोड़ के विरुद्ध 2020-21 में विदेशी शराब और जुर्माने पर अधिक प्राप्ति के कारण बढ़कर ₹ 6,864.42 करोड़ हो गया।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस 2019-20 में ₹ 6,013.30 करोड़ के विरुद्ध 2020-21 में गैर-न्यायिक स्टाम्पों की कम बिक्री से कम प्राप्ति के कारण घटकर ₹ 5,157.02 करोड़ हो गई।
- **वाहनों पर कर:** वाहनों पर कर 2019-20 में ₹ 2,915.76 करोड़ के विरुद्ध 2020-21 में घटकर ₹ 2,495.08 करोड़ हो गया, जो कि कोविड-19 के कारण कम प्राप्तियों के कारण था।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली पर कर एवं शुल्क 2019-20 में ₹ 262.01 करोड़

के विरुद्ध 2020-21 में बिजली की खपत पर अधिक प्राप्ति के कारण बढ़कर ₹ 476.07 करोड़ हो गए।

- **भू-राजस्व:** भू-राजस्व निम्नलिखित के विरुद्ध कम वसूलियों के कारण 2019-20 में ₹ 20.68 करोड़ के विरुद्ध 2020-21 में घटकर ₹ 16.60 करोड़ हो गया: किसान पास बुक, अधिक भुगतान, पटवारियों के अभिलेखों की नकल और निरीक्षण फीस, राजस्व विभाग के राजस्व तलबाना एवं जुर्मानों और जब्ती।

1.1.3 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 के वास्तविकों पर 2020-21 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	(-) 20.92
2.	सड़क परिवहन	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.00)	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	(-) 47.48
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	30.03
4.	शहरी विकास	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	5.30
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	45.38
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	22.09
7.	पुलिस	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	(-) 70.25
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	(-) 39.18
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	(-) 13.44
10.	विविध सामान्य सेवाएं ⁴	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	109.16
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	14.72


⁴ अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 के वास्तविकों पर 2020-21 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	762.85 (9.56)	577.28 (7.80)	566.38 ⁵ (8.14)	(-) 1.88
योग		6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74	6,961.49	(-) 5.92

(स्रोत: वित्त लेखे)

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण



(स्रोत: वित्त लेखे)

⁵ लाभांश एवं लाभ- ₹ 163.14 करोड़, लोक सेवा आयोग- ₹ 16.29 करोड़, लोक निर्माण- ₹ 27.47 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली- ₹ 38.10 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- ₹ 69.68 करोड़, श्रम एवं रोजगार- ₹ 41.84 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- ₹ 78.66 करोड़, पशु पालन- ₹ 4.03 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- ₹ 8.47 करोड़, सड़क एवं पुल- ₹ 27.87 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 0.02 करोड़, जेल- ₹ 1.16 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान- ₹ 1.26 करोड़, स्टेशनर्स एंड प्रिंटिंग- ₹ 2.01 करोड़, परिवार कल्याण- ₹ 0.05 करोड़, आवास- ₹ 6.28 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन- ₹ 0.17 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं- ₹ 4.97 करोड़, फसल पालन- ₹ 25.78 करोड़, डेयरी विकास- ₹ 0.04 करोड़, मछली पालन- ₹ 2.86 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण- ₹ 0.16 करोड़, सहकारिता- ₹ 9.67 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम- ₹ 1.41 करोड़, भूमि सुधार- ₹ 0.01 करोड़, नई अक्षय ऊर्जा- ₹ 0.06 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग- ₹ 1.34 करोड़, उद्योग- ₹ 0.08 करोड़, नागर विमानन- ₹ 8.79 करोड़, पर्यटन- ₹ 1.75 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- ₹ 22.95 करोड़, लघु सिंचाई- ₹ 0.01 करोड़।

वर्ष 2019-20 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में 5.92 प्रतिशत की कमी थी। ब्याज प्राप्तियां (22.43 प्रतिशत), शहरी विकास (28.06 प्रतिशत) तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (14.67 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का 65.16 प्रतिशत अंशदान करते हैं। तथापि, ब्याज प्राप्तियों और सड़क परिवहन की प्राप्तियों में कमी के कारण 2019-20 से 2020-21 तक कर-भिन्न राजस्व में कमी आई है।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **ब्याज प्राप्तियां:** ब्याज प्राप्तियां 2019-20 में ₹ 1,974.86 करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान घटकर ₹ 1,561.74 करोड़ रह गई जो सार्वजनिक क्षेत्र और विभागीय उपक्रमों से कम प्राप्ति के कारण थी।
- **सड़क परिवहन:** कोविड-19 के कारण बसों की संख्या में कमी और बसों के संचालन में कमी के कारण हरियाणा रोडवेज की कम प्राप्ति के कारण 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (47.48 प्रतिशत) आई थी।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (30.03 प्रतिशत) माध्यमिक शिक्षा से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (45.38 प्रतिशत) खनिज रियायत फीस, किरायों और रॉयल्टियों से अधिक प्राप्तियों और बकाया की प्रभावी वसूली तथा अवैध खनन की नियमित जांच और अवैध खनन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों से पेनल्टी की वसूली के कारण थी।
- **प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (22.09 प्रतिशत) पिछले वर्ष के बकाये की वसूली तथा विभाग के संसाधन जुटाने के प्रयासों के कारण थी।
- **पुलिस:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (70.25 प्रतिशत) सभी उप शीर्षों⁶ के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (13.44 प्रतिशत) मुख्य रूप से विभाग के उत्पादन विंग की गतिविधि में कमी के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए।

⁶ अन्य सरकारों को आपूर्ति की गई पुलिस, अन्य पक्षों को आपूर्ति की गई पुलिस, फीस, जुर्माने और जब्ती, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां, राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां, भुगतान की वसूली और अन्य प्राप्तियां।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2021 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 35,166.11 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 5,848.55 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया राशि	31 मार्च 2021 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	32,716.78	4,907.54	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,924.36 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 1,227.36 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 96.90 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 130.44 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 3,488.18 करोड़ परिशोधन/ समीक्षा/ एप्लीकेशन के कारण रोके गए थे। ₹ 2,928.87 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 3,094.25 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 1,655.15 करोड़ की वसूली बकाया थी। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 1,802.87 करोड़ था तथा अंतरजिले बकाया ₹ 84.99 करोड़ थे। ₹ 0.16 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 16,283.25 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों में थी।
2	राज्य उत्पाद शुल्क	436.39	190.42	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 9.49 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 1.43 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 0.89 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 111.08 करोड़ अंतरराज्यीय तथा अंतर्जिले बकायों के कारण थे। ₹ 22.27 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 291.23 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	364.60	184.75	₹ 363.60 करोड़ की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लंबित थी तथा ₹ 1.00 करोड़ मैसर्स हरियाणा कॉनकास्ट, हिसार के विरुद्ध लंबित थे।
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.44	197.17	₹ 152.86 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.11 करोड़ न्यायालय में मुकदमों के कारण लंबित थे तथा ₹ 53.47 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थे।
5	पुलिस	128.86	40.91	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 121.20 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.77	11.77	₹ 3.18 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 8.59 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,301.27	315.99	₹ 564.75 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांग के कारण बकाया थी, ₹ 0.55 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.39 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 12.88 करोड़ न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थे। अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 486.80 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 14.03 करोड़ और अंतर जिला बकाया ₹ 221.85 करोड़ था। ₹ 0.02 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी।
	योग	35,166.11	5,848.55	

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89
	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता 87 प्रतिशत थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करता है। आगे, विभाग नए करदाता कर के दायरे में लाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 को लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2021 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	114	115	115	0.84	0
2	राज्य उत्पाद शुल्क	290	1,662	1,952	1,820	20.87	132
योग		291	1,776	2,067	1,935	21.71	132

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में 2020-21 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में कमी हुई है और बिक्रियों, व्यापार/वैट इत्यादि पर कर के संबंध में कोई लंबित मामला नहीं था।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2020-21 के आरम्भ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित मामलों की संख्या तालिका 1.5 में वर्णित हैं:-

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	521	187.08	51	1.98
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,074	192.99	99	10.63
3	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,115	260.72	111	10.38
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	480	119.35	39	2.23

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में बकाया मामलों की संख्या में कमी आई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मैनुअल रूप से संसाधित रिफंड

क्र. सं.	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर (₹ करोड़ में)			
		मामले	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	226	34.5	42.94	171.25
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	0	0	0	0
3.	वर्ष के दौरान मैनुअल रूप से रिफंड की अनुमति/अस्वीकृत	226	34.5	42.94	171.25
4.	वर्ष के अंत में बकाया राशि	0	0	0	0

तालिका 1.5.1: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर (₹ करोड़ में)				
		मामले	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	उपकर
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	1,404	71.95	68.11	263.60	0.91
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	12,038	795.87	721.99	2,162.47	7.72
3.	वर्ष के दौरान मैनुअल रूप से संस्वीकृत रिफंड	7,963	534.29	495.20	1,208.02	3.02
4.	वर्ष के दौरान मैनुअल रूप से अस्वीकृत रिफंड	5,627	227.94	194.69	857.52	4.71
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	148	105.59	100.21	360.53	0.90

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 164 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 163 यूनिटों की लेखापरीक्षा की जैसाकि नीचे तालिका 1.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

प्रप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	22	21 ⁷
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	शून्य	शून्य
योग	164	163

अध्याय 2 से 4 में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) तथा परिवहन आयुक्त हरियाणा द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग, (वैट/बिक्री कर) तथा परिवहन विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच, महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के संबंधित प्रमुखों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने

⁷ कोविड-19 के कारण, डीईटीसी (आबकारी) गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

दिसंबर 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि दिसंबर 2021 के अंत में 2,973 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 11,522.78 करोड़ से आवेष्टित 9,732 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.7 में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2019	जून 2020	दिसंबर 2021
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,588	2,765	2,973
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	7,701	8,695	9,732
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	8,455.42	10,688.15	11,522.78

1.7.1 31 दिसंबर 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	420	4,231	8,861.49
		राज्य उत्पाद शुल्क	226	414	266.73
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	22	29	12.47
2.	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,272	3,336	454.35
		भू-राजस्व	169	248	92.11
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	493	808	127.46
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	12	20	0.85
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	105	181	1,667.31
योग			2,973	9,732	11,522.78

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि यह इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। परंतु 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 36.96 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 98 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका 1.7.3 में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
डी.ई.टी.सी. जगाधरी	2020-21	58	14.61
डी.ई.टी.सी. कैथल	2020-21	40	22.35
योग		98	36.96

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)

इसके फलस्वरूप, उपर्युक्त तालिका में निहित ₹ 36.96 करोड़ की राशि के 98 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु, छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों में दर्शाया जाता है।

कुल मिलाकर, नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के मध्य 19 प्रारूप अनुच्छेदों (तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 20 अनुच्छेद शामिल हैं, और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन,

जिसमें 15 अनुच्छेद शामिल हैं, को क्रमशः 16 मार्च 2021 और 17 दिसंबर 2021 को राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया था। 31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों के 58 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 45, परिवहन: 02, राजस्व: 8 तथा खदान एवं भू-विज्ञान: 03) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित है, प्राप्त नहीं हुई थी (31 दिसंबर 2021)।

वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 74 अनुच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (31 दिसंबर 2021)। **परिशिष्ट-II** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति के 22वें से 78वें प्रतिवेदनों में निहित 1979-80 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 1,033 सिफारिशों में संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी, वह अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राजस्व शीर्ष स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2021 को उनकी स्थिति **परिशिष्ट-III** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2011-12 में 907 से 2020-21 में 1,302 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2011-12 में 2,001 से 2020-21 में 3,399 तक बढ़ गई थी। सरकार को सुधारात्मक कार्रवाइयों को बढ़ाने के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ताकि लंबित अनुच्छेदों पर चर्चा की जा सके।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति **परिशिष्ट-IV** में दी गई है।

जबकि विभाग ने गत 10 वर्षों के दौरान ₹ 532.29 करोड़ के मूल्य की आपत्तियां स्वीकार की थीं, स्वीकृत राशि में से वसूल की गई राशि ₹ 3.73 करोड़ थी। गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत

मामलों में भी वसूली की प्रगति मात्र (0.70 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 555 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2020-21 के दौरान 123 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 121 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था। इकाइयों के बंद होने के कारण दो इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 294 यूनिटों में से 83 यूनिटों (राजस्व 80 + व्यय 03) के अभिलेखों की वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 1,359 मामलों में कुल ₹ 734.50 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 564 प्रकरणों में शामिल ₹ 91.86 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2020-21 के दौरान 54 मामलों में ₹ 2.62 करोड़ (2.85 प्रतिशत) वसूल किए, जिनमें से सात मामलों में वसूल किए गए ₹ 1.65 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 613.67 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 17 प्रारूप अनुच्छेद (तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 613.67 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 8.46 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई है।

अध्याय-2
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2020-21 में, वस्तु एवं सेवा कर/वैट/बिक्री कर निर्धारण से संबंधित 45 इकाइयों में से 11 (राजस्व: 08, व्यय: 03) इकाइयों (कुल 57,659 निर्धारण मामलों में से 11,760 कर-निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी) तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच में 436 मामलों में ₹ 524.18 करोड़ (वर्ष 2019-20 में ₹ 27,270.76 करोड़ की प्राप्ति का 1.92 प्रतिशत) के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।


तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वस्तु एवं सेवा कर रिफंड पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	01	3.98
2.	ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	01	382.94
3.	कर का अवनिर्धारण	158	42.78
4.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	34	15.31
5.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	22	10.10
6.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	137	41.05
7.	अन्य अनियमितताएं	67	22.75
	कुल (I)	420	518.91
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	16	5.27
	कुल (II)	16	5.27
	कुल योग (I+II)	436	524.18

(स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा)

चार्ट 2.1
लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा)

चार्ट 2.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा)

विभाग ने 33 मामलों में आवेष्टित ₹ 7.41 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने 23 मामलों में आवेष्टित ₹ 33.98 लाख वसूल किए जिनमें से एक मामले में वसूल किए गए ₹ 0.03 लाख इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थी।

₹ 476.70 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। एक अनुच्छेद के दो मामलों में ₹ 1.34 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

2.3 बिक्री के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रॉस सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 4.56 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

पांच कर-निर्धारण प्राधिकारियों से आवेष्टित 33,157 मामलों में से 8,908 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के मध्य) से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), फरीदाबाद (पश्चिम) और गुरुग्राम (उत्तर) के कार्यालयों में पांच मामलों¹ में पांच डीलरों ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए अपनी तिमाही/वार्षिक रिटर्न में सही बिक्री नहीं दिखाई थी। जबकि तीन मामले गलत बिक्री आंकड़ों के थे, इन पांच मामलों में से दो में आरंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक बेमेल थे, जिससे बिक्री का छिपाव हुआ। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2019 और मार्च 2019 के मध्य) बिक्री के विवरणों का क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में तथा आरंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में सत्यापन नहीं किया। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 228.49 करोड़ की कुल बिक्री में से ₹ 29.96 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.56 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पश्चिम) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामलों को स्वतः कार्रवाई हेतु उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त

¹ फरीदाबाद (पश्चिम): 3 मामले, गुरुग्राम (उत्तर): 2 मामले।

(निरीक्षण) के पास भेजा गया था तथा अन्य मामले में पुनर्निर्धारण हेतु सूचना डीलर को जारी की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामले जांच के अधीन थे/डीलरों के विरुद्ध पुनर्निर्धारण की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग अनुमति देने से पहले डीलर के दावे को क्रॉस-सत्यापित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करना सुनिश्चित करे।

2.4 अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता डीलरों से खरीद के सत्यापन के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 26.53 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाह्य थी।

सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार, इनपुट टैक्स का अर्थ वैट डीलर को बेचे गए माल के संबंध में राज्य को वास्तव में भुगतान की गई कर की राशि है, जिसे ऐसे डीलर को उसके द्वारा कर के वास्तविक भुगतान के रूप में क्रेडिट लेने की अनुमति है, जिसकी गणना धारा 8 के प्रावधान के अनुसार की जाती है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अंतर्गत, वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी सामान के संबंध में इनपुट टैक्स राज्य को ऐसे माल की बिक्री पर भुगतान किए गए कर की राशि होगी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने मार्च 2006 एवं जुलाई 2013 में निर्देश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखों या दस्तावेजों आदि के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (पेनल्टी के रूप में बचाए गए कर का तीन गुना) का प्रावधान है।

सोलह कर-निर्धारण प्राधिकारियों से आवेष्ठित 1,22,864 मामलों में से 33,901 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018 एवं अक्टूबर 2020 के मध्य) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु आठ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर)² से संबंधित 20 डीलरों के 43 मामलों के निर्धारणों को अंतिम स्वरूप देते समय (मई 2017 और दिसंबर 2019 के मध्य) कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता डीलरों से खरीद और कर के वास्तविक भुगतान के सत्यापन के बिना ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दी जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

² अंबाला, बहादुरगढ़, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (पूर्व), करनाल और पानीपत।

तालिका 2.4: दावा किए गए अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण

क्र. सं.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त	डीलरों/मामलों की संख्या	फर्जी खरीद	कर की दर (प्रतिशत में)	दावा किया गया फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट	धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी	कुल राशि
1.	अंबाला	4/10	4,80,78,287	5 से 13.125	38,95,705	1,16,87,115	1,55,82,820
2.	गुरुग्राम (पूर्व)	2/2	45,92,840	5 से 13.125	4,29,167	12,87,501	17,16,668
3.	फरीदाबाद (पूर्व)	3/6	3,94,51,702	4.2 से 13.13	44,90,319	1,34,70,957	1,79,61,276
4.	फरीदाबाद (उत्तर)	3/7	6,32,41,140	5.25 से 13.13	49,78,233	1,49,34,694	1,99,12,927
5.	करनाल	4/6	1,09,62,39,520	5 से 5.25	5,94,61,927	17,20,52,061	23,15,13,988
6.	फरीदाबाद (दक्षिण)	2/8	9,28,35,810	5 से 13.125	1,06,99,179	3,20,97,537	4,27,96,716
7.	बहादुरगढ़	1/1	10,24,31,584	4.2 से 13.125	48,69,282	1,46,07,846	1,94,77,128
8.	पानीपत	1/3	3,31,05,138	5.25	17,38,020	52,14,060	69,52,080
कुल		20/43	1,47,99,76,021		9,05,61,832	26,53,51,771	35,59,13,603

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित डीलरों की बिक्री/खरीद सूचियों के क्रॉस-सत्यापन पर, यह पाया गया कि या तो विक्रेता डीलरों ने इन क्रेता डीलरों को कोई बिक्री नहीं दिखाई थी अथवा विक्रेता डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुचित प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 26.53 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³ ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि 25 मामलों में पुनर्निर्धारण कार्यवाही प्रारंभ की गई थी/स्वतः कार्रवाई हेतु उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि चार मामलों में डीलरों ने संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, बहादुरगढ़ ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि एक मामले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत ₹ 1.46 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत की गई थी और डीलर को ₹ 1.97 करोड़ हेतु टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (दक्षिण) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि सात मामलों में डीलर को ब्याज सहित ₹ 1.88 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पूर्व) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो मामलों में ₹ 0.47 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (दक्षिण) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि एक मामले में डीलर को ₹ 39.12 लाख का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत ने सूचित किया कि तीन मामलों में अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग उचित सत्यापन के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति देने के लिए ठोस प्रणाली सुनिश्चित करे।

³ अंबाला, करनाल, गुरुग्राम (पूर्व), फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर)।

2.5 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच डीलरों को फर्जी खरीद/अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया लेकिन ₹ 24.66 करोड़ की निर्धारित पेनल्टी नहीं लगाई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य के बाहर निर्यात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

38,455 प्रकरणों में से 9,953 प्रकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019 एवं जनवरी 2021 के मध्य) में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर), गुरुग्राम (उत्तर), करनाल और सोनीपत के कार्यालयों के पांच डीलरों के आठ मामलों⁴ में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए अपनी खरीद/बिक्री राशि को ₹ 78.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था और फर्जी खरीद/अंतर्राज्यीय बिक्री के कारण अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2019 और फरवरी 2020 के मध्य) इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया/कर का उद्ग्रहण किया लेकिन हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.66 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) तथा सोनीपत ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि पांच मामलों में उद्ग्रहीत/लगाई गई पेनल्टी के संबंध में ₹ 3.05 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और डीलरों को नोटिस दिए गए थे। गुरुग्राम (उत्तर) और करनाल के शेष तीन मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, मामले की जांच की जा रही थी और मामले को स्वतः कार्रवाई करने के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (निरीक्षण) के पास भेजा गया था।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग द्वारा पता लगाए गए छिपाव के मामलों में पेनल्टी का उद्ग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विभाग, प्रणाली और प्रक्रियाओं को स्थापित करना सुनिश्चित करे।

⁴ गुरुग्राम (उत्तर): 3, करनाल: 1 और सोनीपत: 4.

2.6 'एफ' फॉर्मों और 'सी' फॉर्मों के विरुद्ध छूट की अनुमति के कारण अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 17 डीलरों को ₹ 70.05 करोड़ मूल्य के शाखा अंतरणों/खेप की गलत छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 11.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 (ए) (1) में प्रावधान है कि जहां कोई डीलर इस आधार पर कि ऐसे माल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे में उसके व्यापार या उसके एजेंट या प्रमुख के किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के स्थानांतरण के कारण घटित हुआ था, दावा करता है कि इस अधिनियम के अधीन वह कर के भुगतान करने का दायी नहीं है, इस प्रयोजन के लिए वह व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रमुख द्वारा हस्ताक्षित फार्म 'एफ' में एक घोषणा कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करे। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, कर के भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज जमा करने पर तीन गुना पेनल्टी उद्ग्रह्य है। हरियाणा सरकार ने 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 को डीलरों के कर रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले ₹ एक लाख से अधिक के अंतःराज्यीय एवं अंतर्राज्यीय लेन-देन के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे। आगे, हरियाणा सरकार ने जनवरी 2018 में संबंधित राज्य कर अधिकारियों से प्रासंगिक 'फॉर्म सी' और 'फॉर्म एफ' के सत्यापन के लिए मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की थी और यह भी निर्देश दिया था कि जहां सत्यापन आदेश की तारीख से छः माह के भीतर या सत्यापन पत्र के प्रेषण की तारीख से जो भी बाद में हो, सत्यापन प्राप्त नहीं होता है, निर्धारण प्राधिकारियों को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियमों के अनुसार कर और पेनल्टी लगानी चाहिए।

34,472 मामलों में से 9,614 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (जून और दिसंबर 2018 के मध्य) से पता चला कि पांच उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर)⁵ के कार्यालयों में 12 डीलरों ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 हेतु राजस्थान तथा दिल्ली में स्थित पांच फर्मों को ₹ 62.88 करोड़ की शाखा अंतरण/प्रेषण बिक्री पर छूट का दावा प्रस्तुत किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने राजस्थान तथा दिल्ली में स्थित अपनी संबंधित शाखाओं/एजेंट से प्राप्त 63 'एफ' फॉर्म⁶ दाखिल किए। संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों ने जून 2015 और मार्च 2018 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और दायर की गई घोषणाओं के आधार पर छूट की अनुमति दी किंतु उपर्युक्त निर्देशों में दिए गए सत्यापन को नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने इन 63 'एफ' प्रपत्रों को सत्यापन के लिए राजस्थान तथा दिल्ली के संबंधित प्राधिकारियों को संदर्भित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने सूचित किया कि पंजीकृत पते पर डीलरों के कार्य न करने के कारण 11 मामलों के 53 फॉर्म

⁵ अंबाला: 5, फरीदाबाद (उत्तर): 1, कैथल: 1, कुरुक्षेत्र: 4 और शाहबाद: 1.

⁶ अंबाला: 24, फरीदाबाद (उत्तर): 10, कैथल: 4, कुरुक्षेत्र: 18 और शाहबाद: 7.

रद्द घोषित किए गए थे। राजस्थान के संबंधित प्राधिकारियों ने सूचित किया कि एक मामले से संबंधित 10 फॉर्म जहां फर्म का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, फर्जी घोषित किए गए थे। इस प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य 'एफ' प्रपत्रों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.43 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि छः मामले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे और 12 मामलों में ₹ 36.01 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (उत्तर) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत 10 मामले पुनरीक्षण के अधीन थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, शाहबाद ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि सात मामलों में सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पत्र जारी किए गए थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र ने फरवरी 2022 में सूचित किया कि 28 मामलों में डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र पहले ही रद्द कर दिए गए थे।

(ख) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 (4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या कर इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन/दावा किए गए लाभ का तीन गुणा) का प्रावधान है। आगे, हरियाणा सरकार ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में ₹ एक लाख से अधिक अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय लेन-देनों के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे। मामलों में मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (जनवरी 2018) के अनुसार, जहां सत्यापन रिपोर्ट निर्धारण आदेश की तारीख से या सत्यापन पत्र के प्रेषण से छः माह के अंदर, जो भी बाद में हो, प्राप्त नहीं होती है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियम में प्रदान किए गए अनुसार कर तथा पेनल्टी उद्ग्रहण करनी चाहिए।

27,715 मामलों में से 6,326 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी एवं सितंबर 2020 के मध्य) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए चार उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) के कार्यालयों में 11 मामलों में पांच डीलरों⁷ ने अपनी अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 7.17 करोड़ की राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में डीलरों ने 11 'सी' फॉर्म⁸ प्रस्तुत किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2018 तथा दिसंबर 2019 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्देशों के

⁷ चरखी दादरी: 2, गुरुग्राम (पूर्व): 3, जगाधरी: 3 और रोहतक: 3.

⁸ चरखी दादरी: 2, गुरुग्राम (पूर्व): 3, जगाधरी: 3 और रोहतक: 3.

अनुसार सत्यापन के बिना दाखिल किए गए घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने इन प्रपत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य कर अधिकारी द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन पर (दिसंबर 2018 और फरवरी 2020 के मध्य) यह पाया गया था कि फॉर्म पहले ही रद्द किए गए थे, या विक्रेता डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, फर्मों को फर्जी घोषित किया गया था या पंजीकरण पहले ही संदिग्ध गतिविधियों के कारण रद्द कर दिया गया था, फर्म कार्य नहीं कर रही थीं, गैर-मौजूद फर्मों द्वारा फॉर्म डाउनलोड किए गए थे, डीलर वास्तविक नहीं थे और उनके प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए गए थे। इस प्रकार, बिना उचित सत्यापन के कर की रियायती दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.39 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि चार मामलों में, डीलर को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी किया गया था, पांच मामलों में सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र भेजा गया था तथा दो मामले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग उचित सत्यापन के बाद अंतःराज्यीय और अंतर्राज्यीय बिक्री/परिचालन के दौरान रियायत देने के अपने निर्देशों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करे।

2.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने, निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, कर-मुक्त/अंतर्राज्यीय बिक्री के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.68 करोड़ का अधिक लाभ प्रदान हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) के अनुसार, (i) जब माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है अथवा (ii) जब माल का उपयोग माल के निर्माण में किया जाता है और निर्मित माल को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है अथवा (iii) जब माल खरीद मूल्य से कम बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, तो इनपुट टैक्स राज्य में इस तरह के सामान की खरीद पर वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की सीमा तक, जो भी कम हो, स्वीकार्य है।

82,868 मामलों में से 20,450 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018 और अगस्त 2020 के मध्य) से पता चला कि आठ⁹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) के 12 डीलरों ने 12 मामलों में ₹ 211.84 करोड़ की खरीद दिखाई थी और क्रय मूल्य पर ₹ 11.11 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, ₹ 4.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर मुक्त अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री के कारण वापस किया जाना था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (सितंबर 2017 और सितंबर 2019 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रत्यावर्तित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण ₹ 4.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ की अनुमति दी गई।

यह इंगित किए जाने पर सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) ने फरवरी 2022 में सूचित किया कि मामले उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए थे/पुनर्निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी तथा एक मामले में डीलर को ₹ 15.93 लाख के लिए टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग यह सुनिश्चित करे कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान कर-मुक्त बिक्री और बिक्री के मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।

2.8 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच डीलरों को कर की गलत दर अनुमत की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की दरें अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

⁹ अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, जींद और टोहाना।

पांच¹⁰ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) के 43,589 मामलों में से 12,071 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) से पता चला कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए पांच डीलरों के छः मामलों के कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (सितंबर 2017 और मार्च 2019 के मध्य) कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने माल की बिक्री पर लागू कर की दर से कम कर दरें लागू की, जिनका विवरण तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.8: कर की गलत दर लागू करने के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं. (सी1)	कार्यालय उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (सी2)	निर्धारण वर्ष/ निपटान (सी3)	माल (सी4)	बिक्री की राशि (सी5)	उद्ग्राह्य कर की दर (अधिभार सहित) (सी6)	उद्ग्राह्य कर राशि (सी7)	उद्गृहीत कर राशि (सी8)	कर का कम उद्ग्रहण (सी9=सी7-सी8)	ब्याज
1	बहादुरगढ़	2014-15/806 दिनांक 15 जनवरी 2018	मिट्टी	1,05,80,599	13.125%	13,88,704	0	13,88,704	10,85,040
2	अंबाला	2014-15/350 दिनांक 26 सितम्बर 2017	पनीर और सफेद मक्खन	7,06,99,557	13.125%	92,79,317	37,11,727	55,67,590	39,38,142
3	करनाल	2014-15/645 दिनांक 12 फरवरी 2018	पनीर	1,37,82,684	13.125%	18,08,977	7,23,591	10,85,386	8,68,309
			काजू पिन्नी और मिल्क केक	12,36,688	5.25%	64,926	0	64,926	51,941
4	पलवल	2016-17/653 दिनांक 27 नवम्बर 2018	सेट टॉप बॉक्स	2,71,02,611	13.125%	35,57,218	14,22,887	21,34,331	10,77,126
5	फरीदाबाद (पश्चिम)	2015-16/1063 दिनांक 27 मार्च 2019	लुब्रिकेंट	5,31,75,964	13.125%	69,79,345	27,91,738	41,87,607	34,70,130
योग				17,65,78,103		2,30,78,487	86,49,943	1,44,28,544	1,04,90,688

कर की कम दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी, बहादुरगढ़ तथा करनाल (फरवरी 2022) ने सूचित किया कि ₹ 90.48 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और डीलरों को टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया था। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी, पलवल (फरवरी 2022) ने सूचित किया कि पुनःनिर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया कि मामला उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा "डेनोवो असेसमेंट" के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया गया था तथा फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि डीलर को नोटिस जारी किया गया था।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य मामलों की विस्तृत संवीक्षा करे कि कर की दरें हरियाणा मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुसार उद्गृहीत की जा रही हैं।

¹⁰ अंबाला, बहादुरगढ़, फरीदाबाद (पश्चिम), करनाल, पलवल।

2.9 कम सकल टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर का ₹ 8.59 करोड़ तक कम निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.58 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के अंतर्गत, किसी भी डीलर के संबंध में सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) का अर्थ है ऐसे डीलर द्वारा बेचे गए किसी भी माल के संबंध में प्राप्त या प्राप्त बिक्री मूल्य का योग, चाहे वह प्रिंसिपल, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में हो, और इसमें राज्य से बाहर निर्यात किए गए या बिक्री के अलावा अन्यथा निपटाए गए माल का मूल्य शामिल है।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 (पहली तिमाही) के कर-निर्धारण मामलों के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद और कैथल के कार्यालयों के 22,973 मामलों में से 6,426 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2019 और नवंबर 2020 के मध्य) से पता चला कि तीन मामलों में कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2018 और जनवरी 2020 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 21.55 करोड़ के सकल टर्नओवर पर मामले का कर-निर्धारण किया। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कर-निर्धारण के लिए सकल टर्नओवर को ₹ 8.59 करोड़ तक कम लिया गया था। इसका कारण सकल टर्नओवर में कुछ तिमाहियों के लिए बिक्री/खरीद पर विचार नहीं किया जाना बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.58 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, फतेहाबाद और कैथल ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत फरवरी 2022 हेतु पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था तथा डीलरों को सौंपा गया था। कार्यवाही का अंतिम परिणाम तदनुसार सूचित किया जाएगा। कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (पश्चिम) ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 46.90 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और डीलर को नोटिस दिया गया था। बकाया की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग सकल टर्नओवर में सभी आकस्मिक व्यय को शामिल करते हुए निर्धारण के समय उचित सकल टर्नओवर पर विचार करने के लिए सभी कर-निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश जारी करे।

2.10 वस्तु एवं सेवा कर रिफंड पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.10.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 को जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को कर के व्यापक प्रभाव को कम करने, वस्तुओं एवं सेवाओं को सामान्य

बाजार में लाने तथा सरल, स्व-विनियमन और गैर-घुसपैठ कर अनुपालन व्यवस्था लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कुछ वस्तुओं/क्षेत्रों को छोड़कर और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता को छोड़कर, कई केंद्रीय तथा राज्य करों को एकीकृत करने के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। कर दरों की बहुलता को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय VII और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों के अध्याय XI में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर कानूनों में निहित रिफंड से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। यह निर्णय लिया गया था कि दावा और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, 25 सितंबर 2019 तक पोर्टल पर अपलोड किए गए रिफंड आवेदन हेतु अस्थायी तंत्र तैयार, कार्यान्वित तथा अनुसरित किया गया था। 26 सितंबर 2019 से रिफंड आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने, सहायक दस्तावेजों, बयानों, नोटिसों के जवाब आदि की सुविधा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड आवेदनों को प्रसंस्कृत करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई थी।

2.10.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत रिफंड मामलों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित का निर्धारण करने के लिए आयोजित की गई थी:

- (i) रिफंड प्रदान करने के संबंध में जारी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- (ii) कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की प्रभावशीलता; तथा
- (iii) रिफंड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के निष्पादन की जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र।

2.10.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय रिफंड डेटा प्रदान किया। 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि अर्थात् पूर्व-स्वचालन अवधि के लिए, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत रिफंड आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफंड राशि को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की गई थी। नमूना लेने के लिए क्रमबद्ध रिफंड आवेदनों को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया था।

26 सितंबर 2019 के बाद दाखिल किए गए रिफंड आवेदनों के चयन के लिए, दावा की गई रिफंड राशि (60 प्रतिशत भारांक), रिफंड की मंजूरी में विलंब (15 प्रतिशत), रिफंड के लिए स्वीकृत राशि का दावा अनुपात (10 प्रतिशत) और कमी जापन जारी करना (15 प्रतिशत) जैसे जोखिम मापदंडों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया था। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर रिफंड आवेदनों का चयन किया गया था।

उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर, 27 इकाइयों से संबंधित 26 सितंबर 2019 से पहले दावा किए गए रिफंड के 1,133 मामलों का चयन (पूर्व-स्वचालन मामले) किया गया था, जिनमें से कोविड-19 महामारी में महत्वपूर्ण आवाजाही पाबंदियों के कारण 20 इकाइयों से संबंधित 571 मामलों की जांच की जा सकी तथा 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए, 1,136 मामलों में से 20 इकाइयों के 568 रिफंड मामलों का चयन (पश्च-स्वचालन मामले) किया गया तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल¹¹ पर लॉगिन आई.डी. आधारित अभिगम का उपयोग करके जांच की गई। चयनित परिमंडलों में प्रसंस्कृत 30,168 रिफंड मामलों में से कुल 1,139 मामलों (3.78 प्रतिशत) (पूर्व-स्वचालन: 571 मामले और पश्च-स्वचालन: 568 मामले) की जांच इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) के लिए लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। श्रेणी-वार लेखापरीक्षा यूनिवर्स और नमूना चयन **परिशिष्ट V** में दिए गए हैं।

2.10.4 कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित धाराएं/नियम/अधिसूचनाएं रिफंड का दावा करने के लिए दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करते हैं:

- (i) हरियाणा राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 और धारा 77।
- (ii) हरियाणा राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 से 97 तक।
- (iii) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 और 19।

2.10.5 लेखापरीक्षा परिणाम

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित रिफंड मामलों (पूर्व-स्वचालन और पश्च-स्वचालन) की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां देखी गईं, जैसा कि नीचे तालिका-1 में दर्शाया गया है:

¹¹ बोवेब पोर्टल: वेब पोर्टल विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है जो विभिन्न स्रोतों जैसे ईमेल, ऑनलाइन फ़ोरम, एक प्लेटफॉर्म पर स्थित सर्व इंजनों से एक समान तरीके से जानकारी लाती है।

तालिका 1: देखी गई कमियों के विवरण

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा परिणामों की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना				पाई गई कमियों की संख्या				नमूनों की संख्या के संबंध में कमियों की प्रतिशतता (5+7/1+3)*100
	पूर्व-स्वचालन		पश्च-स्वचालन		पूर्व-स्वचालन		पश्च-स्वचालन		
	संख्या 1	राशि 2	संख्या 3	राशि 4	संख्या 5	राशि 6	संख्या 7	राशि 8	प्रतिशतता
पावती जारी करने में विलंब	571	30,666.82	568	27,189.56	271	16,432.05	178	12,244.37	39.42
रिफंड आदेश जारी करने में विलंब	571	31,384.59	568	30,075.39	57	2,546.76	77	5,087.37	11.76
प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को रिफंड आदेशों को संप्रेषित करने में विलंब	571	31,384.59	0	0	5	38.61	0	0	0.87
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अनियमित रिफंड	232	9,655.23	289	9,038.14	0	0	2	71.27	0.38
जीरो-रेटेड आपूर्ति मामलों में अनियमित रिफंड	266	20,175.28	202	17,867.86	8	27.14	14	164.89	4.70
जीरो-रेटेड आपूर्ति के अलावा अनंतिम रिफंड की अनियमित प्रदानगी	305	11,209.31	366	12,207.52	2	14.53	0	0	0.30
निर्धारित को जारी किए गए रिफंड के भुगतान के संबंध में प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण से पुष्टि	571	31,384.59	0	0	178	5,813.80	0	0	31.17

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने देखा कि पावती जारी करने में 39.42 प्रतिशत और रिफंड आदेश मामलों को जारी करने में 11.76 प्रतिशत विलंब हुआ था। तथापि, अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से विचलन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त सभी मामले 0.30 से 39.42 प्रतिशत के मध्य रहे।

लेखापरीक्षा अवधि (जुलाई 2017 से जुलाई 2020) के दौरान, चयनित इकाइयों में पूर्व-स्वचालन अवधि में 20,761 रिफंड मामले प्रसंस्कृत किए गए, जिसमें से 571 रिफंड मामलों की जांच की गई और पश्च-स्वचालन की अवधि में 9,407 मामले प्रसंस्कृत किए गए, जिनमें से 568 मामलों की जांच की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर ध्यान दिया गया और इन मामलों के आधार पर पाई गई कमियों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

2.10.5.1 निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना

(क) पावती

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 90 (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिफंड के दावे से संबंधित है, फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में पावती आवेदक को प्री-ऑटोमेटन चरण में आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि के अंदर और पश्च-स्वचालन चरण में दाखिल करने की तारीख से उपलब्ध कराई जाएगी। पावती में स्पष्ट रूप से रिफंड के लिए दावा दायर करने की तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 71 मामलों¹² (371 मामलों में से 19.13 प्रतिशत) में पावती जारी करने में एक से 256 दिनों का विलंब हुआ था और विलंब के लिए औसत और माध्य मान क्रमशः 41.65 दिन और 30 दिन था। इनमें से 65 मामलों, चार मामलों और दो मामलों में क्रमशः तीन माह, तीन से छः माह और छः माह से अधिक का विलंब हुआ था। आगे, 200 मामलों¹³ में पावती जारी नहीं की गई थी।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पावती जारी करने में 178 मामलों¹⁴ (31.33 प्रतिशत)¹⁵ में एक से 116 दिनों तक का विलंब था और विलंब का औसत और माध्य मान क्रमशः 15.75 दिन और 10 दिन था। इनमें से 176 मामलों और दो मामलों में क्रमशः तीन माह और तीन माह से अधिक का विलंब हुआ था।

इस प्रकार, विभाग तत्रैव नियमों में निर्धारित पावतियों को जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि पावती जारी करने में चूक एक प्रक्रियात्मक चूक थी और अनियमितता प्रकृति में तकनीकी थी लेकिन रिफंड निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए गए थे।

(ख) कमी जापन

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 90 (2) एवं 90 (3) में प्रावधान है कि यदि रिफंड आवेदन में कोई कमी देखी जाती है, तो उचित अधिकारी¹⁶ पूर्व-स्वचालन चरण में आवेदन प्राप्त होने से 15 दिनों की अवधि के अंदर फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त गुरुग्राम (पूर्व) के पांच रिफंड मामलों में, कमी जापन (फॉर्म आर.एफ.डी.-03) सात से 25 दिनों के मध्य के विलंब के साथ जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप तत्रैव नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

¹² उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त फरीदाबाद (पूर्व): 8; फरीदाबाद (दक्षिण): 6; गुरुग्राम (उत्तर): 3; गुरुग्राम (दक्षिण): 9; जगाधरी: 7; करनाल: 19; कुरुक्षेत्र: 2; पानीपत: 15; रेवाड़ी: 1 और रोहतक: 1.

¹³ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 23; फरीदाबाद (उत्तर): 1; फरीदाबाद (पश्चिम): 12; गुरुग्राम (उत्तर): 5; गुरुग्राम (पूर्व): 26; गुरुग्राम (पश्चिम): 27; गुरुग्राम (दक्षिण): 1; हिसार: 1; जगाधरी: 24; झज्जर: 27; करनाल: 1; कुरुक्षेत्र: 1; पंचकुला: 8; पानीपत: 1 और सोनीपत: 42.

¹⁴ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 6; फरीदाबाद (उत्तर): 1; फरीदाबाद (पूर्व): 8; फरीदाबाद (पश्चिम): 4; फरीदाबाद (दक्षिण): 2; गुरुग्राम (उत्तर): 10; गुरुग्राम (पूर्व): 28; गुरुग्राम (पश्चिम): 17; गुरुग्राम (दक्षिण): 9; हिसार: 2; जगाधरी: 5; झज्जर: 11; करनाल: 24; पानीपत: 22; रेवाड़ी: 4; रोहतक: 6 और सोनीपत: 19.

¹⁵ पूर्व-स्वचालन के 571 मामलों और पश्च-स्वचालन के 568 मामलों के संबंध में प्रतिशतता की गणना की गई है।

¹⁶ "उचित अधिकारी" का अर्थ केंद्रीय/राज्य कर का आयुक्त या अधिकारी है जिसे आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया है।

कमी जापन जारी करने में औसत विलंब 13.2 दिन और माध्य विलंब 11 दिन था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि कमी जापन जारी करने में देरी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में प्रक्रियात्मक और नीति संबंधी स्पष्टता की कमी के कारण थी।

(ग) रिफंड संस्वीकृति आदेश

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (7) के अंतर्गत, उचित अधिकारी सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर रिफंड आदेश जारी करेगा। आगे, अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान है कि यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर आवेदक को कोई रिफंड कर आदेश जारी नहीं किया जाता है तो छः प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 94 में प्रावधान है कि फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में भुगतान सूचना के साथ ब्याज के लिए आदेश दिया जाएगा, जिसमें विलंबित अवधि के लिए रिफंड की राशि और ब्याज को निर्दिष्ट किया जाएगा। किसी निर्णयन प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होने वाले रिफंड के मामले में, ब्याज नौ प्रतिशत की दर से देय होगा।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 57 मामलों¹⁷ (9.98 प्रतिशत) में रिफंड आदेशों की स्वीकृति में चार से 436 दिनों तक का विलंब हुआ था तथा इन मामलों में औसत विलंब 65.77 दिनों का था और विलंब के लिए माध्य मान 32 दिन था। इनमें से 45 मामलों में तीन माह तक का विलंब हुआ, छः मामलों में तीन से छः माह का विलंब हुआ और छः मामलों में छः माह से अधिक का विलंब हुआ। रिफंड स्वीकृति आदेश जारी करने में विलंब के लिए पात्र व्यक्तियों को ₹ 32.48 लाख (परिशिष्ट VI) का ब्याज भी देय था जो विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 77 मामलों¹⁸ (13.55 प्रतिशत) में रिफंड आदेशों की स्वीकृति में एक से 122 दिनों तक का विलंब हुआ था, इन मामलों में औसत विलंब 34.32 दिन था और विलंब के लिए माध्य मान 25 दिनों का था। इनमें से 74 मामलों में तीन माह और तीन मामलों में तीन से छः माह तक का विलंब हुआ। रिफंड

¹⁷ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त फरीदाबाद (उत्तर): 3; फरीदाबाद (पश्चिम): 1; गुरुग्राम (उत्तर): 6; गुरुग्राम (पूर्व): 2; गुरुग्राम (दक्षिण): 4; झज्जर: 2; जगाधरी: 4; करनाल: 11; पंचकुला: 5; पानीपत: 11 और सोनीपत: 8.

¹⁸ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 3; फरीदाबाद (उत्तर): 2; फरीदाबाद (पूर्व): 5; फरीदाबाद (पश्चिम): 3; फरीदाबाद (दक्षिण): 3; गुरुग्राम (उत्तर): 7; गुरुग्राम (पूर्व): 21; गुरुग्राम (पश्चिम): 2; गुरुग्राम (दक्षिण): 4; हिसार: 1; झज्जर: 3; जगाधरी: 2; करनाल: 6; पानीपत: 3; रेवाड़ी: 2; रोहतक: 1 और सोनीपत: 9.

स्वीकृति आदेश जारी करने में विलंब के लिए पात्र व्यक्तियों को ₹ 30.01 लाख (परिशिष्ट VI) का ब्याज भी देय था जिसका विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विभाग तत्रैव नियमों में यथा निर्धारित रिफंड आदेशों को स्वीकृत करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में टिथरिंग समस्याओं के कारण रिफंड की मंजूरी में देरी हुई। आगे विभाग ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए किसी भी मामले में करदाताओं ने देर से जारी की गई रिफंड राशि के ब्याज का दावा नहीं किया था। तथापि, विभाग द्वारा रिफंड स्वीकृति आदेश विलंब से जारी करने पर ब्याज देय था।

(घ) प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को रिफंड आदेशों का संचार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 4/24/2017-वस्तु एवं सेवा कर दिनांक 21 दिसंबर 2017 के माध्यम से निर्देश दिया था कि केंद्रीय कर प्राधिकरण अथवा राज्य कर प्राधिकरण/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रिफंड आदेश को संबंधित समकक्ष कर प्राधिकारी को प्रासंगिक स्वीकृत कर या उपकर की राशि का भुगतान करने के लिए सात कार्य दिवसों, जैसा भी मामला हो, के अंदर सूचित किया जाएगा। इसमें रिफंड आदेशों की मंजूरी के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017 की धारा 54 (7) और नियम 91 (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला और जगाधरी के पांच मामले जिनमें एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की राशि ₹ 38.61 लाख का रिफंड शामिल था, तीन से 97 दिनों के मध्य के विलंब के साथ केंद्रीय कर प्राधिकरण को अग्रेषित किए गए थे। इनमें से तीन मामलों में तीन माह तक और दो मामलों में तीन माह से अधिक का विलंब हुआ। प्रतिपक्ष कर प्राधिकारियों को रिफंड आदेश अग्रेषित करने में औसत विलंब 47.20 दिन और माध्य 35 दिन का था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर सहमति व्यक्त की और बताया कि देरी प्रक्रियात्मक/तकनीकी मामलों के कारण थी और राजकोष को कोई मौद्रिक हानि नहीं हुई थी।

(ङ) रिफंड की अस्वीकृत राशि के लिए नोटिस जारी न करना

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 92(3) में प्रावधान है कि जहां उचित अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है, कि रिफंड के रूप में दावा की गई राशि का पूरा या कोई हिस्सा आवेदक को स्वीकार्य नहीं है या देय नहीं है, वह आवेदक को फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-08 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे इस तरह के नोटिस

की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-09 में उत्तर देने की आवश्यकता होगी। और उत्तर पर विचार करने के बाद, फॉर्म जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में एक आदेश देगा जिसमें रिफंड की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाएगा, या उक्त रिफंड दावे को खारिज कर दिया जाएगा तथा उक्त आदेश आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रावधान में यह भी प्रदान किया गया है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रिफंड के लिए कोई भी आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 21 रिफंड आदेशों (3.68 प्रतिशत) में ₹ 61.08 लाख की राशि को अस्वीकार करने के बाद स्वीकृत किए गए थे।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 24.12 लाख की राशि को अस्वीकार करने के बाद 26 मामलों¹⁹ में रिफंड आदेश (4.58 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए थे।

विभाग ने निर्धारित नियमों के उल्लंघन में संबंधित आवेदकों को प्रपत्र आर.एफ.डी.-08 में नोटिस जारी नहीं किया था। इस प्रकार, विभाग तत्रैव नियमों में निर्धारित दावा की गई रिफंड राशि को अस्वीकार करने से पहले नोटिस जारी करने के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे रिफंड राशि की अस्वीकृति पर अनापत्ति के लिए वचनबद्धता देने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

2.10.5.2 रिफंड प्रदानगी

(क) अनंतिम रिफंड

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (6) में प्रावधान है कि उचित अधिकारी, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-रेटेड आपूर्ति के कारण रिफंड के लिए किसी भी दावे के मामले में, अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को छोड़कर इस प्रकार दावा की गई कुल राशि का 90 प्रतिशत अस्थायी आधार पर रिफंड कर सकता है।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त गुरुग्राम (दक्षिण) के एक रिफंड मामले में ₹ 37.73 लाख (90.70 प्रतिशत) की राशि को ₹ 41.60 लाख के रिफंड दावे के विरुद्ध अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.29 लाख के रिफंड की अधिक प्रदानगी हुई थी। आगे, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त

¹⁹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 3, गुरुग्राम (उत्तर): 4, गुरुग्राम (पूर्व): 4, गुरुग्राम (पश्चिम): 11, पानीपत: 1 और सोनीपत: 3.

फरीदाबाद (पूर्व) के दो मामलों में, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण दावा किए गए रिफंड के लिए अनंतिम आधार पर ₹ 14.53 लाख के रिफंड को मंजूरी दी, जिसे प्रावधानों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि कोई राजस्व हानि नहीं हुई क्योंकि करदाता को केवल रिफंड की पात्र राशि प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने प्रावधानों की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

(ख) निर्यात के कारण अनियमित रिफंड

हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 356/वस्तु एवं सेवा कर-II तथा दिनांक 29 मई 2020 की संख्या 798 के द्वारा निर्देश दिया कि कर का भुगतान किए बिना माल के निर्यात के कारण रिफंड के दावे के लिए किए गए आवेदन की विस्तृत संवीक्षा करते हुए, शिपिंग बिल उचित अधिकारी द्वारा आइसगेट²⁰ पोर्टल (www.icegate.gov.in) के माध्यम से विवरणों की जांच की जाएगी ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि आवेदक को रिफंड देय है। आगे, राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम का नियम 89 (2) (सी) प्रावधान करता है कि सेवाओं के निर्यात के कारण रिफंड के मामले में रिफंड के लिए आवेदन के साथ एक विवरण होना चाहिए जिसमें चालानों की संख्या और तारीख एवं संबंधित बैंक वसूली प्रमाण-पत्र (बी.आर.सी.) या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र (एफ.आई.आर.सी.), जैसा भी मामला हो, शामिल होने चाहिए। दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि सहायक दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र के उचित अधिकारी के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन मामलों में (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अंबाला: 1 मामला और करनाल: 2 मामले) आवेदकों ने कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात के कारण रिफंड का दावा किया। इन मामलों में, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने ₹ 2.07 करोड़ के निर्यात मूल्य के विरुद्ध ₹ 22.24 लाख के रिफंड की मंजूरी दी थी। शिपिंग बिलों का सत्यापन करते समय ₹ 80.95 लाख मूल्य के निर्यात को केवल आइसगेट पोर्टल पर सत्यापित किया जा सकता था और ₹ 1.26 करोड़ के निर्यात को सत्यापित नहीं किया जा सका। इन लेनदेनों के निर्यात दस्तावेज भी वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर नहीं मिले। इस प्रकार, करदाता निर्यात के सत्यापित मूल्य के लिए ₹ 9.99 लाख के रिफंड के हकदार थे और ₹ 12.25 लाख के रिफंड की मंजूरी अनियमित थी क्योंकि यह निर्धारित निर्यात दस्तावेजों के सत्यापन के बिना की गई थी।

इसी प्रकार, अन्य तीन मामलों (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व): 1 मामला और गुरुग्राम (दक्षिण): 2 मामले) में आवेदकों ने कर के भुगतान के बिना सेवाओं के निर्यात के कारण रिफंड का दावा किया। इन मामलों में, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने

²⁰

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ई.सी./ई.डी.आई.) गेटवे।

₹ 19.52 करोड़ के निर्यात मूल्य के विरुद्ध ₹ 71.96 लाख के रिफंड की मंजूरी दी थी। आइसगेट पोर्टल पर उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला कि करदाताओं ने परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रतिफल की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की थीं। इस प्रकार, संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने निर्देशों के उल्लंघन में बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ₹ 71.96 लाख के अनियमित रिफंड की मंजूरी दी थी।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में प्रतिक्रिया में संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत सीमा शुल्क संरचनाओं से शिपिंग बिलों की सत्यता को सत्यापित करने और बैंक वसूली प्रमाण-पत्रों/विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्रों की प्रासंगिक प्रतियां भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(ग) इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिबंध

हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 356/वस्तु एवं सेवा कर-II के माध्यम से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक को (i) सभी इन्वॉइसों के विवरण जिनके आधार पर संबंधित अवधि के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-बी) में रिफंड का दावा किया गया था और (ii) इन्वॉइसों की स्व-प्रमाणित प्रतियां जिनके संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा किया गया था और जिन्हें उस परिशिष्ट-बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र घोषित किया गया है, किंतु जो जी.एस.टी.आर.-2ए रिटर्न में नहीं भरे गए हैं, अपलोड करना होगा। दिशा-निर्देशों में आगे यह निर्धारित किया गया था कि सहायक दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र के उचित अधिकारी के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने आगे दिनांक 29 मई 2020 की अपनी अधिसूचना संख्या 798 के माध्यम से स्पष्ट किया कि संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उन चालानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि तक सीमित होगा, जिनका विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा जी.एस.टी.आर.-1 प्रपत्र में अपलोड किया गया है तथा आवेदक के जी.एस.टी.आर.-2 ए में प्रदर्शित किया गया है।

(i) पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ रिफंड मामलों²¹ में, जहां कर के भुगतान के बिना इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर या निर्यात के कारण संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के लिए मार्च 2020 तक रिफंड हेतु आवेदन किए गए थे, अधिकारी ने रिफंड आवेदन में दावा किए गए ₹ 7.97 करोड़ (परिशिष्ट VIII) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर ₹ 2.72 करोड़ के रिफंड की मंजूरी दी थी। तथापि, निर्देशों के अनुसार, अधिकारी को विभिन्न कारणों जैसे कि जी.एस.टी.आर.-2ए में परिलक्षित कर इन्वॉइसों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के

²¹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंबाला: 1, फरीदाबाद (पश्चिम): 1, गुरुग्राम (उत्तर): 1, करनाल: 1 और सोनीपत: 4.

गैर-प्रतिबंधन, जहां आवेदक द्वारा परिशिष्ट-बी अपलोड नहीं किया गया था, जी.एस.टी.आर.-2ए में प्रदर्शित नहीं होने वाले कर इन्वॉइसों को अपलोड न करने के लिए, अनुबंध बी में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जी.एस.टी.आर.-2ए में दर्शाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम थी इत्यादि, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ₹ 7.40 करोड़ तक सीमित करके ₹ 2.53 करोड़ के रिफंड की मंजूरी देनी पड़ी। इस प्रकार, अधिकारी ने जी.एस.टी.आर.-2ए में प्रदर्शित इन्वॉइसों की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित न करके और आवेदकों द्वारा अपलोड की गई कर इन्वॉइसों की प्रमाणित प्रतियों के अभाव में ₹ 19.13 लाख के अतिरिक्त रिफंड को अनियमित रूप से स्वीकृत किया था।

(ii) आगे चार रिफंड मामलों²² में आवेदकों ने कर भुगतान के बिना इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के लिए दावा किया था (मार्च 2020 के बाद)। इन मामलों में, अधिकारी (अधिकारियों) ने रिफंड आवेदन में दावा किए गए ₹ 1.63 करोड़ (परिशिष्ट VIII) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर ₹ 1.00 करोड़ के रिफंड की मंजूरी दी थी। तथापि, निर्देशों के अनुसार, अधिकारी (अधिकारियों) को जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट को ₹ 1.34 करोड़ तक सीमित करके ₹ 73.74 लाख के रिफंड की मंजूरी देनी थी। इन मामलों में रिफंड के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा जी.एस.टी.आर.-2ए में दर्शाए गए टैक्स इनवॉयस से अधिक था। इस प्रकार, अधिकारी ने ₹ 26.66 लाख के अतिरिक्त रिफंड को अनियमित रूप से स्वीकृत किया था।

इस प्रकार, विभाग सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के आलोक में देय रिफंड की गणना के लिए विचार किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित करने में विफल रहा था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 45.79 लाख का अधिक रिफंड दिया गया।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में उत्तर में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(घ) व्यापारी निर्यातक को की गई आपूर्ति के कारण अनियमित रिफंड

हरियाणा सरकार ने दिनांक 24 अक्टूबर 2017 की अपनी अधिसूचना संख्या 117/एस.टी.-2 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने दिनांक 23 अक्टूबर 2017 की अपनी अधिसूचना संख्या 40/2017 द्वारा निर्यात के लिए पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर योग्य वस्तुओं की राज्य के अंदर आपूर्ति हेतु राज्य तथा केंद्रीय कर प्रत्येक में 0.05 प्रतिशत से अधिक की छूट दी है। पंजीकृत प्राप्तकर्ता को वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.) के विवरण वाले शिपिंग बिल या निर्यात के बिल की प्रति तथा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कर इन्वॉइस के साथ निर्यात सामान्य घोषणा-पत्र अथवा निर्यात रिपोर्ट के प्रमाण

²²

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण): 1, करनाल: 1, पानीपत: 1 और सोनीपत: 1.

के रूप में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता साथ ही ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को प्रदान करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त छूट के लिए पात्र नहीं होगा यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता कर इन्वॉइस जारी होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के अंदर उक्त माल का निर्यात करने में विफल रहता है।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि गुरुग्राम (दक्षिण) और गुरुग्राम (पूर्व) के दो मामलों में आवेदकों ने व्यापारी निर्यातकों को 0.1 प्रतिशत की कर दर पर ₹ 4.02 करोड़ की आपूर्ति पर इन्वर्टेड शुल्क संरचना के कारण संचित ₹ 78.42 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड हेतु आवेदन किया था। इन मामलों में संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने ₹ 73.90 लाख के रिफंड की मंजूरी दी थी। तथापि, प्राप्तकर्ताओं ने ऐसा कोई दस्तावेज जमा नहीं किया था, भले ही आवेदक द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया ताकि आवेदक ₹ 2.63 लाख के रिफंड के लिए पात्र हों जिसके परिणामस्वरूप निर्यात के समर्थन में दस्तावेज प्राप्त किए बिना ₹ 71.27 लाख का अनियमित रिफंड हुआ।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में उत्तर में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(ड) समयबाधित मामलों में रिफंड की अनियमित प्रदानगी

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (1) में प्रावधान है कि संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 54 (14) (2) आगे दो साल की अनुमेय अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि निर्धारित करती है जैसा कि नीचे वर्णित है:

(क) समुद्र अथवा वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए गए माल के मामले में, जिस तारीख को जहाज या विमान जिसमें ऐसा माल लदा है, भारत छोड़ता है;

(ख) माल के माने गए निर्यात के मामले में, जिस तारीख को ऐसे माने गए निर्यात से संबंधित रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है; और

(ग) इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड के मामले में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि, जिस अवधि में रिफंड का ऐसा दावा उत्पन्न होता है।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों²³ में करदाताओं ने इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर तथा वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात के कारण ₹ 1.30 करोड़ के संचित इनपुट

²³ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (पूर्व): 1, फरीदाबाद (दक्षिण): 1, गुरुग्राम (पश्चिम): 2, रोहतक: 1 और सोनीपत: 2.

टैक्स क्रेडिट (परिशिष्ट IX) के रिफंड का दावा किया था। इन मामलों में संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने ₹ 1.24 करोड़ के रिफंड की मंजूरी दी थी। लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त संदर्भित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समयबाधित अवधि से संबंधित ₹ 88.91 लाख की राशि का रिफंड अवलोकित किया। इस प्रकार, रिफंड प्रदान करने की समयबद्ध अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹ 88.91 लाख के रिफंड की अनियमित प्रदानगी हुई।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में बताया और मार्च 2022 में उत्तर में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन मामलों की पुनः जांच करने और संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

2.10.5.3 फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य के स्थान पर इन्वॉइस मूल्य पर विचार करने के कारण अतिरिक्त रिफंड

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) (i) कर भुगतान के बिना शून्य-रेटेड आपूर्ति हेतु किसी भी कर अवधि के अंत में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का प्रावधान करती है। इसी प्रकार, एकीकृत कर के संबंध में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 भी यह निर्धारित करती है कि 'शून्य रेटेड आपूर्ति' में 'वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों का निर्यात' शामिल है। आगे, अधिनियम की धारा 54 (14) के नीचे स्पष्टीकरण (1) में अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया है कि 'रिफंड' में ऐसी शून्य-रेटेड आपूर्ति करने में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का रिफंड शामिल है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 89 के उप-नियम 4 में कर के भुगतान के बिना माल की ऐसी शून्य-रेटेड आपूर्ति के मामले में रिफंड प्रदानगी हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रावधान किया गया है:

रिफंड राशि = (माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) * निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट/समायोजित कुल टर्नओवर।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) ने दिनांक 15.03.2018 के अपने परिपत्र संख्या 37/11/2018-वस्तु एवं सेवा कर तथा हरियाणा सरकार ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 की अपनी संख्या 356/वस्तु एवं सेवा कर-II द्वारा निर्देश दिया कि वस्तु एवं सेवा कर इन्वॉइस में घोषित माल का मूल्य तथा संबंधित शिपिंग बिल/निर्यात बिल में मूल्य की जांच आइसगेट पोर्टल से उचित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और रिफंड की पात्र राशि की गणना करते समय दोनों मूल्यों में से कम मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि पश्च-स्वचालन की अवधि के दौरान सहायक दस्तावेजों को अधिकार क्षेत्र के अधिकारी कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ²⁴ मामलों (1.40 प्रतिशत) में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य ₹ 24.81 करोड़ था। तथापि, आवेदकों ने ₹ 26.79 करोड़ के इन्वॉइस मूल्य के आधार पर रिफंड का दावा किया था। संबंधित अधिकारियों ने निर्देशों के उल्लंघन में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के बजाय इन्वॉइस मूल्य पर विचार करके ₹ 3.71 करोड़ के स्वीकार्य रिफंड के विरुद्ध ₹ 3.98 करोड़ के रिफंड की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के रिफंड की प्रदानगी हुई।

पश्च-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों²⁵ (1.40 प्रतिशत) में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य ₹ 130.40 करोड़ था। तथापि, आवेदकों ने ₹ 140.86 करोड़ के इन्वॉइस मूल्य के आधार पर रिफंड का दावा किया था। संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) ने निर्देशों के उल्लंघन में फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के बजाय इन्वॉइस मूल्य पर विचार करके ₹ 8.79 करोड़ की स्वीकार्य रिफंड के विरुद्ध ₹ 9.60 करोड़ के रिफंड की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.81 करोड़ के रिफंड की अधिक प्रदानगी हुई।

इस प्रकार, विभाग इन्वॉइस और फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर विचार करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के अधिक रिफंड की प्रदानगी हुई (परिशिष्ट X)।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि फील्ड कार्यालयों को फ्री ऑन बोर्ड और इन्वॉइस मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर विचार करके रिफंड को संसाधित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.10.5.4 निर्धारित की जारी किए गए रिफंड के भुगतान के संबंध में प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण से पुष्टि

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के अपने परिपत्र संख्या 24/24/2017-वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निर्देश दिया कि कर प्राधिकरण को संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को कर या उपकर की स्वीकृत रिफंड राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाएगा जैसा भी मामला हो। संबंधित वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा आवेदक के बैंक खाते में भुगतान जारी करने के बाद, केंद्रीय कर तथा राज्य कर प्राधिकरण के नोडल प्राधिकारी एक दूसरे को सूचित करेंगे।

पूर्व-स्वचालन: अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 178 मामलों²⁶ (31.17 प्रतिशत) में, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए क्रमशः ₹ 37.92 करोड़ तथा ₹ 20.22 करोड़ (परिशिष्ट XI) के भुगतान के लिए रिफंड आदेश प्रतिपक्ष

²⁴ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अंबाला:5; करनाल:2; और कुरुक्षेत्र:1.

²⁵ गुरुग्राम (उत्तर):1; गुरुग्राम (दक्षिण):3; जगाधरी:1; करनाल: 1 और पानीपत: 2.

²⁶ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (दक्षिण): 11; फरीदाबाद (पूर्व): 13; गुरुग्राम (पश्चिम): 25; गुरुग्राम (पूर्व): 13; हिसार: 1; जगाधरी: 27; कैथल: 3; पंचकुला: 10; पानीपत: 35; रेवाड़ी: 1; रोहतक: 2 और सोनीपत: 37.

केंद्रीय कर प्राधिकारियों को भेजे गए थे। तथापि, करदाताओं को किए गए रिफंड भुगतान के संबंध में केंद्रीय कर प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार, संबंधित प्राधिकारियों ने उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में तथा मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में राजस्व हानि नहीं हुई।

2.10.5.5 रिफंड दावों की पश्च लेखापरीक्षा न करना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीरो-रेटेड आपूर्तियों के रिफंड के मैनुअल प्रसंस्करण के लिए विस्तृत रूप से प्रक्रिया निर्धारित की है। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि पृथक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाने तक शामिल राशि के बावजूद मैनुअल रूप से प्रसंस्कृत रिफंड आवेदनों की पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तथापि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 0.50 लाख से अधिक किंतु ₹ पांच लाख से कम के रिफंड आदेशों की पश्च-लेखापरीक्षा को जारी रखा जा सकता है।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2020 से जून 2021) से पता चला कि जीरो रेटेड आपूर्तियों के लिए रिफंड मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा करने के लिए न तो तंत्र मौजूद था और न ही विभाग ने इसे स्थापित करने के प्रयास किए।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और मार्च 2022 में उत्तर में बताया कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर में रिफंड के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सक्षम करने के लिए निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2022)।

2.10.5.6 निष्कर्ष

विभाग प्रावतियां जारी करने, रिफंड आदेश स्वीकृत करने, कमी ज्ञापन के संबंध में नियमों के प्रावधानों का पालन न करने और रिफंड राशि की अस्वीकृति से पहले नोटिस जारी करने की समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा।

विभाग ने बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/विदेशी इन्वॉइस प्रेषण प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किए बिना अनियमित रिफंड की स्वीकृति दी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित न करके अतिरिक्त रिफंड की स्वीकृति दी थी। विभाग निर्यात दस्तावेजों में दिए गए फ्री ऑन बोर्ड मूल्य की सीमा तक शून्य रेटेड आपूर्ति के मूल्य को सीमित करने में भी विफल रहा था। इसलिए, प्रासंगिक अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के सख्त अनुपालन और अधिक प्रभावी निगरानी की आवश्यकता विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रकट किए गए ₹ 3.98 करोड़ द्वारा प्रमाणित होती है।

रिफंड से संबंधित प्रावधान का पालन न करने के उदाहरणों ने उचित जांच तथा स्वचालन पूरा होने तक रिफंड की मैनुअल प्रोसेसिंग की निगरानी के लिए सिस्टम में सुधार के अलावा सत्यापन के साथ रिफंड प्रोसेसिंग के स्वचालन में तेजी लाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया।

2.10.5.7 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार:

- सभी संबंधित कर प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करे।
- यह सुनिश्चित करे कि अपात्र श्रेणियों को अनंतिम रिफंड नहीं दिया गया है और निर्यात के मामले में, पात्र राशि से अधिक अनंतिम रिफंड नहीं दिया गया था।

2.11 ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.11.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए और वसूल किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित किया है। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित कर है, जो कई चरणों में लगाया जाता है जिसमें कर आपूर्ति के साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों द्वारा सामान्य कर आधार पर एक साथ कर लगाया जाता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी.) अंतःराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर आउटपुट कर देयता के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मौजूदा कानूनों से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 'इनपुट टैक्स के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों में शामिल किया गया था ताकि मौजूदा कानूनों के अंतर्गत भुगतान किए गए उचित करों या शुल्कों के संबंध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार और तरीका प्रदान किया जा सके।' प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी हस्तांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग सामान्य व्यवसाय में या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है।

यह विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के दिन करदाताओं के पास उपलब्ध पूर्व- वस्तु एवं सेवा कर (वैट) से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (इसके बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में संदर्भित) में आगे ले जाने के लिए प्रदान करने के लिए आवश्यक था। ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिए, इन क्रेडिटों को ठीक से आगे ले जाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन करों का लाभ मिल सके जो उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर से पहले व्यवस्था में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर पहले ही चुकाए थे। सरकार के दृष्टिकोण से, स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि वस्तु एवं सेवा कर राजस्व के नकदी प्रवाह की सीमा निर्धारित करेगी और इसलिए, राजस्व के हित में, केवल स्वीकार्य और योग्य ट्रांजिशनल क्रेडिट को ही वस्तु एवं सेवा कर में आगे ले जाया जाना

चाहिए। इस प्रक्रिया में, हरियाणा सरकार ने कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण (2017 की अधिनियम संख्या 19, दिनांक 08 जून 2017) के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 भी बनाया। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का अध्याय XX (धारा 139 से 142) इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है।

2.11.2 इनपुट टैक्स के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था-विधिक प्रावधान

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम) का अध्याय XX (धारा 139 से 142) करदाताओं को मौजूदा कानूनों के अंतर्गत अर्जित इनपुट टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के साथ पठित धारा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। कंपोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के अधीन) के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के अंदर ट्रान-1 रिटर्न दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। ट्रान-1 रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा प्रारंभिक रूप से 27 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी गई थी। तथापि, कई करदाता तकनीकी समस्याओं के कारण नियत तारीख के अंदर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। इस प्रकार, ऐसे करदाताओं को समायोजित करने के लिए दिनांक 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना 48/2018 सी.टी. के द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के अंतर्गत उप-नियम 1ए शामिल किया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आदेश संख्या 01.2020-वस्तु एवं सेवा कर दिनांक 7 फरवरी 2020 द्वारा उन करदाताओं के लिए ट्रान-1 दाखिल करने की नियत तारीख को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था, जो तकनीकी समस्याओं के कारण ट्रान-1 दाखिल नहीं कर पाये थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था के अंतर्गत, मौजूदा कानूनों जैसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) क्रेडिट, राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) आदि के अंतर्गत भुगतान किए गए विभिन्न करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में निम्नानुसार आगे ले जाया गया था:

(क) **अंतिम विवरणी में क्रेडिट का अंतिम शेष:** नियत दिन से ठीक पहले के माह के लिए मौजूदा कानून के अंतर्गत दाखिल विवरणियों में उपलब्ध सेनवैट/वैट क्रेडिट का अंतिम शेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ई.सी.एल.) में क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।

(ख) **शुल्क भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट:** पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, विनिर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा, इन्वॉइसों के आधार पर स्टॉक में रखे गए माल पर भुगतान किए गए शुल्क/कर का क्रेडिट ले सकता है।

(ग) **पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाएं:** इनपुट या इनपुट सेवाएं नियत दिन अथवा उसके बाद प्राप्त की गईं किंतु उस पर शुल्क अथवा कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के अंतर्गत किया गया था।

(घ) **कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत मौजूदा कानून के अंतर्गत चुकाया गया कर:** वे करदाता जिन्होंने मौजूदा कानून के अंतर्गत देय कर के एवज में निश्चित दर या निश्चित राशि पर कर

का भुगतान किया था, अब वस्तु एवं सेवा कर के अधीन सामान्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वे अपने इनपुट स्टॉक, और नियत तिथि पर अर्ध-निर्मित तथा तैयार स्टॉक पर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

(ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट: आपूर्ति के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट जो मौजूदा कानूनों के अंतर्गत वैट और सेवा कर दोनों के लिए है, जिसके लिए नियत तारीख से पहले कर का भुगतान किया गया था और जिसकी आपूर्ति निर्धारित तिथि के बाद की गई थी।

2.11.3 संदर्भ और महत्व

ट्रांजिशनल क्रेडिट लिगेसी व्यवस्था से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट क्रेडिट का एकबारगी प्रवाह है, जिसका लाभ पिछली व्यवस्था से आने वाले करदाताओं के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत नए पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राज्य कर विभाग (एस.टी.डी.) ने इसे ध्यानाकर्षण क्षेत्र माना था और चरणबद्ध तरीके से इन दावों के सत्यापन की परिकल्पना की थी। इस संबंध में, पूरे हरियाणा में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले 3,837 मामलों को विस्तृत सत्यापन के लिए चुना गया था।

2.11.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं की ट्रांजिशनल व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं द्वारा दायर ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम रिटर्न, ट्रान-1 और ट्रान-2 दोनों की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा सत्यापन में चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया और परिणामों की संवीक्षा शामिल है। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में ऐसे दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, मौजूदा कानूनों के अंतर्गत दायर अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न में करदाताओं द्वारा दावा किए गए वैट क्रेडिट की संवीक्षा की जाएगी, जो नियत तारीख यानी 01 जुलाई 2017 से ठीक पहले है। आगे, सामग्री की खरीद से संबंधित दावा किए गए इनपुट टैक्स के संबंध में, सत्यापन में ऐसे सामानों की खरीद के साक्ष्य के लिए आवश्यक इन्वॉइसों, दस्तावेजों या अभिलेखों की जांच शामिल होगी।

2.11.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किए गए ट्रान-1 और ट्रान-2 रिटर्न के अंतर्गत दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट, करदाताओं की वस्तु एवं सेवा कर आउटपुट देयता के विरुद्ध समायोजित किए जाएंगे। इस प्रकार, दावों का वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी ताकि निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- (i) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन और सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था (प्रणालीगत मामले)।
- (ii) क्या निर्धारितियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे (अनुपालन मामले)।

2.11.6 लेखापरीक्षा पद्धति और लेखापरीक्षा मानदंड

चयनित करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए पद्धति में डेटा विश्लेषण, करदाताओं के मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख का सत्यापन शामिल है जो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर पर राज्य कर विभाग के पास उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा मानदंड: जिन मानदंडों के विरुद्ध लेखापरीक्षा उद्देश्यों और उप-उद्देश्यों को सत्यापित किया जाना था, उनमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय XX (धारा 139 से 142), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र और प्रासंगिक निर्देशों के प्रावधान शामिल हैं।

इसलिए, परिकल्पित प्रणालीगत जांच निम्नलिखित मुद्दों का निपटान करती है (i) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा विकसित प्रक्रिया सुदृढ़ थी (ii) क्या सत्यापन के बाद, विभाग राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले करदाताओं के विरुद्ध प्रभावी उपचारात्मक कदम उठा सका।

2.11.7 लेखापरीक्षा नमूना

चयनित नमूना मामलों अर्थात् 3,837 की पहचान जोखिम मानकों के आधार पर निम्नानुसार की गई:

- वे करदाता जिन्होंने नियत दिन से ठीक पहले की अवधि के लिए दाखिल किए गए लिगेसी रिटर्न के अनुसार उपलब्ध क्लोजिंग वैट क्रेडिट बैलेंस से अधिक तालिका 5 (सी) के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया है।
- विनिर्माताओं या सेवा प्रदाताओं के ट्रांजिशनल दावे जिन्होंने तालिका 7ए के कॉलम 7बी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया है।

2.11.7.1 नमूना आकार और चयन

27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में कुल 3,837 मामलों में से, आठ जिलों में 2,152 मामले (शत प्रतिशत) विस्तृत सत्यापन हेतु शामिल किए गए थे तथा शेष 13 जिलों में 845 मामले (50 प्रतिशत) उच्च मूल्य ट्रांजिशनल क्रेडिट के आधार पर विस्तृत सत्यापन के लिए निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दौरान शामिल किया गया समग्र नमूना नीचे प्रस्तुत है:

तालिका 2: नमूना चयन

विवरण	मुख्यालय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया नमूना	स्तर I	स्तर II
जनसंख्या	3,837	2,152	1,685
नमूना आकार	2,997	2,152	845
कवरेज की प्रतिशतता	78	100	50

कुल 3,837 मामलों में से 2,997 मामले (78 प्रतिशत), जिसमें 98.33 प्रतिशत ट्रांजिशनल क्रेडिट शामिल थे, विस्तृत सत्यापन के लिए अप्रैल से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान शामिल किए गए थे। उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर इन 2,997 मामलों को दो स्तरों में वर्गीकृत किया गया था।

स्तर I: दो जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद और छः नजदीकी जिलों अंबाला, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में सत्यापन के लिए संभावित जोखिम वाले मामलों का गठन करने वाले करदाताओं के शत-प्रतिशत मामले। इस प्रकार, बाहरी मामले बड़े औद्योगिक केन्द्रों/आर्थिक केन्द्रों से संबंधित हैं जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान शामिल किया गया था।

स्तर II: करदाताओं के 50 प्रतिशत मामले जो 13²⁷ जिलों में तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले हैं।

2.11.8 लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा क्षेत्र, कानून के प्रावधानों और करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा क्षेत्रों को दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप प्रणालीगत एवं अनुपालन मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.11.8.1 प्रणालीगत मुद्दे

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता से संबंधित प्रणालीगत मुद्दे निम्नानुसार हैं:

2.11.8.1.1 विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र

ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विनियमित करना एक नियंत्रण जोखिम है। वस्तु एवं सेवा कर और लिगेसी कानूनों दोनों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं के अलावा, राज्य कर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन को प्रमुख संकेंद्रित क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया था। राज्य कर विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की थी जहां ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे

²⁷ भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जौंद, मेवात, नारनौल, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत।

₹ 25 लाख या उससे अधिक और सत्यापन के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक थे। राज्य कर विभाग ने दो चरणों में इन मामलों का सत्यापन शुरू किया था।

2.11.8.2 अनुपालन मामले

अनुपालन मामले करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का दूसरा लेखापरीक्षा उद्देश्य) में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को ट्रान-1²⁸ और ट्रान-2²⁹ की विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करना अपेक्षित था। चूंकि कुछ ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था, अनुपालन के मामलों में सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावकारिता, समय-सीमा का पालन और विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किए गए मामलों से अनुपालन विचलन शामिल हैं, जिनकी नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है:

2.11.8.2.1 अनुपालन विचलन

नीचे उल्लिखित उपयुक्त तालिकाओं में करदाताओं द्वारा दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटक दो रूपों ट्रान-1 और ट्रान-2 में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत निर्दिष्ट अंतर्निहित शर्तों से प्रदर्शित होते हैं।

तालिका 3: रिटर्नों के विवरण

रिटर्न	तालिका संख्या	ट्रांजिशनल क्रेडिट कंपोनेंट
ट्रान-1	5(सी)	अंतिम रिटर्न से क्रेडिट की शेष राशि
ट्रान-1	6(बी)	पूजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त ऋण
ट्रान-1	7(बी)	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवा पर क्रेडिट
ट्रान-1	7(सी)	इनवॉइस द्वारा समर्थित स्टॉक में रखे गए इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	7(डी)	बिना इनवॉइस के स्टॉक में रखे इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	10 ए	प्रिंसिपल की ओर से एजेंट के रूप में रखे गए माल से संबंधित इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	10 बी	एजेंट द्वारा रखे गए माल के लिए इनपुट पर क्रेडिट
ट्रान-1	11	धारा 142 (11(सी)) के अंतर्गत प्राप्त इनपुट पर क्रेडिट

सामान्य मामले, जो सभी तालिकाओं के लिए समान हैं और तालिका विशिष्ट मामले जिनके प्रकट होने की संभावना है, उन्हें नीचे लाया गया है :

2.11.8.3 प्रमुख परिणाम:

प्रमुख परिणामों का वर्णन अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है:

²⁸ ट्रान-1 करदाताओं द्वारा पुराने नियमों के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए दायर की जाने वाली रिटर्न है।

²⁹ ट्रान-2 करदाताओं द्वारा पुराने नियमों के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए दायर की जाने वाली रिटर्न है, यदि कर भुगतान दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

2.11.8.3.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट की अपात्र राशि को आगे ले जाना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के प्रावधान के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा पंजीकृत व्यक्ति मौजूदा कानून के अंतर्गत ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उसके द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रस्तुत नियत दिन (01 जुलाई 2017) से ठीक पहले के दिन के साथ समाप्त होने वाली अवधि (30 जून 2017) से संबंधित रिटर्न में आगे ले जाए गए पात्र शुल्कों के सेनवैट/वैट क्रेडिट की राशि लेने का हकदार होगा:

बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्;

(i) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्रेडिट की उक्त राशि स्वीकार्य नहीं है; अथवा

(ii) जहां उसने नियत तारीख से ठीक पहले छः माह की अवधि के लिए मौजूदा कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं; अथवा

(iii) जहां क्रेडिट की उक्त राशि ऐसी छूट अधिसूचना के अंतर्गत बेचे गए माल से संबंधित है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रिफंड का दावा करती है।

कर योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

(क) अपात्र राशि के अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट को आगे ले जाना (जहां निर्धारण आदेशों में ट्रान-1 राशि पर विचार नहीं किया गया था)

27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया था कि कुल 2,997 मामलों में से 700 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही में) के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2017 एवं मार्च 2021 के मध्य), करदाताओं ने ट्रान-1 (वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था) में वैट क्रेडिट की ₹ 243.38 करोड़ की अतिरिक्त राशि को उनके पात्र क्रेडिट बैलेंस की अधिकता में आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 243.38 करोड़ के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक आगे ले जाया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि 13 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के 42 मामलों³⁰ में ₹ 4.05 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी और शेष मामलों में शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

ट्रांजिशनल क्रेडिट की औसत अतिरिक्त प्रदानगी ₹ 35.37 लाख थी, तथापि, माध्यम मूल्य ₹ 5.25 लाख था।

(ख) सत्यापन के बिना रिफंड के कारण अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), अंबाला में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 140 मामलों में से एक मामले में दिसंबर 2017 में डीलर द्वारा ₹ 33.94 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 2020 में कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 33.87 लाख के उपलब्ध एक्सेस कैरी फार्वर्ड से ₹ 18.64 लाख के रिफंड की अनुमति दी और अगस्त 2020 में रिफंड आदेश जारी किया गया था। इस रिफंड के भुगतान के बाद, डीलर का उपलब्ध एक्सेस कैरी फार्वर्ड (ई.सी.एफ.) ₹ 15.23 लाख था। तथापि, डीलर ने ₹ 15.23 लाख के उपलब्ध एक्सेस कैरी फार्वर्ड के विरुद्ध ₹ 33.94 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ट्रांजिशनल क्रेडिट की सही राशि पर विचार नहीं किया और ट्रान 1 में ₹ 18.71 लाख के अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 18.71 लाख के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक अग्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(ग) फॉर्म ट्रान-1 की विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट

तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर), फरीदाबाद (पश्चिम), फरीदाबाद (उत्तर) और गुरुग्राम (पश्चिम) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 615 मामलों में से, करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 2.44 करोड़ की राशि के तीन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए आवेदन किया था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दर्शाया गया था। आगे, यह देखा गया कि करदाताओं ने ट्रान-1 की विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से समान ट्रांजिशनल क्रेडिट राशि का दावा किया। इस तरह करदाताओं को ₹ 2.33 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट के डुप्लीकेट दावे की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 2.33 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

³⁰ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (उत्तर) (तीन मामले: ₹ 0.02 करोड़); फरीदाबाद (दक्षिण) (पांच मामले: ₹ 1.59 करोड़); फरीदाबाद (पश्चिम) (सात मामले: ₹ 0.13 करोड़); करनाल (छ: मामले: ₹ 1.57 करोड़); नारनौल (छ: मामले: ₹ 0.10 करोड़); पलवल (आठ मामले: ₹ 0.32 करोड़); सिरसा (पांच मामले: ₹ 0.17 करोड़); सोनीपत (एक मामला: ₹ 0.10 करोड़); रेवाड़ी (एक मामला: ₹ 0.05 करोड़)।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में तथा अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि फरीदाबाद (पश्चिम) के एक मामले में ₹ 0.11 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी और शेष मामलों में शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

डुप्लीकेट ट्रांजिशनल क्रेडिट का औसत लाभ ₹ 77.66 लाख था जबकि माध्य मूल्य ₹ 23.76 लाख था।

(घ) ट्रांजिशनल क्रेडिट की अधिकता: सिस्टम त्रुटि

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), गुरुग्राम (उत्तर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 193 मामलों में से, करदाता ने ट्रान-1 में ₹ 1.10 करोड़ की राशि के एक मामले में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, तथापि, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.12 करोड़ की राशि क्रेडिट हुई पाई गई।

प्रक्रिया के अनुसार तालिका 5सी के कॉलम 10 में उल्लिखित राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जानी चाहिए। तथापि, सिस्टम ने तालिका 5सी के कॉलम 10 में उल्लिखित राशि के बजाय तालिका 5सी के कॉलम 2 में उल्लिखित राशि को क्रेडिट कर दिया। आगे, तालिका 5सी के कॉलम 2 में उल्लिखित राशि में ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे के समय लंबित फॉर्म (सी/एच/एफ/आई) के टर्नओवर का इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है। इसलिए, लंबित सांविधिक प्रपत्र देयता की कटौती के बाद, तालिका 5सी के कॉलम 10 में उल्लिखित सही मूल्य के बजाय, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांजिशनल क्रेडिट के गलत मूल्य को क्रेडिट कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप सिस्टम त्रुटि के कारण ₹ 2.17 लाख का अधिक क्रेडिट हुआ।

(ङ) ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट की उक्त राशि इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं है (छूट प्राप्त माल हेतु)

आठ³¹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 729 मामलों में से 73 मामलों में डीलर अनाज जैसे चावल और उसके उप-उत्पादों आदि के व्यापार/विनिर्माण में लगे हुए थे (हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी) जिसमें वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। इन करदाताओं ने अपने ट्रान-1 में ₹ 71.78 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया, जिसमें से ₹ 71.32 करोड़ की राशि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि खाद्यान्न मर्दों (चावल, गेहूं) को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में कर छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 71.32 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

³¹ फतेहाबाद, गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों अर्थात् करनाल, कुरुक्षेत्र एवं सिरसा में से उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल के दो मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की राशि वसूल की गई थी तथा शेष प्रकरणों में शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी।

छूट प्राप्त वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट की छूट का औसत ₹ 1.04 करोड़ था जबकि माध्यमूल्य ₹ 23.91 लाख था।

(च) ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति जहां करदाताओं ने मौजूदा कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हैं

सात³² उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 835 मामलों में से 18 मामलों में करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 57.43 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। इन करदाताओं ने नियत तारीख से ठीक पहले छः माह की अवधि के लिए मौजूदा कानून (वैट) के अंतर्गत अपेक्षित सभी रिटर्न प्रस्तुत किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 57.43 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी।

अपेक्षित रिटर्न दाखिल किए बिना अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का औसत ₹ 3.19 करोड़ था जबकि माध्यमूल्य ₹ 18.44 लाख था।

2.11.8.3.2 नियत दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रेषित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140 (5) के प्रावधान के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन पर या उसके बाद प्राप्त इनपुट के संबंध में, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट, यदि कोई हो, लेने का हकदार होगा किंतु जिस कर के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, इस शर्त के अधीन कि इन्वॉइस या उसी का कोई अन्य कर भुगतान दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के खाते की बहियों में नियत दिन से तीस दिनों की अवधि के अंदर दर्ज किया गया हो:

बशर्ते कि तीस दिन की अवधि, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा तीस दिनों से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है:

³² भिवानी, फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), कैथल और रोहतक।

आगे यह भी बताया गया है कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अंतर्गत लिए गए क्रेडिट के संबंध में, ऐसी व्यवस्था में इस उप-धारा के अंतर्गत लिए गए क्रेडिट के संबंध में निर्धारित किया जाए।

कर योग्य व्यक्ति जो हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

(क) वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट को अग्रेषित करना: निर्धारित अवधि के बाद माल का लेखांकन

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रोहतक में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 58 मामलों में से करदाता ने नियत दिन से पहले ₹ 1.68 लाख की राशि के एक मामले में स्टील ट्यूबों की खरीद की, तथापि, सामग्री 10 अगस्त 2017 को फर्म की लेखा-बहियों में ली गई थी। करदाता ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹ 0.08 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया, जिसके लिए करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था क्योंकि नियत दिन से निर्धारित 30 दिनों के बाद लेखा-बहियों में मदों को लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 0.08 लाख के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिक अग्रेषित किया गया। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(ख) अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट: ट्रांजिशनल क्रेडिट का डुप्लीकेट दावा

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), जींद में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 44 मामलों में से एक मामले में डीलर ने ट्रान-1 की तालिका 7बी में समान मदों के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर में ₹ 1.10 करोड़ और राज्य वस्तु एवं सेवा कर में ₹ 1.10 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था और उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया गया था। अतः डीलर ने ट्रान-1 में ₹ 1.10 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का डुप्लीकेट दावा किया। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.10 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

2.11.8.3.3 कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140 (6) के प्रावधान के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति, जो या तो निश्चित दर पर कर का भुगतान कर रहा था या मौजूदा कानून के अंतर्गत देय कर के बदले निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

लेजर में नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन लेने का हकदार होगा, अर्थात्

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए इस तरह के इनपुट या सामान का उपयोग या उपयोग करने का आशय है;
- (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं कर रहा है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;
- (iv) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत कर के भुगतान के साक्ष्य के लिए इन्वॉइस या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं; तथा
- (v) ऐसे इन्वॉइस या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक बारह माह पहले जारी नहीं किए गए थे।

कर योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

तीन³³ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 483 मामलों में से छः मामलों में करदाताओं, जिन्होंने ट्रान-1 में ₹ 2.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था, ने वस्तु एवं सेवा कर से पहले की व्यवस्था में कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना था। ऐसे डीलर वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से पहले के इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं थे, इसलिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में ट्रान-1 प्रोफार्मा की तालिका 5 सी के अंतर्गत ₹ 2.06 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के हकदार नहीं थे। ये डीलर अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार केवल ट्रान-1 प्रोफार्मा की तालिका 7 सी के अंतर्गत अपने शेष स्टॉक को आगे ले जाने के हकदार थे। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 2.06 करोड़ के वैट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रोषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

³³ गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) और फरीदाबाद (उत्तर)।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि फरीदाबाद (उत्तर) के एक मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था और शेष मामलों में बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

करदाताओं द्वारा अपात्र ट्रांजिशनल क्रेडिट का औसत ₹ 34.41 लाख था जबकि माध्य मूल्य ₹ 28.77 लाख था।

2.11.8.3.4 अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट की अनुमति: लंबित/प्रतीक्षित सांविधिक प्रपत्रों का समायोजन न करना

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत डीलर, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (3), 6 (2), 6 (4), 6 ए, 8 (3) और 8 (8) के अंतर्गत प्रदान किए गए सहायक प्रमाण-पत्र और दस्तावेजों के साथ-साथ फॉर्म सी³⁴, एफ³⁵ और एच³⁶ में निर्धारित घोषणा के बल पर पंजीकृत डीलरों को अंतरराज्यीय बिक्री/लेनदेन, शाखाओं/एजेंटों को माल के हस्तांतरण और भारत के क्षेत्र से बाहर/में माल के निर्यात/आयात पर कर की कुछ छूट/रियायतों के पात्र हैं।

ट्रान-1 रिटर्न के प्रावधानों के अनुसार यदि करदाताओं के पास कोई लंबित सांविधिक प्रपत्र (सी/एफ/एच/आई) है तो उन्हें अंतर कर का भुगतान करना अपेक्षित था और वे कर की रियायती दर के लिए पात्र नहीं थे। इस तरह के देय अंतर कर को उनके द्वारा दायर अंतिम रिटर्न में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस से काटा जाना था और शेष क्रेडिट को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत आगे ले जाया जाएगा। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 140 (1) में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6ए या धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित किसी भी दावे के कारण जितना क्रेडिट दिया जा सकता है, जो इस तरह से प्रमाणित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में जमा होने के लिए पात्र नहीं होगा।

कर योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 42 की उप-धारा (10) के साथ पठित धारा 50 (3) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी का दावा करता है इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।

³⁴ कर की रियायती दर पर अंतर-राज्यीय खरीद/बिक्री करने के लिए फॉर्म सी।

³⁵ अन्य राज्यों में शाखाओं/एजेंटों को माल के हस्तांतरण (कर के भुगतान के बिना) करने के लिए फॉर्म एफ।

³⁶ भारत के क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के आदेश का अनुपालन करने के लिए (कर के भुगतान के बिना) खरीदारी करने के लिए फॉर्म एच।

27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि छः³⁷ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्री कर) में 750 मामलों में से करदाताओं ने न तो रियायती दर के लिए सांविधिक प्रपत्र जमा किए और न ही ट्रान-1 रिटर्न के कॉलम 5 (बी) और (सी) में 21 मामलों में लंबित फॉर्म प्रदर्शित किए। इस प्रकार, प्रतीक्षारत/लंबित प्रपत्रों के लिए ट्रान-1 के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित करने के परिणामस्वरूप ट्रान-1 में ₹ 4.96 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 4.96 करोड़ के वैट क्रेडिट/ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। अधिनियम के अनुसार ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला के एक मामले में ₹ 14,983 की राशि की वसूली की गई थी और शेष मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

सांविधिक प्रपत्रों के समर्थन के बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट की औसत अनुमति ₹ 23.64 लाख थी जबकि माध्यम मूल्य ₹ 1.25 लाख था।

2.11.8.3.5 ट्रांजिशनल क्रेडिट का समायोजन: इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (5) (सी) की धारा 49 के प्रावधान के अनुसार राज्य कर के कारण पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), कैथल में 27 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 75 मामलों में से करदाताओं ने एक मामले में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 16.35 लाख का दावा किया तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर शीर्ष के अंतर्गत 22 दिसंबर 2017 को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया। बाद के चरण में यह पता चला कि उक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में योग्य नहीं था, फर्म ने 01 जुलाई 2020 को फॉर्म डी.आर.सी.-03 के माध्यम से उक्त राशि जमा की और ₹ 14.68 लाख को पहले एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के विरुद्ध समायोजित किया गया और ₹ 1.67 लाख की शेष राशि को बाद में धारा 49 के उल्लंघन में राज्य वस्तु एवं सेवा कर के विरुद्ध समायोजित किया गया था। इस प्रकार, ₹ 14.68 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट को राज्य वस्तु एवं सेवा कर के बजाय एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के विरुद्ध गलत तरीके से सेट ऑफ किया गया था।

उपर्युक्त बिन्दु अक्टूबर 2021 में विभाग को संदर्भित किए गए थे; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.11.9 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

कुल 2,997 चयनित मामलों में से तीन मामले, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (पश्चिम) से दो मामले और उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) से एक मामला, संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तथापि, मार्च 2022 में एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.11.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताएं विभाग के त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं जिसके कारण वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों में विचलन और गैर-अनुपालन हुआ है। विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट्स की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 382.94 करोड़ के अपात्र क्रेडिट की अनुमति दी जा रही थी, इसलिये प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के सख्त अनुपालन और अधिक प्रभावी निगरानी की आवश्यकता थी।

2.11.11 सिफारिशें

सरकार प्राथमिकता के आधार पर ब्याज के उद्ग्रहण तथा वसूली सहित प्रतिवेदन में इंगित की गई वसूलियों को प्रभावी करने पर विचार करे।

अध्याय-3
राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग, सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मुख्यालय पर कलेक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंसों की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरीज में उत्पादित स्पिरिट/बीयर और उनके एक राज्य से दूसरे राज्य को आयात/निर्यात पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

ठेकों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अंतिमकृत किया जाता है और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2020-21 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 106 इकाइयों में से 29 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 208 मामलों में ₹ 189.85 करोड़ (2019-20 के लिए ₹ 6,322.70 करोड़ की प्राप्ति का 3.00 प्रतिशत) से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो तालिका 3.1 में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।


तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	116.76
2	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	114	52.69
3	विक्रेताओं को आबंटित त्रैमासिक कोटे को कम उठाने के लिए पेनल्टी का उद्ग्रहण न करना	64	15.20
4	विविध अनियमितताएं	29	5.20
	योग	208	189.85

स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

चार्ट 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 203 मामलों में आवेष्टित ₹ 72.61 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने 16 मामलों में आवेष्टित ₹ 2.22 करोड़ वसूल किए, जिनमें से छः मामलों में वसूल किए गए ₹ 1.65 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थी।

₹ 123.32 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 लाइसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) ने लाइसेंस फीस की मासिक किस्त समय पर जमा न करने पर ठेकों को सील करने के लिए न तो कोई कार्रवाई शुरू की और न ही ब्याज उद्ग्रहीत किया जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 6.56 करोड़ की लाइसेंस फीस और ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.4 में प्रावधान है कि भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस वाला प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान करेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर लाइसेंसधारी, उस माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किस्त के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे, राज्य

आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो संबंधित जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अगले महीने के पहले दिन ठेके के जोन को सील किया जायेगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

क. वर्ष 2018-19 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) करनाल के अभिलेखों (नवंबर 2019) की संवीक्षा से पता चला कि भारत में निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब की बिक्री के लिए 22 ठेकों में से एक ठेका लाइसेंसधारियों को ₹ 4.76 करोड़ में आबंटित किया गया था। लाइसेंसधारी ने केवल ₹ 4.09 करोड़ की लाइसेंस फीस का भुगतान किया था तथा लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 0.67 करोड़ की शेष लाइसेंस फीस अभी जमा की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.28 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने लाइसेंस फीस का भुगतान करने में विफल रहने वाले विक्रेताओं के जोन को सील करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

यह इंगित किए जाने पर, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), करनाल ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 0.14 करोड़ की राशि प्रतिभूति से वसूल/समायोजित कर दी गई थी और चूककर्ता के विरुद्ध शेष राशि की वसूली के लिए वसूली कार्यवाही/नोटिस शुरू कर दिया गया था।

ख. उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), करनाल, कैथल तथा पानीपत के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान की निगरानी हेतु एम-2¹ रजिस्ट्रों के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2019 और अगस्त 2020 के मध्य) से प्रकट हुआ कि 62 जोन में से 30 ने ₹ 164.86 करोड़ की राशि की लाइसेंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीख के बाद 21 से 180 दिनों के विलंब के साथ किया। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) ने दुकानों के जोन को सील करने और लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान हेतु ब्याज लगाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.61 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि ₹ 7.13 लाख की राशि को रिफंड योग्य अतिरिक्त प्रतिभूति से समायोजित कर लिया गया है। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, करनाल तथा कैथल ने बताया (फरवरी 2022) कि चूककर्ताओं के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तथा करनाल के 21 मामलों तथा कैथल के सभी मामलों में बकायों को भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित कर दिया गया था।

¹ नीलामी द्वारा निर्धारित फीस पर दिए गए लाइसेंसों का रजिस्टर। इसमें लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस नंबर और भुगतान के विवरण शामिल हैं।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की गणना की विशेषताओं के साथ-साथ वसूली और निगरानी को सक्षम बनाने के लिए व्यापार नियमों के विरुद्ध निगरानी प्रावधानों के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन को विकसित करने और कार्यान्वित करने पर विचार करे।

3.4 राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.4.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण नियम, प्रोटोकॉल, प्रक्रियाएं और गतिविधियां हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और संचालन की दक्षता तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन से संबंधित संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं। आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रियाएं सरकारी विभागों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बर्बादी और दुरुपयोग से बचाती हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन का आकलन करने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए "राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) आयोजित की गई थी।

3.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, नमूनाकरण और पद्धति

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), आबकारी एवं कराधान विभाग, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, 11 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों² (आबकारी) के कार्यालयों, पांच डिस्टीलरीज³ और पुलिस अधीक्षक सोनीपत और पानीपत के दो कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 2019-20 और 2020-21 की अवधि को आवृत्त करने वाली विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा जून और दिसंबर 2021 के मध्य आयोजित की गई थी। राज्य के 22 जिलों में से 11 जिलों का चयन इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस (आइडिया) के माध्यम से यादृच्छिक नमूनाकरण द्वारा किया गया था। अपर मुख्य सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरियाणा और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ 21 मई 2021 को एक एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा पद्धति, मानदंड आदि पर चर्चा की गई थी और लेखापरीक्षा में उनके संबंधित क्षेत्रों में फैक्टरिंग के लिए विभाग से इनपुट लिए गए थे। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा यह देखने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया था; विभाग द्वारा संचालन नियंत्रणों का पालन किया गया था; और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग कुशल थी।


² (i) फरीदाबाद (ii) गुरुग्राम (पूर्व) (iii) गुरुग्राम (पश्चिम) (iv) हिसार (v) जगाधरी (vi) करनाल (vii) कुरुक्षेत्र (viii) पंचकुला (ix) पानीपत (x) रेवाड़ी और (xi) सोनीपत।

³ (i) मैसर्ज अशोका डिस्टिलरी एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, हथिन पलवल (ii) ए.डी.एस. स्पिरिट्स लिमिटेड, ग्राम भूटियां, झज्जर (iii) मैसर्ज हरियाणा लिंकर प्राइवेट लिमिटेड, जुंडला, करनाल (iv) मैसर्ज एन.वी. डिस्टिलरी, ग्राम भडोली, अंबाला और (v) मैसर्ज पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम भादसों, करनाल।

लेखापरीक्षा परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व संसाधन उत्पन्न करना और उन्हें सुरक्षित करना है जिनका उपयोग सरकार की विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है और चार प्रमुख हितधारकों अर्थात् सरकार, विनिर्माताओं, लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करना त्रुटियों एवं अनियमितताओं को रोकने, संस्थानों की विश्वसनीयता एवं अखंडता को स्थापित करने और मजबूत करने की दिशा में काम करता है; संसाधनों का किफायती एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित करना अंततः विभाग के स्थापित उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करना है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आबकारी विभाग (राज्य आबकारी) की आबकारी नीतियां और कार्य मुख्य रूप से चार मुख्य क्षेत्रों पर आधारित थे अर्थात् मात्रा पर विनियम, गुणवत्ता पर विनियम, शराब की बिक्री से राजस्व प्राप्तियों पर विनियम, और नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन उपाय। विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति अनुदेशों एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में आंतरिक नियंत्रणों के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा, विभाग के साथ-साथ पुलिस संरचनाओं के माध्यम से प्रवर्तन तंत्र ने विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति में अन्य प्रवर्तन नियंत्रणों को भी पूरक बनाया। आंतरिक नियंत्रण मापदंडों के साथ विनिर्माता से उपभोक्ता तक शराब की आवाजाही का चित्रमय प्रतिनिधित्व नीचे डायग्राम 1 में दर्शाया गया है:

डायग्राम 1: आंतरिक नियंत्रण मापदंडों के साथ विनिर्माता से उपभोक्ता तक शराब की आवाजाही




लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कई कमियां थीं। कमजोर या गैर-मौजूद आंतरिक नियंत्रणों के कारण प्रमुख कमियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है, जिन्हें शीर्षक मात्रा, गुणवत्ता, राजस्व और प्रवर्तन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

3.4.3 वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान

आबकारी राजस्व के महत्वपूर्ण घटक हैं, विभिन्न दुकानों⁴ के लाइसेंसों की प्रदानगी के लिए लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण और डिस्टीलरियों से निकाले गए स्पिरिट/बीयर पर और अन्य राज्यों से उनके आयात/निर्यात पर लगाए गए उत्पाद शुल्क। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां और आबकारी विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) की प्राप्तियों की तुलना में राज्य की कुल प्राप्ति नीचे चार्ट 3.2 में दर्शाई गई है:

चार्ट 3.2: कुल राज्य प्राप्तियां, कर राजस्व से प्राप्तियां और आबकारी विभाग की प्राप्तियां (राज्य उत्पाद शुल्क)

(₹ करोड़ में)



जबकि राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 0.44 प्रतिशत की मामूली गिरावट थी, आबकारी एवं कराधान विभाग की प्राप्तियों में विदेशी शराब की बिक्री पर अधिक प्राप्ति के कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 8.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य और वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान वास्तव में एकत्रित राजस्व तालिका 1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1: वास्तविक प्राप्ति की तुलना में राजस्व लक्ष्य

वर्ष	राजस्व लक्ष्य (₹ करोड़ में)	वास्तविक वसूली	प्राप्ति वृद्धि (+), कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
2019-20	6,700	6,322.70	(-) 377.3	5.63
2020-21	7,500	6,864.42	(-) 635.58	8.47

(स्रोत: वित्त लेखे और विभागीय डेटा)

⁴ एक दुकान जिसमें मुख्य रूप से मादक पेय बेचे जाते हैं और घर पर ले जाकर पिये जाते हैं।

यह देखा गया था कि राजस्व प्राप्त 2019-20 और 2020-21 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य से क्रमशः 5.63 और 8.47 प्रतिशत कम थी। विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्यों के अनुमानों को निकालने के लिए लेखापरीक्षा को कोई परिभाषित/वैज्ञानिक पद्धति नहीं मिली।

मात्रा

3.4.4 शराब से संबंधित मात्रात्मक मुद्दे

3.4.4.1 आबकारी नीति के प्रावधानों का पालन न करना

नकली और मिलावटी शराब से बचाव, प्रभावी मूल्यांकन और उत्पादित अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा की निगरानी के लिए विभिन्न निवारक उपाय जैसे त्वरित प्रतिक्रिया, होलोग्राम की कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) कैमरे, ट्रांजिट स्लिप, फ्लो मीटर आदि आबकारी नीति में निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने इन उपायों के कार्यान्वयन में कमियां देखीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अपरिचालनात्मक क्विक रिस्पांस (क्यू.आर.) कोड आधारित 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली

नकली और मिलावटी शराब से बचाव के लिए होलोग्राम या क्विक रिस्पांस कोड आधारित 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से अनुमोदित की गई थी, देसी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माताओं द्वारा अपनाई जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए हरियाणा राज्य की आबकारी नीतियों में सक्षम प्रावधान की उपस्थिति के बावजूद, बिना किसी क्विक रिस्पांस कोड आधारित 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली के केवल पूर्व-मुद्रित पेपर होलोग्राम को अपनाया गया था। लेखापरीक्षा ने होलोग्राम या क्विक रिस्पांस कोड आधारित 'ट्रैक एंड ट्रेस' प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा निविदा और खरीद की प्रक्रिया के संबंध में विवरण मांगा था। तथापि, ये अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

विभाग ने बताया (जुलाई 2021) कि क्यूआर आधारित होलोग्राम के लिए निविदा अग्रिम चरण में थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्विक रिस्पांस आधारित होलोग्राम और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन की स्थापना के लिए ये आवश्यकताएं 2019-2021 की आबकारी नीति का हिस्सा थीं और इन्हें 2019 में लागू करने की आवश्यकता थी और 2021 में यह कार्य प्रगति पर नहीं रहना था। यह भी देखा गया कि क्विक रिस्पांस आधारित होलोग्राम के लिए एक निविदा 7 मई 2020 को रद्द कर दी गई थी और बाद की खरीद प्रक्रियाओं और किए गए प्रयासों के संबंध में अभिलेख/सूचना, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ii) पेपर होलोग्राम का मिलान न करना

सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.पी.एम.सी.आई.एल.), हैदराबाद में पेपर होलोग्राम की छपाई के बाद, विभिन्न उप-आबकारी एवं कर्राधान आयुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डिस्टीलरियों में उपयोग करने के लिए होलोग्राम जारी किए जाते

हैं। होलोग्राम की छपाई के लिए अनुबंध के अनुसार, यह देखा गया था कि एजेंसी अर्थात् सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 10 अंकों की संख्या उत्पन्न की जा रही है जो तत्पश्चात होलोग्राम पर मुद्रित होती हैं। यह 10 अंकों की संख्या आपूर्ति श्रृंखला में शराब को पहचानने का आधार बनाती है। तथापि, इस प्रणाली में ट्रैकिंग क्षमता का अभाव है। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन होलोग्राम को डिस्टीलरियों में तैनात विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से डिस्टीलरियों को जारी करते हैं। डिस्टिलरी इन होलोग्रामों को डिस्टिलरी द्वारा निर्मित देसी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब की बोतलों पर चिपका देती है। जारी किए गए होलोग्राम का अभिलेख विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुरक्षित किया जाता है, जिसमें डिस्टिलरी में सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक (ई.आई.), जिला स्तर पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त और राज्य स्तर पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर 2021) कि विभिन्न डिस्टीलरियों को होलोग्राम जारी करने से संबंधित अभिलेखों का समय-समय पर मिलान करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया था। मैसर्ज पिकाडिली एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, करनाल में यह देखा गया था कि 2019-21 की अवधि के लिए डिस्टिलरी द्वारा जारी किए गए होलोग्राम की मात्रा और होलोग्राम रजिस्टर में लिए गए होलोग्राम के स्टॉक में महत्वपूर्ण अंतर था जैसा कि नीचे तालिका 2 में वर्णित है:

तालिका 2: जारी किए गए होलोग्राम की मात्रा और होलोग्राम के स्टॉक में अंतर

वर्ष	आबकारी एवं कराधान आयुक्त/उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त करनाल द्वारा जारी होलोग्राम	डिस्टिलरी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार होलोग्राम	अंतर
2019-20	6,41,25,000	6,26,05,000	15,20,000
2020-21	9,81,56,494	9,42,06,494	39,50,000
योग	16,22,81,494	15,68,11,494	54,70,000

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

किसी भी मिलान तंत्र की अनुपस्थिति ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायी थी और इन 54,70,000 होलोग्राम के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

मैसर्ज पिकाडिली लिमिटेड के प्रभारी अधिकारी ने बताया (12 मार्च 2022) कि होलोग्राम का मिलान किया जा रहा और अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा।

(iii) क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे न लगाना

शराब के विनिर्माण और बॉटलिंग संचालनों और प्रेषणों की निगरानी के लिए 2019-20 की आबकारी नीति में राज्य में डिस्टीलरियों, ब्रेवरीज और बॉटलिंग प्लांटों में स्थापित किए जाने वाले एकीकृत क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन तंत्र की स्थापना अनिवार्य थी। डिस्टिलरीज से लाइव फीड प्राप्त करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना था ताकि ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) बनाकर त्वरित

और कुशल निर्णय लेने में सुविधा हो। डिस्टिलरी/ब्रेवरी/बॉटलिंग प्लांट को हर महीने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराना अपेक्षित था। आगे, वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति में प्रावधान किया गया था कि सभी थोक लाइसेंसधारी परिसरों (एल-1/एल-13) में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे भी ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को लाइव फीड के साथ लगाए जाने थे। ऐसे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे से लाइव फीड उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को उपलब्ध कराई जानी थी, जिसे समय-समय पर लाइव फीड की समीक्षा करनी थी और कोई उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश करनी थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जून 2021 से पहले केवल डिस्टिलरी में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए गए थे और स्वयं डिस्टिलरी के स्वामित्व में थे। तथापि, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन की संख्या, उनकी स्थिति, उनके लाइव फीड की निगरानी; फुटेज का भंडारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के सृजन हेतु कोई मानदंड नियत नहीं किया गया था। इन मानदंडों के अभाव में, आबकारी निरीक्षक, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आबकारी एवं कराधान आयुक्त के स्तर पर की गई डिस्टिलरियों की निगरानी के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

अन्य प्रतिष्ठानों में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सेट-अप नहीं था। यह देखा गया था कि यद्यपि, नीति 2019-20 और 2020-21 में लाई गई थी, तथापि लेखापरीक्षा के समय भी कार्य प्रगति पर था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे का कार्य प्रगति पर है।

(iv) डिस्टिलरियों में फ्लो मीटर का अभाव

2020-21 की आबकारी नीति में अनिवार्य किया गया है कि डिस्टिलरियों द्वारा उत्पादित और उपयोग की जाने वाली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा का प्रभावी ढंग से आकलन और निगरानी करने के लिए निर्धारित तरीके से विभाग द्वारा राज्य की सभी डिस्टिलरियों में फ्लो मीटर⁵ स्थापित किए जाने थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि फ्लो मीटर लगाने का नीतिगत निर्णय होने के बावजूद, इसे लेखापरीक्षा की तिथि तक लागू नहीं किया गया था। इसके बजाय, डिस्टिलरी द्वारा उत्पादित और उपयोग की गई एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा की मैन्युअल रूप से निगरानी की गई थी। इस प्रकार, नीतियों में फ्लो मीटर लगाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि डिस्टिलरियों में फ्लो मीटर लगाने की निविदा प्रक्रियाधीन है और तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा था (जुलाई 2021)।

⁵ यह तरल या गैस के रेखीय, गैर-रेखीय, द्रव्यमान या वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है।

(v) पारगमन पर्चियां जारी न करना

2019-20 और 2020-21 की आबकारी नीतियों के अनुसार, हरियाणा राज्य के माध्यम से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शराब ले जाने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखने के लिए ट्रांजिट स्लिप जारी करना अपेक्षित था। आगे, ऐसे मामलों में ट्रांजिट पर्चियां ले जानी थीं ताकि अन्य राज्यों के लिए बनी शराब हरियाणा राज्य में अनलोड न हो।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने ट्रांजिट पर्ची के इस प्रावधान को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, जो हरियाणा राज्य के माध्यम से अन्य राज्यों के लिए शराब ले जाने वाले वाहनों के प्रयोग/जांच करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शराब ले जाने वाले और हरियाणा राज्य से गुजरने वाले वाहनों से अनजान था।

इस प्रकार, नकली और मिलावटी शराब से बचाव के निर्धारित निवारक उपायों का पालन न करने से नीति के प्रावधानों का उद्देश्य विफल हो गया।

3.4.4.2 अनाज से अल्कोहल निकालने के लिए मानदंडों का निर्धारण न करना


शराब के उत्पादन के स्रोतों में अनाज और फल शामिल हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अनाज से शराब बनाने के लिए मानदंड निर्धारित किए थे।

यह देखा गया था हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932, शीरे में मौजूद किण्वन योग्य शुगर के प्रति क्विंटल से 52.5 लीटर अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा प्रदान करता है लेकिन राज्य ने अनाज से अल्कोहल तैयार करने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं किए।

2020-21 की अवधि के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि अनाज से शराब के उत्पादन के किसी भी मानदंड के अभाव में डिस्टीलरियों में न्यूनतम मात्रा के आंकड़े अलग-अलग होंगे। शराब के कच्चे माल अर्थात् अनाज में अशुद्धियों/अपशिष्ट सामग्री के आधार पर शराब के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान डिस्टीलरियां 'अपव्यय' के एक घटक का दावा करती हैं। उत्पादित अल्कोहल के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए इस बर्बादी को अनाज की कुल मात्रा में से घटा दिया जाता है। अपव्यय घटक या अनाज से उत्पादन पर किसी भी मानदंड/एस.ओ.पी. की अनुपस्थिति से बर्बादी के कारण मनमाने दावे होते हैं, जो राजस्व को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि यह उत्पादित शराब की मात्रा पर निर्भर है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पांच नमूना-जांच की गई डिस्टीलरियों में दावा किए गए अपव्यय और शराब की मात्रा की तुलना चार्ट 1 में निम्नानुसार दर्शाई गई है:

चार्ट 1: नमूना-जांच की गई डिस्टीलरियों द्वारा दावा किए गए अनाज की बर्बादी



जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, विभिन्न डिस्टीलरियों द्वारा दावा किया गया अपव्यय शून्य से दो प्रतिशत तक था। मानदंडों के अभाव में, डिस्टीलरियों मनमाने ढंग से अपव्यय का दावा कर रही थी। उच्च अपव्यय का दावा करने वाली डिस्टीलरियों के मामलों में राज्य के लिए इसके वित्तीय निहितार्थ थे। विभाग ने बताया (जुलाई 2021) कि मानदंडों के निर्धारण के मामले की जांच की जाएगी।

3.4.4.3 डिस्टिलरी में पड़ी बेची न गई शराब का निपटान न करना

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 10 में प्रावधान है कि यदि लाइसेंस निरस्त/रद्द किया जाता है, तो लाइसेंसधारी को अपने स्पिरिट के स्टॉक का निपटान इस तरह से करना था जैसा कि वित्तीय आयुक्त ने निर्देश दिया था। इस प्रकार, लाइसेंस की समाप्ति या अगले वर्ष के लिए लाइसेंस का अनुमोदन न मिलने पर, बिना बिके स्टॉक को लागू नियमों के अनुसार हटाया जाना अपेक्षित था। आगे, विभाग ने यह भी निर्देश जारी किया था (नवंबर 2019) कि जिस शराब का ब्रांड लाइसेंस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, शराब गैर-बिक्री योग्य हो गई थी, विनिर्माता को इसे फिर से बनाने की अनुमति दी जानी थी। चूंकि पुनःआसवन का पूरा अभ्यास समय के महत्वपूर्ण चर पर निर्भर था, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण उपाय के लिए नियमों में बिना बिके स्टॉक के पुनः आसवन के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

हरियाणा लिक्कर प्राइवेट लिमिटेड, जुंडला, करनाल और एन.वी. डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, बधौली, अंबाला के 2019-21 की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने 2014-15 और 2019-20 के मध्य 10,847 मामलों और 17,535 थोक लीटर (बी.एल.)⁶

⁶ 1 बी.एल. = 1 सामान्य लीटर अर्थात् 1000 मिलीलीटर।

शराब, जो स्टॉक में बिना बिके पड़ी थी, से जुड़े 17 लेबल लाइसेंस बंद कर दिए थे। यह देखा गया था कि विभाग द्वारा स्टॉक को नष्ट करने या फिर से आसवन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आगे, शराब के निपटान की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी जिसके कारण ऐसी शराब की चोरी आदि जैसी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आबकारी निरीक्षक, मैसर्ज हरियाणा लिक्कर प्राइवेट लिमिटेड (सितंबर 2021) और एन.वी. डिस्टीलरीज प्राइवेट लिमिटेड (अक्टूबर 2021) ने सूचित किया कि कंपनी ने बिना बिके स्टॉक के पुनःआसवन की अनुमति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने आगे बताया कि बिना बिके स्टॉक के पुनः आसवन की प्रक्रिया अनुमति प्राप्त होने पर की जाएगी।

गुणवत्ता

3.4.5 शराब की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे

3.4.5.1 कोडल प्रावधानों का पालन न करना

(i) रासायनिक जांच प्रमाण-पत्र के बिना शराब की बिक्री

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शराब मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, पंजाब डिस्टीलरीज नियम, 1932 (हरियाणा राज्य के लिए लागू) के नियम 17 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी, जब आवश्यक हो, डिस्टिलरी में उपयोग की जाने वाली सामग्री या तैयार स्पिरिट के नमूनों को विश्लेषण के लिए लेने की अनुमति देगा।

2019-21 की अवधि के लिए पांच डिस्टीलरियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि देसी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब के 10,279 नमूने विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षकों के पास भेजे गए थे। 9,194 नमूनों के लिए चार डिस्टीलरियों के संबंध में, रासायनिक परीक्षकों ने डिस्टिलरी के प्रभारी अधिकारी से नमूना प्राप्त करने के 28 से 312 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट भेजी जैसा कि नीचे तालिका 3 में वर्णित है:

तालिका 3: 2019-21 में पांच डिस्टीलरियों से रासायनिक जांच के लिए भेजे गए नमूने

क्र. सं.	डिस्टीलरियों के नाम	जांच के लिए भेजे गए नमूनों की संख्या	दिन, जिनके बाद परीक्षक से नमूने प्राप्त हुए थे	शराब की मात्रा (पूफ लीटर में)	उत्पाद शुल्क ⁷ (₹ में)
1	पिकाडली डिस्टिलरी, भादसों (करनाल)	3,484	33 से 105	3,920.00	2,35,170
2	हरियाणा लिक्कर प्राइवेट लिमिटेड, करनाल	1,463	65 से 221	2,019.94	1,21,196
3	एन.वी. डिस्टीलरीज, ग्राम बढोली, अंबाला	2,055	29 से 312	2,368.00	1,42,080
4	ए.डी.एस. स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड, झज्जर	2,192	28 से 55	-	-
5	अशोका डिस्टिलरी एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, हथीन, पलवल	1,085	-	414.38	24,863
	योग	10,279		8,722.32	5,23,309

⁷ देशी शराब के लिए निर्धारित 60 प्रति पूफ लीटर के न्यूनतम उत्पाद शुल्क गणना की गई।

आगे यह भी देखा गया कि जिस शराब का नमूना विश्लेषण के लिए भेजा गया था, उसे डिस्टीलरियों द्वारा उनके विनिर्माण के एक से सात दिनों के भीतर किसी भी रासायनिक परीक्षण प्रमाण-पत्र "शराब मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है या नहीं" को प्राप्त करने से पहले बिक्री के लिए भेज दिया गया था। रासायनिक परीक्षक के प्रमाण-पत्र के अभाव में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आगे, नियमों में कोई अवधि/समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी जिसके भीतर शराब के नमूनों की जांच की जानी थी और रासायनिक परीक्षक द्वारा डिस्टिलरी को वापस कर दिया जाना था। आगे यह भी देखा गया कि डिस्टिलरी में सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक ने परीक्षक की अनिवार्य रिपोर्ट के बिना डिस्टीलरियों से शराब की बिक्री के इस मुद्दे को नहीं उठाया था।

एन.वी. डिस्टिलरीज और मैसर्ज हरियाणा लिक्कर प्राइवेट लिमिटेड के सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक ने बताया कि चूंकि डिस्टिलरी में प्राप्त परमिट के विरुद्ध शराब की बिक्री एक समयबद्ध प्रक्रिया है, इतने लंबे समय तक बैचों को रखना संभव नहीं है क्योंकि यह शराब की बिक्री को बुरी तरह प्रभावित करेगा। मैसर्ज पिकाडिली एगो इंडस्ट्रीज के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। इसी प्रकार मैसर्ज ए.डी.एस. प्राइवेट लिमिटेड के प्रभारी अधिकारी ने सूचित किया कि कार्यालय में रासायनिक परीक्षक की उपलब्धता के अनुसार और उनके मार्गदर्शन के अनुसार एकत्रित नमूने महीने में दो या तीन बार उनके पास भेजे गए थे।

चूंकि रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी, राज्य में अनिवार्य रासायनिक प्रमाण पत्र के बिना शराब की बिक्री हो रही थी।

इस प्रकार, डिस्टीलरियां इस आश्वासन के अंतर्गत परीक्षण के लिए नमूने भेज रही थीं कि स्टॉक मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा और स्वास्थ्य संबंधी नियंत्रण को जोखिम में डाल दिया गया था।

(iii) जांच के लिए भेजे गए नमूने का पुनः आसवन न होना

हरियाणा के आबकारी विभाग ने निर्देश जारी किए थे (नवंबर 2019) कि डिस्टीलरियों में एकत्र किए गए शराब के नमूनों के मामले में, जिसमें रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट विधिवत प्रस्तुत की गई थी, विनिर्माताओं को इसे फिर से बनाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार, रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों को पुनःआसवन के लिए डिस्टीलरियों में वापस ले जाने की आवश्यकता थी। चूंकि पुनःआसवन की प्रक्रिया समय के महत्वपूर्ण चर पर निर्भर थी, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण उपाय के लिए निर्देशों में शेष शराब के नमूने के पुनःआसवन के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एकत्रित नमूने पुनःआसवन के लिए वापस नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.23 लाख के संभावित उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा भी उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या ये नमूने अलग से संरक्षित किए गए थे।

3.4.5.2 विश्लेषण के लिए माइक्रोब्रेवरी से बीयर का नमूना न लेना

वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा आबकारी नीति के पैरा 9.10 में बताया गया है कि कम अल्कोहल सामग्री वाली शराब की स्वस्थ पीने की आदत को बढ़ावा देने के लिए, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को हर महीने एक बार माइक्रोब्रेवरीज से बीयर के नमूनों की व्यवस्था करना और विश्लेषण के लिए निकटतम सरकारी आबकारी प्रयोगशाला में भेजना अपेक्षित था। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट को माइक्रोब्रेवरीज के परिसर में प्रदर्शित किया जाना था।

वर्ष 2020-21 के लिए चार उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, जिसमें 21 माइक्रोब्रेवरीज⁸ थीं, यह पाया गया था कि बीयर के नमूने विश्लेषण के लिए नहीं लिए गए/सरकारी आबकारी प्रयोगशाला को अग्रेषित नहीं किए गए थे। ऐसे नियंत्रणों के अभाव में माइक्रोब्रेवरीज में परोसी जाने वाली बियर में एल्कोहल की मात्रा एवं गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सका। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि विभाग ने ऐसे नियंत्रण के अभाव में शराब की स्वस्थ पीने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य को कैसे सुनिश्चित किया।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) (नवंबर 2021), फरीदाबाद (दिसंबर 2021) और पंचकुला (जुलाई 2021) ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदु को भविष्य के नमूनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

राजस्व

राजस्व सृजन विभाग का प्राथमिक उद्देश्य है। जबकि आबकारी नीतियां इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रोडमैप निर्धारित करती हैं, विभाग के आंतरिक नियंत्रण, उद्देश्य की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस (एल-1, एल-2, एल-14ए, एल-2बी.एफ., एल-52, एल-4/5, एल-1बी.एफ.)⁹ विभाग द्वारा अलग-अलग समय अंतराल, जो आबकारी नीति में शामिल हैं, पर निश्चित लाइसेंस फीस के भुगतान पर प्रदान किया जाता है। आबकारी नीति में लाइसेंस फीस के प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण वेरियेबल्स मात्रा और समय हैं। इन दो वेरियेबल्स पर वास्तविक समय की निगरानी तथा प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और विचलन को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की सहायता के साथ एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की परिकल्पना की गई है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां थीं जिसके

⁸ फरीदाबाद: 2, गुरुग्राम (पूर्व): 15, गुरुग्राम (पश्चिम): 2 और पंचकुला: 2. नमूना जांच किए गए जिलों में केवल 21 माइक्रोब्रेवरी चालू थीं।

⁹ एल-1: भारत में निर्मित विदेशी शराब का थोक लाइसेंस, एल-2: भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा बिक्री, एल-14 ए: देशी शराब की खुदरा बिक्री, एल2बी.एफ.: एल2/एल-14 ए में आयातित विदेशी शराब की बिक्री, एल-52: अनुमत कक्ष, एल-4/5: बार का लाइसेंस और एल1 बी.एफ.: आयातित विदेशी शराब की थोक बिक्री।

कारण निगरानी का अभाव, आबकारी नीति के मानदंडों का पालन न करना और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी थी।

यह अवलोकित किया गया था कि मासिक लाइसेंस फीस और उस पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली के कारण ₹ 47.11 करोड़ की राशि और लाइसेंसधारियों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध ₹ 26.97 करोड़ की लगाई गई पेनल्टी बकाया थी जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.4.6 राजस्व सृजन से संबंधित नियंत्रणों में कमियां

3.4.6.1 लाइसेंस फीस

(i) लाइसेंस फीस और उस पर ब्याज की मासिक किस्तों की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.4 में प्रावधान है कि भारत में निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस वाला प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की क्रमशः 20/15 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान करेगा। ऐसा करने में विफल रहने से लाइसेंसधारी, उस माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किस्त या उसके किसी भाग के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा।

चयनित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 11 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) में से सात¹⁰ में 188 जोन में से 67 जोन¹¹ के 67 लाइसेंसधारियों ने 2019-20 एवं 2020-21 के लिए ₹ 590.30 करोड़ की देय लाइसेंस फीस के विरुद्ध ₹ 566.04 करोड़ की लाइसेंस फीस का भुगतान किया था। बकाया लाइसेंस फीस की आवधिक जांच के लिए विभाग ने कोई निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया था। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ₹ 24.26 करोड़ की लाइसेंस फीस और ₹ 8.41 करोड़ के ब्याज के इस कम भुगतान की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की (परिशिष्ट-XII)।

आगे, चयनित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि 11 कार्यालयों में से दस¹² में 175 (परिशिष्ट-XIII) जोन ने ₹ 473.86 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान 16 से 137 दिनों के मध्य की देरी से किया था। किसी परिभाषित तंत्र के अभाव में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) ने न तो लाइसेंस फीस के भुगतान में देरी की निगरानी की और न ही उस पर ब्याज लगाने के लिए कोई

¹⁰ फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत। शेष उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में लेखापरीक्षा में ऐसी कमियां नहीं आईं।

¹¹ आबंटन के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को जोनों में बांटा गया है। एक जोन का कमांड एरिया आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, प्रत्येक जोन में एक लाइसेंस दिया जाता है।

¹² फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत।

कार्रवाई शुरू की। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 11.24 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह भी देखा गया था कि एल-1 बी.एफ. लाइसेंसधारियों ने 22 से 89 दिनों के विलंब के साथ लाइसेंस फीस जमा करवाई थी, जिसके लिए नीति के प्रावधानों के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹ 1.53 करोड़ उद्ग्राह्य था (परिशिष्ट-XIV)। तथापि, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने लाइसेंसधारियों से ब्याज की वसूली की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी।

यह इंगित किए जाने पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (पश्चिम) ने सूचित किया कि मामले की जांच की जा रही है और लाइसेंस फीस एवं उस पर ब्याज जमा न करने/कम जमा करने के कारण वसूली की जाएगी। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) पानीपत ने बताया कि विभाग के पास पड़ी तीन प्रतिशत प्रतिभूति से वसूली की जाएगी। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अंतर्गत राशि उत्तर में निर्दिष्ट सुरक्षा भाग के तीन प्रतिशत से अधिक थी और इसकी वसूली बकाया राशि की भरपाई नहीं करेगी। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) जगाधरी ने बताया कि तथ्यों की जांच के बाद अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) हिसार ने सूचित किया कि लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल ने बताया कि ₹ 23.31 लाख की राशि का ब्याज वसूल कर लिया/समायोजित कर दिया गया था और उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला ने बताया कि ₹ 0.52 लाख को छोड़कर ब्याज की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली/समायोजित कर दी गई थी।

एल-1बी.एफ. से ब्याज की वसूली के संबंध में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, गुरुग्राम (पूर्व और पश्चिम) ने बताया (नवंबर 2021) कि विभाग के पास पड़ी तीन प्रतिशत प्रतिभूति से बकाया ब्याज की वसूली की जाएगी।

(iii). एल-2बी.एफ. लाइसेंसधारी से लाइसेंस फीस की कम वसूली

हरियाणा आबकारी नीति 2020-21 के पैरा 9.5.13 ने भारत में निर्मित विदेशी शराब और बार लाइसेंसधारियों की खुदरा दुकानों द्वारा आयातित विदेशी शराब (आई.एफ.एल.) मूलतः बोटलबंद (बी.आई.ओ.) की खुदरा बिक्री के लिए एक नया लाइसेंस (एल2बी.एफ.) पेश किया। आयातित विदेशी शराब (मूलतः बोटलबंद) की बिक्री के लिए विक्रेता की क्षमता के अनुसार कुछ निश्चित खुदरा दुकानों को अनिवार्य रूप से एक निश्चित मूल्य पर नया लाइसेंस दिया जाना था। वर्ष 2020-21 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत के छः जोन के लिए ₹ 28.60 लाख की निश्चित लाइसेंस फीस के विरुद्ध ₹ 15.63 लाख बकाया थे, जैसा कि नीचे तालिका 4 में वर्णित है:

तालिका 4: एल2बी.एफ. लाइसेंस की बकाया लाइसेंस फीस

(राशि ₹ में)

जोन नंबर	एल-2बी.एफ. लाइसेंस के लिए निश्चित लाइसेंस फीस	वसूल की गई राशि	देय शेष राशि
जैड.एस.एन.पी.03	2,60,000	95,000	1,65,000
जैड.एस.एन.पी.04	7,80,000	2,35,000	5,45,000
जैड.एस.एन.पी.07	5,20,000	2,00,000	3,20,000
जैड.एस.एन.पी.11	5,20,000	4,31,600	88,400
जैड.एस.एन.पी.24	5,20,000	2,55,000	2,65,000
जैड.एस.एन.पी.30	2,60,000	80,000	1,80,000
योग	28,60,000	12,96,600	15,63,400

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत ने सूचित किया (अक्टूबर 2021) कि मामले की जांच की जाएगी और लाइसेंसधारियों से ₹ 15.63 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली की जाएगी।

(iii). एल-52 (अनुमत कक्ष) लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस का कम उद्ग्रहण और वसूली न करना

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 1.4.1 निर्धारित करता है कि सार्वजनिक रूप से उपद्रवी और शराबी व्यवहार को रोकने के लिए, संबंधित नगरपालिकाओं और अन्य राज्यों के साथ सीमाओं की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर आने वाले शहरी क्षेत्रों और उप-शहरी क्षेत्रों में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा प्रत्येक खुदरा विक्रेता के साथ "अनुमत कक्ष" नामक एक अधिकृत पीने की जगह की अनुमति दी गई थी। आगे, नीति के पैरा 1.4.3 में प्रावधान है कि शहरी जोन और उप-शहरी जोन में अनुमत कक्ष के लिए फीस संरचना, जोनों के ठेकों की लाइसेंस फीस का क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत होगी।

11 चयनित इकाइयों के अभिलेखों एवं दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी), सोनीपत एवं पानीपत ने 11 शहरी जोन में अनुमत कक्ष के लिए एल-52 लाइसेंस प्रदान करते समय 0.8 प्रतिशत की जोन लाइसेंस फीस के स्थान पर 0.4 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस उद्ग्रहीत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 91.04 लाख की सीमा तक लाइसेंस फीस का कम उद्ग्रहण हुआ जैसा कि नीचे तालिका 5 में वर्णित है:

तालिका 5: अनुमत कक्ष के लिए बकाया लाइसेंस फीस

(राशि ₹ में)

सोनीपत					
क्र. सं.	जोन नंबर	बोली की राशि	नीति के अनुसार लाइसेंस फीस (0.8 प्रतिशत)	वास्तव में उद्गृहीत लाइसेंस फीस (0.4 प्रतिशत)	कम उद्गृहीत लाइसेंस फीस
1	01	42,71,11,000	34,16,888	17,08,444	17,08,444
2	02	26,11,11,000	20,88,888	10,44,444	10,44,444
3	03	18,11,11,000	14,48,888	7,24,444	7,24,444
4	04	15,11,11,000	12,08,888	6,04,444	6,04,444
5	06	13,11,11,000	10,48,888	5,24,444	5,24,444
6	07	14,50,10,000	11,60,080	5,80,040	5,80,040
7	09	45,71,00,000	36,56,800	18,28,400	18,28,400
8	10	19,71,71,000	15,77,368	7,88,684	7,88,684
उप-योग		1,95,08,36,000	1,56,06,688	78,03,344	78,03,344
पानीपत					
1	05	12,11,75,000	9,69,400	4,84,700	4,84,700
2	08	11,81,51,000	9,45,208	4,72,604	4,72,604
3	13	8,60,00,000	6,88,000	3,44,000	3,44,000
उप-योग		32,53,26,000	26,02,600	201,315	201,315
योग		2,27,61,62,000	1,82,09,288	91,04,648	91,04,648

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत ने बताया (अक्टूबर 2021) कि आबकारी व्यवस्था¹³ 2019-20 के अनुसार इन आठ ज़ोनों को शहरी + ग्रामीण जोन के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और तदनुसार वे 0.4 प्रतिशत लाइसेंस फीस के उद्ग्रहण हेतु उप-शहरी जोन के अंतर्गत आते थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुमत कक्ष को केवल शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में आबकारी नीति 2019-20 के अंतर्गत अनुमति दी गई थी और नीति में शहरी + ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। चूंकि ठेकों के ये आठ जोन, ठेकों को दिए गए लाइसेंसों के अनुसार शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे, लागू लाइसेंस फीस जोन की लाइसेंस फीस के 0.8 प्रतिशत की दर से थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत ने बताया (अक्टूबर 2021) कि एल-52 लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस की कम वसूली विभाग के पास पड़ी तीन प्रतिशत रिफंड योग्य प्रतिभूति से वसूल की जाएगी।

(iv) एल-4/5 लाइसेंस (बार) की लाइसेंस फीस की वसूली न करना

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 9.8.3 (डी) में प्रावधान है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और शेष जिलों के लिए बार लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस क्रमशः ₹ 18 लाख, ₹ 15 लाख और ₹ 10 लाख थी। आगे, वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 9.8.3 (ई) में प्रावधान है कि हरियाणा पर्यटन निगम

¹³ आबकारी विभाग द्वारा जारी एक दस्तावेज जिसमें एक वर्ष के लिए शराब की दुकानों की नीलामी के समय विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण दर्शाया जाता है।

(एच.टी.सी.) द्वारा संचालित बार के लिए लाइसेंसों की प्रदानगी या नवीकरण हेतु ₹ 1.50 करोड़ की संयुक्त फीस प्रभारित की जानी थी। बार (एल-4/एल-5/एल-12सी/एल-12जी) लाइसेंस के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान चार समान तिमाही किस्तों में किया जाना था, जो प्रत्येक तिमाही के पहले सप्ताह में देय थी, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस रद्द किया जाना था और संबंधित प्रतिभूति जब्त की जानी थी। कोविड महामारी के मद्देनजर, आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने 1 सितंबर 2020 से बार लाइसेंस (एल-4/ एल-5/एल-12सी/एल-12जी) को नवीकृत करने का निर्णय लिया और पहली एवं दूसरी तिमाही की लाइसेंस फीस की गणना के प्रयोजन हेतु बार के खुलने के दिन से प्रतिदिन के आधार पर आनुपातिक गणना का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2020-21 की नीति 31 मार्च 2021 तक लागू थी। तथापि, कोविड के दौरान प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण, 2020-21 के लिए आबकारी नीति को 19 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

चयनित 11 इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालयों में 506 लाइसेंसधारियों में से छः बार लाइसेंसधारियों ने ₹ 1.02 करोड़ की देय लाइसेंस फीस के विरुद्ध ₹ 42.25 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान किया था जैसा कि नीचे तालिका 6 में वर्णित है:

तालिका 6: बार की बकाया लाइसेंस फीस

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई.टी.सी./डी.ई.टी.सी. (आबकारी)	बार लाइसेंसधारी	उद्घाह्य लाइसेंस फीस	उद्गृहीत लाइसेंस फीस	बकाया लाइसेंस फीस
1	ई.टी.सी.	हरियाणा पर्यटन निगम	75,00,000 [#]	37,50,000	37,50,000
2	सोनीपत	मैसर्ज फिस्सल बीयर आइलैंड बार एंड कैफे प्राइवेट लिमिटेड	6,36,111	3,75,000	2,61,111
3	गुरुग्राम (पूर्व)	दी आर्क	6,95,000	0	6,95,000
4	गुरुग्राम (पश्चिम)	ए.वी. ब्रिस्टो प्राइवेट लिमिटेड	4,50,000	0	4,50,000
5	गुरुग्राम (पश्चिम)	स्मैश एंटरटेनमेंट	4,50,000	0	4,50,000
6	गुरुग्राम (पश्चिम)	ब्लैक बक्स अमेरिकन डिनर	4,50,000	1,00,000	3,50,000
		योग	1,01,81,111	42,25,000	59,56,111

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

हरियाणा पर्यटन निगम को छोड़कर सभी लाइसेंसधारियों का अगले वर्ष के लिए नवीकरण नहीं किया गया है। विभाग ने इन बारों के लाइसेंसों को रद्द करने, प्रतिभूति को जब्त करने या ₹ 59.56 लाख की बकाया लाइसेंस फीस को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

[#] हरियाणा पर्यटन की वार्षिक फीस ₹ 1.50 करोड़ थी। तथापि, कोविड प्रतिबंधों के कारण, विभाग द्वारा पहली दो तिमाहियों के लिए फीस में छूट दी गई थी। अतः वसूली योग्य कुल फीस ₹ 75 लाख थी।

कलेक्टर (आबकारी)-सह-संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने बताया (जुलाई 2021) कि एक तिमाही की शेष राशि जमा करने के लिए प्रबंध निदेशक, हरियाणा पर्यटन निगम को पत्र लिखा गया था। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (पश्चिम) ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

(v) शराब का त्रैमासिक मूल कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का उद्ग्रहण एवं वसूली न करना

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 3.3.1 और 3.3.2 के अनुसार, एक लाइसेंसधारी को निर्धारित तिमाही अनुसूची के अनुसार जोन को आबंटित भारत में निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब का मूल कोटा उठाना अपेक्षित था। तिमाही कोटा न उठाने पर प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.)¹⁴ के लिए त्रैमासिक आधार पर वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 55 और ₹ 100 और वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 70 और ₹ 125 की दर से क्रमशः देसी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए कम उठाये गये कोटे पर पेनल्टी लगाई जानी थी। भारत में निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब की खुदरा दुकानों के मामले में कोटा उठाने और कोटा न उठाने के लिए पेनल्टी के प्रावधान एल-2बी.एफ. लाइसेंसधारियों को अपेक्षित परिवर्तनों के साथ लागू करने थे। तथापि, 2020-21 के लिए आयातित विदेशी शराब का कम कोटा उठाने के लिए व्हिस्की और वाइन के लिए प्रत्येक मामले में ₹ 5,000 और बीयर के लिए प्रत्येक मामले में ₹ 2,000 की पेनल्टी थी।

11 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि नौ¹⁵ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में भारत में निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब को आबंटित 202 जोन तथा आयातित विदेशी शराब के एल-2बी.एफ. लाइसेंसधारियों को आबंटित छः जोन ने आबकारी नीति में अपेक्षितानुसार अपने कोटा को कम उठाया था और तदनुसार क्रमशः ₹ 24.87 करोड़ और ₹ 2.10 करोड़ पेनल्टी लगाई गई थी (परिशिष्ट-XV)। त्रैमासिक कोटा उठाने में अंतराल की निगरानी के लिए लेखापरीक्षा को कोई नियंत्रण तंत्र नहीं मिला। तदनुसार, संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) ने कोटे की निगरानी नहीं की और लाइसेंसधारी ने अपना निर्धारित शराब का कोटा नहीं उठाया था। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) ने त्रैमासिक कोटा के कम उठाने के कारण पेनल्टी लगाने और वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.97 करोड़ की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत (अक्टूबर 2021), फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (पश्चिम) (नवंबर 2021) ने सूचित किया कि मामले की जांच की जा रही

¹⁴ अल्कोहल के प्रभाव को 'डिग्री प्रूफ' के रूप में मापा जाता है। ऐसी शराब की ताकत के 13 भाग, जिनका वजन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी के 12 भागों के बराबर होता है, को 100 डिग्री प्रूफ दिया जाता है। अल्कोहल के दिए गए नमूने की स्पष्ट मात्रा को 100 डिग्री की ताकत वाले अल्कोहल की मात्रा में परिवर्तित करने पर प्रूफलीटर कहा जाता है।

¹⁵ फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत।

है और लाइसेंसधारी से कोटा कम उठाने, यदि कोई हो, के कारण वसूली की जाएगी। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत ने बताया (अक्टूबर 2021) कि विभाग के पास पड़ी तीन प्रतिशत प्रतिभूति से कोटा कम उठाने के कारण वसूली की जाएगी। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) जगाधरी और पंचकुला ने बताया कि तथ्यों की जांच के बाद अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

3.4.6.2 कोविड उपकर के रूप में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली न करना

वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति के पैरा 3 में निर्धारित है कि 6 मई 2020 से देसी शराब, बीयर, भारत में निर्मित विदेशी शराब/वाइन आदि की बिक्री पर अलग-अलग दरों पर कोविड उपकर के रूप में एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाना था। खुदरा लाइसेंसधारियों को थोक डीलरों से स्टॉक की खरीद के एक दिन के भीतर सरकारी खजाने में कोविड उपकर की राशि जमा करना अपेक्षित था। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2020-21 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), जगाधरी के कार्यालय में मई-जून 2020 की अवधि के लिए 52 खुदरा लाइसेंसधारियों से कोविड उपकर के रूप में ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय था जिसे उद्गृहीत और एकत्रित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारियों से ₹ 1.41 करोड़ की वसूली नहीं हुई। शेष उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में, लेखापरीक्षा में ऐसी कोई कमी नहीं पाई गयी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), जगाधरी ने बताया (मार्च 2022) कि ₹ 1.36 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित कर दी गई थी।

3.4.6.3 स्टॉक अंतरण फीस की वसूली न करना

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए हरियाणा आबकारी नीति के पैरा 8.8 में निर्धारित है कि वर्ष 2019-20/2020-21 के लिए अनुबंध की समाप्ति पर निवर्तमान लाइसेंसधारी के भौतिक कब्जे में शराब की कोई भी मात्रा और हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2020-21/2021-22 के लिए एक आने वाले लाइसेंसधारी को हस्तांतरित वर्ष 2019-20/2020-21 के लिए वार्षिक कोटा उठाने के लिए नहीं गिना जाएगा। देसी शराब के लिए ₹ 7 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी शराब के सभी ब्रांडों के लिए ₹ 13 प्रति प्रूफ लीटर और बीयर के लिए ₹ 11 प्रति थोक लीटर की दर से स्टॉक अंतरण फीस लगाई जानी थी। आयातित विदेशी शराब (मूलतः बोटलबंद) के लिए, स्टॉक को परमिट फीस में वृद्धि और निर्धारण फीस के उद्ग्रहण से उत्पन्न अंतरीय राशि के भुगतान पर अंतरित किया जाना था। इसके अलावा, व्हिस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी आदि के लिए ₹ 120 प्रति प्रूफ लीटर, वाइन के लिए ₹ 120 प्रति थोक लीटर और बीयर के लिए ₹ 50 प्रति थोक लीटर की दर से अंतरण फीस लगाई जानी थी।

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय में वर्ष 2019-20 के लिए बिना बिके स्टॉक पर अंतरण फीस एवं निर्धारण फीस के अंतर के कारण मैसर्ज लेक फॉरेस्ट वाइन प्राइवेट लिमिटेड {आयातित विदेशी शराब (मूलतः बोटलबंद)} के संबंध में ₹ 38.36 लाख की राशि उद्गृहीत नहीं की गई

थी। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), जगाधरी के कार्यालय से संबंधित अभिलेख से पता चला कि 12 (देसी शराब/भारत में निर्मित विदेशी शराब) लाइसेंसधारियों के पास 14981.06 पूफ लीटर/थोक लीटर का बिना बिका हुआ शराब का स्टॉक था, जिसके विरुद्ध ₹ 2.64 लाख की स्टॉक अंतरण फीस लगाई गई थी लेकिन वसूल नहीं की गई थी। इसलिए, स्टॉक अंतरण फीस के कारण ₹ 41 लाख की राशि बकाया थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि अंतरण फीस के साथ-साथ निर्धारण फीस की वसूली का विस्तृत उत्तर तथ्यों की पुष्टि के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जगाधरी ने सूचित किया (मार्च 2022) कि ₹ 1.74 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रवर्तन और आंतरिक लेखापरीक्षा

आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग, राज्य में आबकारी नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए है। दोनों विभागों में उल्लंघन के मामलों का निर्णय करने में विलंब, अवैध शराब की जब्ती में संशोधित प्रावधानों को लागू न करने, जब्त की गई शराब को नष्ट करने में देरी और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानकों/मैनुअल का अभाव देखे गए थे जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.4.7 आबकारी नीति और आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रवर्तन से संबंधित नियंत्रणों में कमियां

3.4.7.1 उल्लंघन के मामलों में तदर्थ निर्णय

हरियाणा में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 36 (सी) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस, परमिट या पास प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस तरह के लाइसेंस के धारक द्वारा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में इसे रद्द या निलंबित कर सकता है। आगे, हरियाणा शराब नियम (एच.एल.एल.) के नियम 37 (36) में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंसधारक किसी भी कानून के अंतर्गत रद्द करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी या तो (i) लाइसेंस रद्द कर सकता है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसा कि वह उस व्यवसाय को करने के लिए उचित समझे जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था और उसके संबंध में भुगतान की गई कोई फीस या जमा को सरकार के लिए जब्त कर लिया जाएगा, (ii) लाइसेंसधारक को ऐसी अतिरिक्त फीस के भुगतान पर जिसे वह स्वीकार करने के लिए उपयुक्त समझे, लाइसेंस को अपने पास रखने की अनुमति देगा। हरियाणा शराब नियम के नियम 37 (37) के अंतर्गत, "किसी भी लाइसेंस को रद्द करने या समाप्त करने पर, लाइसेंसधारी या उसका प्रतिनिधि इसके अंतर्गत अपना व्यवसाय करना बंद कर देगा और कलेक्टर को अपना लाइसेंस वापस कर देगा"।

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के लिए नमूना-जांच किए गए 11 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के कार्यालयों में उल्लंघन मामलों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, उल्लंघन के मामलों के निर्णय करने में निम्नलिखित कमियां पाई गई थीं:

विभिन्न स्तरों पर विलंब

नमूना-जांच किए गए 11 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) में कुल 1123 उल्लंघन के मामले थे। इनमें से वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए नियमों/लाइसेंस के उल्लंघन के 138 मामलों⁶ (पानीपत और सोनीपत के 100 प्रतिशत मामले) की विस्तार से जांच की गई थी। उल्लंघन के मामलों को संभालने में देरी का उल्लेख नीचे तालिका 7 में किया गया है:

तालिका 7: उल्लंघन के मामलों के निर्णय में विलंब

वर्ष	मामलों की संख्या	दिनों की संख्या			
		कलेक्टर द्वारा उल्लंघन के मामलों पर निर्णय			कलेक्टर के स्पष्ट आदेशों के प्रेषण का समय
		रेंज	औसत	मीडियन	
2019-20	38	166 से 265	101	56	14 से 134
2020-21	100	5 से 122	61	48	0 से 38

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

मामलों के निर्णय करने में विलंब (पांच से 265 दिनों के मध्य) के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारक पर लगाई गई पेनल्टी की वसूली में देरी हुई और लाइसेंसधारियों को कानून के उल्लंघन के बाद भी अपनी व्यावसायिक गतिविधि जारी रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात, कलेक्टर के निर्णय के बाद आदेशों के प्रेषण में विलंब (134 दिनों तक) विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को दर्शाता है।

(i) लाइसेंस रद्द होने के बाद भी परमिट/पास जारी करना

कलेक्टर (आबकारी)-सह-संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा के आदेश के अनुसार, पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 36 (सी) के अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने के मामले में, प्रतिभूति की राशि को जब्त करना अपेक्षित था और कलेक्टर के निर्णय के अनुसार पेनल्टी के भुगतान पर लाइसेंस का निरसन एवं प्रतिभूति की जब्ती को निरस्त माना जाता है। यह देखा गया था कि चार लाइसेंसधारियों के संबंध में 547 परमिट/पास¹⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा उनके लाइसेंस रद्द होने के बाद भी हरियाणा शराब नियम के नियम 37(37) का उल्लंघन करते हुए मार्च 2021 से जून 2021 के मध्य अनुमोदित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसे मामलों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई मैनुअल या आई.टी. सक्षम तंत्र नहीं था। इस बिंदु पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

¹⁶ 2019-20: पानीपत-7, सोनीपत-31; 2020-21: पानीपत-42 और सोनीपत-58.

¹⁷ (i) पानीपत- रद्द करने की तिथि: 20 अप्रैल 2021- 200 पास 20 अप्रैल 2021 से 10 जून 2021 के मध्य अनुमोदित किए गए थे, (ii) सोनीपत- रद्द करने की तिथि: 17 नवंबर 2020- 205 पास 17 नवंबर 2020 से 02 जनवरी 2021 के मध्य अनुमोदित किए गए थे, (iii) 07 दिसंबर 2020- 61 पास 07 दिसंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य अनुमोदित किए गए थे, (iv) 07 दिसंबर 2020- 81 पास 07 दिसंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 के मध्य अनुमोदित किए गए थे।

(ii) पेनल्टी वसूल न करना

2019-20 एवं 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा थोक लाइसेंसधारियों के गोदामों से शराब की कमी का पता लगाया गया था। तदनुसार, लाइसेंसों के उल्लंघन के मामले तैयार किए गए थे और आगामी निर्णय के लिए प्रधान कार्यालय, पंचकुला को भेजे गए थे। कलेक्टर (आबकारी)-सह-संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने इन मामलों का निर्णय किया और आठ जिलों¹⁸ में 60 लाइसेंसधारियों के विरुद्ध ₹ 39.68 करोड़ का पेनल्टी लगाई गई थी (परिशिष्ट-XVII)। विभाग ने लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही प्रारंभ नहीं की।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत, सोनीपत (अक्टूबर 2021) और रेवाड़ी (दिसंबर 2021) ने बताया कि कलेक्टर द्वारा लगाई गई पेनल्टी की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), गुरुग्राम (पूर्व) (नवंबर 2021) और उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) फरीदाबाद ने सूचित किया (दिसंबर 2021) कि तथ्यों की पुष्टि के बाद वसूली की जाएगी।

3.4.7.2 अवैध शराब को जब्त करना

(i) पेनल्टी लगाने/वसूल न करने में विलंब

छ: उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी)¹⁹ के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की जब्ती पर ₹ 83.17 लाख की राशि की पेनल्टी बकाया थी (परिशिष्ट-XVIII)। यद्यपि, विभाग ने पेनल्टी लगाई थी, बकाया पेनल्टी की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत (अक्टूबर 2021) और उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), हिसार (दिसंबर 2021) ने बताया कि पेनल्टी की बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन न करना

सरकारी अधिसूचनाओं का समय पर क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण नियंत्रण उपकरण है। सरकार ने अधिनियम में 31 मार्च 2020 से संशोधन किया और अब पेनल्टी को कारावास और पेनल्टी में बदल दिया गया है।

यह देखा गया था कि कलेक्टर-सह-उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), गुरुग्राम (पूर्व और पश्चिम) ने 31 मार्च 2020 के बाद पता लगाई गई अवैध शराब के 13 मामलों {गुरुग्राम (पूर्व)-4, गुरुग्राम (पश्चिम) - 9} में ₹ 3.92 लाख की पेनल्टी लगाई थी। तथापि, 31 मार्च 2020 से प्रभावी संशोधित अधिनियम के संदर्भ में, संशोधित अधिनियम के अनुसार पेनल्टी लगाई जानी

¹⁸ फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत।

¹⁹ फरीदाबाद, गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, पंचकुला, पानीपत और सोनीपत।

अपेक्षित थी अर्थात् एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और पेनल्टी जो ₹ 10 लाख तक हो सकती है। संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इन संशोधित प्रावधानों का पालन नहीं किया और अपराधियों को केवल मौद्रिक दंड लगाने के बाद रिहा किया गया था जो कि 31 मार्च 2020 से प्रभावी कानून में नहीं था जिसे एक संशोधन के माध्यम से बदल दिया गया है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), गुरुग्राम (पूर्व और पश्चिम) ने बताया (नवंबर 2021) कि अधिनियम के संशोधन की प्रति 23 अप्रैल 2020 को प्राप्त हुई थी और उस तिथि के बाद के सभी मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भेजा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में संशोधन 31 मार्च 2020 को ही राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और सभी मामलों को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के साथ निपटाया जाना अपेक्षित था। हालांकि, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को इसकी जानकारी नहीं थी और 23 अप्रैल 2020 तक ऐसे सभी मामलों में पेनल्टी लगाते रहे।

3.4.7.3 जब्त की गई शराब को नष्ट करना/भंडारण

पंजाब आबकारी अधिनियम (हरियाणा में यथा लागू) की धारा 47 में प्रावधान है कि आबकारी, पुलिस का कोई भी अधिकृत अधिकारी, धारा 61, या धारा 63 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और अधिनियम के अंतर्गत जब्त के लिए उत्तरदायी होने के कारण किसी भी नशे को जब्त और हिरासत में ले सकता है। आगे, विभाग ने अगस्त 2015 एवं नवंबर 2019 में जब्त शराब को नष्ट करने के निर्देश जारी किये थे जिसके अंतर्गत पिछली तिमाही से संबंधित मामलों के लिए वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ होने के एक पखवाड़े के भीतर जब्त की गई शराब को नष्ट करने से पहले कलेक्टर (आबकारी) की अनुमति लेना अपेक्षित था।

वर्ष 2019-21 की अवधि के लिए तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि विभाग ने जब्त की गई अवैध शराब के भंडारण के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया था। 2019-21 की अवधि के लिए जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट करने के विवरण नीचे तालिका 8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 8: जब्त की गई शराब को नष्ट करने में विलंब

क्र. सं.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त का नाम	जब्त की अवधि	आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय से नष्ट करने के लिए मांगी गई अनुमति	आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय से प्राप्त की गई अनुमति	शराब को नष्ट करने में विलंब (माह में)
1	पानीपत	जुलाई 2017 से मार्च 2018	मई 2019	जून 2019	10 से 34
		अप्रैल 2018 से मार्च 2020	फरवरी 2021	मार्च 2021	
2	सोनीपत	जनवरी 2018 से अगस्त 2018	दिसंबर 2018	जनवरी 2019	01 से 22
		अगस्त 2018 से जून 2020	जून 2020	अगस्त 2020	
		फरवरी 2019	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	
3	फरीदाबाद	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	अप्रैल 2019	मई 2019	01 से 14
		अप्रैल 2019 से सितंबर 2019	नवंबर 2019	दिसंबर 2019	
		अक्टूबर 2019 से मार्च 2020	दिसंबर 2020	दिसंबर 2020	

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

इस प्रकार, जब्त की गई अवैध शराब को प्रधान कार्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एक से 34 माह के विलंब से नष्ट किया गया था। जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट करने में देरी शराब की चोरी के जोखिम से भी भरी थी। शराब की चोरी के दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) एक फर्म को 2016-17 में एल-1-एबी²⁰ का लाइसेंस प्रदान किया गया था। अगस्त 2016 में लाइसेंसधारी के परिसरों की जांच की गई थी और विभाग द्वारा स्टॉक की कमी के रूप में अनियमितताएं देखी गई थीं। कलेक्टर-सह-अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (मुख्यालय) ने सितंबर 2016 में लाइसेंस रद्द कर दिया और शराब को सीमा थियेटर में स्थानांतरित करने के साथ-साथ प्रतिभूति जब्त करने का आदेश दिया। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत के कार्यालय द्वारा अक्टूबर 2016 में गोदाम को सील कर दिया गया था। सील करते समय फर्म का भौतिक स्टॉक 5,539 मामले था। फर्म ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला के समक्ष अपील की, जिसे दिसंबर 2016 में खारिज कर दिया गया था। आगे, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसमें इस निर्देश के साथ निर्णय लिया गया था कि यदि फर्म ₹ 2.22 करोड़ की पेनल्टी का भुगतान करती है तो लाइसेंसधारक का लाइसेंस बहाल किया जाएगा। फर्म पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चली गई और फर्म की अपील दिसंबर 2018 में बिना किसी राहत के निपटा दी गई थी।

इस दौरान अक्टूबर 2016 में सील किए गए गोदाम की विभाग द्वारा निगरानी नहीं की जा रही थी। गोदाम को सील करने वाले आबकारी विभाग के अधिकारी ने गोदाम का नियंत्रण एक निजी व्यक्ति अर्थात् गोदाम के प्रबंधक पर छोड़ दिया। प्रभावी रूप से, स्टॉक का नियंत्रण उस व्यक्ति पर छोड़ दिया गया था जिसके विरुद्ध विभाग ने लाइसेंस रद्द करने के रूप में कार्रवाई की थी। आगे, कलेक्टर द्वारा लाइसेंस रद्द करने के आदेश के बाद भी, गोदाम में सील की गई शराब के मामलों को भंडारण के निर्धारित स्थान अर्थात् सीमा थियेटर में स्थानांतरित नहीं किया गया था, जो नीचे तालिका 9 में दर्शाए गए अनुसार स्टॉक की चोरी को सुगम बनाता है:

तालिका 9: जब्त किए गए स्टॉक की चोरी के विवरण

फर्म का सीलबंद स्टॉक (अक्टूबर 2016): 5,539 मामले		
चोरी की तारीख	कम मात्रा में मिली शराब के मामले	की गई कार्रवाई
07 अप्रैल 2018	1,782	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई थी। गोदाम के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट अभिलेख में नहीं पाई गई थी। गोदाम की देखरेख के लिए कोई कार्मिक तैनात नहीं किया गया। चोरी के बाद भी शराब को भंडारण के निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया।
28 अप्रैल 2020	2,925	गोदाम की देखरेख के लिए कोई आबकारी/पुलिस कार्मिक तैनात नहीं किया गया। 832 मामलों का बचा हुआ स्टॉक मई 2020 में आधिकारिक गोदाम (सीमा थियेटर, पानीपत) में स्थानांतरित किया गया। यह चोरी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई।

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित

²⁰

एल1एबी-हरियाणा के नॉन-डिस्टिलर के लिए थोक लाइसेंस।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत ने बताया (अक्टूबर 2021) कि सील किए गए गोदाम की देखभाल के लिए अप्रैल 2020 में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इस प्रकार, अक्टूबर 2016 में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), पानीपत द्वारा जो कार्रवाई की जानी थी, वह वास्तव में दूसरी चोरी के बाद की गई थी और विभाग की ओर से निष्क्रियता के कारण, शराब की चोरी के मामले सामने आए थे। इसके अतिरिक्त, इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क के कारण राज्य के खजाने को नुकसान हुआ। यह देखा गया कि विभाग ने ऐसी चोरी के कारण हुई हानि का आंकलन नहीं किया।

(iii) 4 फरवरी 2019 को मतिंदू चौक, खरखौदा स्थित एक गोदाम में अवैध शराब के कुल 3,967 मामलों का पता चला। आबकारी दल ने कार्यालय परिसर में जगह नहीं होने के कारण उसी परिसर में शराब को सील कर दिया। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जांच के दौरान (मई 2020) जब्त की गई अवैध शराब के 3,967 में से 2,832 मामले कम पाए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा 15 जनवरी 2021 अर्थात् 21 माह के विलम्ब के बाद शेष अवैध रूप से जब्त की गई शराब का निपटान किया गया था। आगे, विभाग ने मामले को तय करने में तत्परता नहीं दिखाई थी क्योंकि 10 फरवरी 2020 को पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 के अंतर्गत ₹ 25.80 लाख का पेनल्टी लगाई गई थी, अर्थात् अवैध शराब का पता लगने के एक साल बाद, जिसमें से ₹ 24.80 लाख की राशि बकाया थी। इस प्रकार, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत की ओर से जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट करने में निष्क्रियता और मामले का फैसला करने में देरी ने शराब की चोरी के 2,832 मामलों को सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भी नुकसान हुआ। यह देखा गया कि विभाग ने ऐसी चोरी के कारण हुई हानि का आंकलन नहीं किया।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फरीदाबाद (दिसंबर 2021) और उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत ने बताया (अक्टूबर 2021) कि जब्त की गई शराब को नष्ट करने की अनुमति समय पर मांगी गई थी और प्रधान कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद शराब को नष्ट कर दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट करने की अनुमति के लिए अनुरोध विलंब से किया गया था तथा देरी का बड़ा हिस्सा संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) के कार्यालयों की ओर से था।

11 मई 2020 के आदेश के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) ने अन्य बातों के साथ-साथ शराब की अवैध बिक्री, राज्य की आबकारी नीति में निहित प्रावधानों का पालन न करना, लॉकडाउन अवधि (कोविड 19 संबंधित) के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने में विफलता, जब्त की गई शराब को नष्ट करने के साथ-साथ जब्त शराब के मामलों में पेनल्टी लगाने और पेनल्टी की वसूली करने में विफलता को भी प्रकट किया था।

पुलिस द्वारा शराब की जब्ती से संबंधित मामले

3.4.7.4 जब्त की गई/भंडार में रखी गई अवैध शराब को विलंब से नष्ट करना/नष्ट करना

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 47 में प्रावधान है कि आबकारी, पुलिस का कोई भी अधिकारी, जो ऐसे रैंक से नीचे का न हो और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन हो जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, धारा 61 या धारा 63 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और किसी भी नशे को जब्त और हिरासत में ले सकता है, जिसके बारे में उसके पास इस अधिनियम के अंतर्गत जब्ती के लिए उत्तरदायी होने का कारण हो।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), सोनीपत एवं पानीपत में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 23 पुलिस थानों ने एक माह से 25 माह की असामान्य देरी के साथ साढ़े सात महीने की औसत देरी से जब्त की गई/भंडार में रखी गई अवैध शराब को नष्ट किया (*परिशिष्ट XVIII*)। यह भी देखा गया है कि 19 पुलिस थानों में 2019-21 के दौरान जब्त की गई 35,739 बोतलें, 215 लीटर लाहन और चार बोरी शराब (*परिशिष्ट XIX*) को फरवरी 2022 तक नष्ट नहीं किया गया था। शराब को नष्ट न करने से शराब की चोरी का जोखिम हो सकता है जैसा कि **उप-अनुच्छेद 3.4.7.3** में वर्णित है। जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट करने के तरीके या प्रक्रिया पर अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि पुलिस द्वारा अवैध शराब की जब्ती के मामले सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद, जब्त की गई शराब को नष्ट करने के लिए नियुक्त समिति²¹ को जब्त की गई अवैध शराब के नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी होने पर घोषणा प्रमाण-पत्र जारी करना अपेक्षित था। समिति को जब्त की गई शराब को नष्ट करने से पहले उसकी ब्रांड वार मात्रा की जांच भी करनी थी। लेखापरीक्षा के दौरान, इन समितियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थीं:

- i. समिति की कार्यवाही पर तिथि अंकित नहीं थी या समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के अंतर्गत कोई तिथियां नहीं थीं।
- ii. उस जगह/स्थान का कोई उल्लेख नहीं था जहां पर जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया गया था।
- iii. जब्त की गई अवैध शराब (ब्रांड-वार) को नष्ट करने की कवायद को सफलतापूर्वक पूरा करने पर नष्ट प्रमाण-पत्र के साथ कोई साक्ष्य संलग्न नहीं था।

²¹ समिति में संबंधित जिले के उपायुक्त के प्रतिनिधि, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) शामिल थे और इसमें पुलिस, आबकारी और राजस्व प्राधिकारियों के अधिकारी शामिल थे।

3.4.7.5 पेनल्टी की वसूली न होना

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (एएए) (i) (हरियाणा राज्य में यथा लागू) में प्रावधान है कि 31 मार्च 2020²² से पहले अवैध²³ शराब रखने के दोषी से 750 प्रति मिलीलीटर या उसके हिस्से की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्राह्य है। अधिनियम में संशोधन के बाद, अवैध रूप से शराब रखने के लिए कारावास की सजा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और पेनल्टी जो ₹ 10 लाख तक हो सकती है।

आगे, हरियाणा अधिरोपण और दंड नियम, 2003 के नियम 3 और 4 में प्रावधान है कि आबकारी अधिकारी को अपराधी, शराब तथा परिवहन के साधन, यदि कोई हो, को हिरासत में लेना था तथा एक जब्ती ज्ञापन तैयार करना था और शराब तथा परिवहन के साधन, यदि कोई हो, को ऐसी हिरासत के चौबीस घंटे के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ कलेक्टर को अग्रेषित करना अपेक्षित था।

एस.पी. सोनीपत तथा पानीपत के कार्यालय के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पुलिस विभाग व आबकारी विभाग दोनों द्वारा अवैध शराब को जब्त किया गया था। यह देखा गया था कि न तो आबकारी विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई शराब की जानकारी थी और न ही पुलिस विभाग ने ऐसी किसी जब्ती के बारे में आबकारी विभाग को कोई समय पर सूचना दी। यह देखा गया था कि हरियाणा अधिरोपण एवं पेनल्टी नियम 2003 के नियम 3 एवं 4 में परिकल्पित अनुसार जब्ती के सभी मामलों को ऐसी हिरासत के चौबीस घंटे के भीतर कलेक्टर को अग्रेषित करना अपेक्षित था लेकिन 9,434.5 बोतल शराब की जब्ती के संबंध में सूचना कलेक्टर-सह-उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को नहीं भेजी गई थी और पुलिस विभाग के पास पड़ी थी। परिणामस्वरूप, कलेक्टर जब्ती के मामलों को अंतिम रूप नहीं दे सके जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम ₹ 4.72 लाख से अधिकतम ₹ 47.17 लाख तक की पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ (परिशिष्ट-XX)।

3.4.7.6 जब्त की गई शराब का लेखांकन न करना

आबकारी या पुलिस का कोई भी अधिकारी नशीला पदार्थ जब्त कर सकता है और हिरासत में रख सकता है, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह हरियाणा में लागू पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत जब्ती के लिए उत्तरदायी है। पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई अवैध शराब को आगे की कार्रवाई के लिए रजिस्टर-19²⁴ में दर्ज किया जाता है।

²² अधिनियम में एक संशोधन द्वारा प्रावधान में 31 मार्च 2020 से संशोधन किया गया था।

²³ 'अवैध' अल्कोहल, पंजीकृत और वैध विनिर्माताओं की अनुमोदित और विनियमित उत्पादन प्रक्रियाओं के बाहर अवैध रूप से उत्पादित की जाती है।

²⁴ पुलिस विभाग का एक आंतरिक दस्तावेज जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त की गई सामग्री के मामले शामिल हैं।

एस.पी., सोनीपत के कार्यालय के वर्ष 2019-20 और 2020-21 के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2019-21 के दौरान जब्त की गई अवैध शराब के 30 मामलों का पुलिस विभाग द्वारा लेखांकन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-XXI)। इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने जब्त की गई शराब की मात्रा की समय-समय पर जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप जब्त की गई 533 बोतल शराब खाते से बाहर रह गई थी। इससे जब्त की गई शराब के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

3.4.7.7 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की गतिविधियों में कमियों के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जैसे कि राजस्व के बेहतर संग्रहण और संगठन के भीतर विभिन्न खामियों को दूर करने के लिए समुचित और समयबद्ध मूल्यांकन और देयों की वसूली तथा अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन एवं उचित लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी करना, आदि। विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग आबकारी एवं कराधान विभाग के समग्र नियंत्रण में कार्य कर रहा था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में लेखा शाखा के प्रभारी लेखा अधिकारी को सहायक कर्मचारियों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया था। वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित सभी 23 इकाइयों की विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिए नियोजित 23 इकाइयों में से 14 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी (नवंबर 2021)।

लेखापरीक्षा में विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी लेखापरीक्षा मानक या दिशा-निर्देश नहीं मिले और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा कर्मियों के प्रमुख कर्तव्यों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन से संबंधित प्रथाओं और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने वाली कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं थी। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के लिए कर्मचारियों की स्थिति नीचे तालिका 10 में दी गई है:

तालिका 10: आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के लिए स्टाफ की स्थिति

पद	संस्वीकृत पद	तैनात व्यक्ति	रिक्त पद
मुख्य लेखा अधिकारी	1	1	-
लेखा अधिकारी	5	3	2
अनुभाग अधिकारी	14	5	9

स्रोत: विभागीय अभिलेख

इस प्रकार, पर्याप्त श्रमशक्ति, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की योजना, निष्पादन, अभ्युक्तियों की रिपोर्टिंग और टिप्पणियों के अनुवर्तन के लिए दिशा-निर्देशों के अभाव ने आबकारी एवं कराधान विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा को अप्रभावी बना दिया।

3.4.8 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय के 2019-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान जून 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से कुछ आंकड़े, अभिलेख एवं दस्तावेज मांगे गए थे। तत्पश्चात, कलेक्टर सह-संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ जुलाई 2021 में एग्जिट कॉन्फ्रेंस में अभिलेख प्रस्तुत न करने का मामला पुनः उठाया गया था। तथापि, अगस्त 2021 और जनवरी 2022 में विभागाध्यक्ष स्तर पर मामले को उठाए जाने के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे जैसा कि तालिका 11 में वर्णित है:

तालिका 11: लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई सूचना के विवरण

क्र. सं.	के संबंध में अभिलेखों की सूची/सूचना	संबंधित विंग/शाखा	मांग की तारीख/मांग की संख्या	अनुस्मारक की तिथि	सूचना की स्थिति
1	होलोग्राम का कार्यान्वयन	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-6867 दिनांक 28 जून 2021	ओ.बी.एस.- 118921 15 जुलाई 2021	प्राप्त नहीं हुई
2	डिस्टीलरियों/ब्रेवरीज बॉटलिंग प्लांट आदि का निरीक्षण	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-6969 दिनांक 29 जून 2021		
3	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) एप्लिकेशन	सूचना प्रौद्योगिकी	ए.ई.एन.क्यू.-7297 दिनांक 05 जुलाई 2021		
4	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी और आबकारी निरीक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-7687 दिनांक 08 जुलाई 2021		
5	अवैध शराब की जब्ती	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-8104 दिनांक 13 जुलाई 2021		
6	परमिट पास जारी करना	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-8106 दिनांक 13 जुलाई 2021		
7	नीति प्रावधानों का पालन न करना	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-8154 दिनांक 13 जुलाई 2021		
8	मानव उपभोग के लिए विकृतीकरण स्पिरिट को प्रस्तुत करना	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-8315 दिनांक 14 जुलाई 2021		
9	जब्त की गई शराब को नष्ट करना/भंडारण	आबकारी	ए.ई.एन.क्यू.-8308 दिनांक 14 जुलाई 2021		
10	क्विक रिस्पांस आधारित होलोग्राम	आबकारी	ए.आर.ई.क्यू.-9342 दिनांक 15 जुलाई 2021		
11	मार्च 2020 में आबकारी अधिनियम, 1914 में संशोधन किया गया	आबकारी	ए.आर.ई.क्यू.-9342 दिनांक 15 जुलाई 2021		

अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में सार्वजनिक व्यय/राजस्व, व्यय की उपयुक्तता अथवा राजस्व संबंधी कार्रवाई/निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.4.9 निष्कर्ष

आबकारी राजस्व राज्य सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने बकाया उत्पाद शुल्क की आवधिक जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया था क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसधारियों से मासिक लाइसेंस फीस, ब्याज, पेनल्टी, कोविड उपकर की अवसूली/कम वसूली के मामले देखे गए थे। उल्लंघन के मामलों का निर्णय करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी क्योंकि विभिन्न स्तरों पर देरी, लाइसेंस रद्द करने के बाद भी लाइसेंसों को परमिट/पास जारी करने के मामले देखे गए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि आबकारी नीतियों के प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे, क्विक रिस्पांस आधारित होलोग्राम की स्थापना से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था; पारगमन पर्चियां, आदि नहीं थीं। राज्य सरकार ने अनाज से शराब के उत्पादन के लिए मानदंड निर्धारित नहीं किए थे जिसके कारण उत्पादन में अत्यधिक अपव्यय पर संभावित राजस्व हानि संभव है। आबकारी एवं पुलिस विभाग के मध्य समन्वय न होने के कारण जब्त की गई शराब पर 1,517 दिनों तक के विलंब से पेनल्टी लगाई गई थी। विभाग ने जब्त की गई शराब को समय पर नष्ट नहीं किया, जिससे भारी मात्रा में जब्त की गई शराब की चोरी के मामले सामने आए। विभाग माइक्रोब्रेवरीज से सैंपल लेने में विफल रहा। डिस्टीलरियों के पास पड़े बिना बिके स्टॉक से संबंधित अभिलेखों की विभाग द्वारा निगरानी नहीं की गई थी। आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध शराब के अपराधियों को रिहा किया गया था। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के पास कोई नियमावली नहीं थी। प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पूर्ववर्ती अनुच्छेद में प्रकट ₹ 116.76 करोड़ की अवसूली/कम वसूली से प्रमाणित होती है। मार्च 2022 में एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

3.4.11 सिफारिशें

सरकार, निम्नलिखित पर विचार करे:

- इसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र को बढ़ाने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना,
- ब्याज के उद्ग्रहण एवं संग्रहण की गणना में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए विभिन्न नियंत्रण रजिस्ट्रों जैसे एम-2 आदि को एक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली के साथ बदलना,
- उल्लंघन के मामलों और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट तय करने के लिए समय सीमा नितय करना, और
- अनाज से अल्कोहल के उत्पादन के लिए मानदंड नियत करना।

अध्याय-4
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-4: स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रबंधन

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की प्राप्तियां हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908, पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। पंजीकरण महानिरीक्षक की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2020-21 के दौरान राजस्व विभाग के 143 यूनिटों में से 43 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच में 715 मामलों में ₹ 20.47 करोड़ राशि के (2019-20 के लिए ₹ 6,013.30 करोड़ की प्राप्ति का 0.34 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो तालिका 4.1 में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत हैं:


तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	1	0.0012
2.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	337 258	14.79 3.72
3.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	23	0.43
4.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	10	0.09
5.	विविध अनियमितताएं	86	1.44
	योग	715	20.47

स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

चार्ट 4.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

विभाग ने 328 मामलों में आवेष्टित ₹ 11.84 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 15 मामलों में आवेष्टित ₹ 0.06 करोड़ वसूल किए।

₹ 12.12 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

4.3 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

खून के रिश्तों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के 23 दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 23.64 लाख के राजस्व की हानि हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, दस्तावेज भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अधीन शुल्क के साथ प्रभाय हैं और भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 में निहित छूट, उस अनुसूची में उचित शुल्क के रूप में इंगित राशि के अधीन हैं। राज्य सरकार के पास सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 के अनुसार शुल्कों को कम करने, माफ करने या संयोजित करने की शक्ति है। सरकार के 16 जून 2014 के आदेश के अनुसार सरकार, दस्तावेज पर प्रभाय स्टाम्प शुल्क को हटा

देगी, यदि यह मालिक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान परिवार के भीतर अचल संपत्ति को माता-पिता, बच्चों, पोते-पोतियों, भाई (यों), बहन (नों) और पति या पत्नी के मध्य जैसे किसी भी खून के रिश्तों में हस्तांतरित करने से संबंधित है।

वर्ष 2017-20 के लिए नौ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹ के संबंध में हस्तांतरण विलेखों के पंजीकृत दस्तावेजों के अभिलेखों (69,656 मामलों में से 13,471 मामले) की संवीक्षा (मार्च 2019 और दिसंबर 2020 के मध्य) से पता चला कि हस्तांतरण विलेखों के 23 दस्तावेज सरकार के उपर्युक्त आदेशों में अनुमत व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों ("चचेरा भाई", "चचेरा चाचा", "भांजा", "भतीजा" और "बुआ" जैसा कि अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के विलेख/दस्तावेज से सत्यापित किया गया) के पक्ष में निष्पादित किए गए थे। सरकार ने इन दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की छूट दी। स्टाम्प शुल्क की इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 23.64 लाख (स्टाम्प शुल्क ₹ 21.29 लाख + पंजीकरण फीस ₹ 2.35 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार, पुंडरी ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि एक मामले में ₹ 0.07 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। सब-रजिस्ट्रार, थानेसर ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि कलेक्टर ने ₹ 2.58 लाख के लिए मामले का निर्णय कर दिया था और वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। सब-रजिस्ट्रार, नीलोखेड़ी ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामला भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। शेष सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों² ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामले मई 2018 और फरवरी 2021 के मध्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टरों के पास भेजे गए थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करे कि अनुमत खून के रिश्तों के अलावा किए गए किसी भी पंजीकरण को स्वचालित रूप से पहचाना जा सके और तदनुसार स्टाम्प शुल्क का मूल्यांकन किया जा सके।

¹ गुहला, इस्माइलाबाद, कैथल, कलायत, नीलोखेड़ी, पुंडरी, राजौंद, सीवान और थानेसर।

² गुहला, इस्माइलाबाद, कैथल, कलायत, पुंडरी, राजौंद और सीवान।

4.4 नगर निगमों/ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों द्वारा/के लिए उद्गृहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण/संग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लेनदेन मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से प्रभारण/उद्ग्रहण के बिना नगर निगमों/ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में 197 बिक्री विलेख पंजीकृत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.71 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

क. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87(1)(सी) के अनुसार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत लगाए गए शुल्क के अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर उसमें निर्दिष्ट विवरण के प्रत्येक दस्तावेज पर शुल्क, हरियाणा राज्य में उस समय लागू के रूप में और ऐसी दर पर, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है, प्रभारित किया जाता है। विभागीय वेब-हैलरिस प्रणाली दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क की देय राशि की संगणना/परिकलन करती है। यह प्रणाली अतिरिक्त दो प्रतिशत के स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण के लिए नगर निगम की सीमा के भीतर आने वाले गांवों की पहचान स्वतः करती है।

रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार दस्तावेज के पंजीकरण के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर के रूप में उक्त शुल्क संगृहीत करते हैं और इसकी सूचना तुरंत नगर निगम को भेजी जाती है। इस प्रकार संगृहीत शुल्क का भुगतान अधिसूचना संख्या 9/33/2000-5सी.आई. दिनांक 11 मार्च 2004 द्वारा नगर निगम को किया जाना है, सरकार ने 25 फरवरी 2004 से उपर्युक्त क्लॉज के प्रयोजन हेतु दो प्रतिशत शुल्क उद्गृहीत किया।

शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) विभाग, हरियाणा सरकार ने अधिसूचना³ द्वारा 29 गांवों के साथ एक नए नगर निगम, मानेसर का गठन किया और अधिसूचना⁴ के अंतर्गत नगर निगम, गुरुग्राम की नगर सीमा में 16 गांवों को शामिल किया।

वर्ष 2019-21 के लिए गुरुग्राम जिले के सात⁵ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों के अभिलेखों (1,44,582 मामलों में से 2,358 मामलों) की संवीक्षा (जून और अगस्त 2021 के मध्य) के दौरान यह पता चला कि इन दो नगर निगमों के क्षेत्र में आने वाले 173 दस्तावेजों को ₹ 277.19 करोड़ के मूल्य पर पंजीकृत किया गया था और ₹ 17.94 करोड़ की उद्ग्राह्य राशि के विरुद्ध ₹ 12.44 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया गया था। इन नगर निगम गांवों को वेब-हैलरिस प्रणाली में समय पर अद्यतन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इन दो नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में ₹ 5.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

³ संख्या एस.ओ.58/एच.ए. 16/1994/एस.3/2020 दिनांक 24 दिसंबर 2020.

⁴ संख्या एस.ओ.59/एच.ए.16/1994/एस.3/2020 दिनांक 28 दिसंबर 2020.

⁵ बादशाहपुर, फारुख नगर, गुरुग्राम, हरसरू, कादीपुर, मानेसर और वजीराबाद।

यह इंगित किए जाने पर, सब रजिस्ट्रार, मानेसर ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि 20 मामलों में ₹ 42.78 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। शेष सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

ख. हरियाणा सरकार ने अधिसूचना⁶ के माध्यम से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 41 के अंतर्गत प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के पश्चात प्रभावी सभा क्षेत्र में स्थित संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक दस्तावेज, अर्थात् अचल संपत्ति की बिक्री, उपहार, गिरवी और अन्य हस्तांतरण, पर स्टाम्प शुल्क की निर्दिष्ट राशि पर अधिभार के रूप में दो प्रतिशत शुल्क लगाया। रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार संगृहीत शुल्क संबंधित ग्राम पंचायत और जिला परिषद को समान अनुपात में प्रेषित किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए.) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संगृहीत राशि को संबंधित ग्राम पंचायत और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को समान अनुपात में प्रेषित किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2019-21 के लिए गुरुग्राम जिले के सब-रजिस्ट्रार, सोहना के अभिलेखों (15,484 मामलों में से 157 मामलों) की संवीक्षा के दौरान (जुलाई 2021) यह अवलोकित किया गया था कि संबंधित नगर निगम के क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले, अर्थात् सभा क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले, 24 दस्तावेज ₹ 10.85 करोड़ के मूल्य पर पंजीकृत किए गए और ₹ 0.42 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया गया। तथापि, इन मामलों में ₹ 0.63 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य था। इस प्रकार अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सब-रजिस्ट्रार, सोहना ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि दो प्रकरणों में ₹ 3.52 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। शेष सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करे कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए सरकार की अधिसूचनाओं को प्रभावी तिथियों से लागू किया जाता है।

⁶ संख्या एस.ओ.4/एच.ए. 11/1994/एस.41/2021 दिनांक 09 फरवरी 2021.

4.5 अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर 83 विलेख पंजीकृत किए गए थे, जिन पर भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) के अनुसार उद्ग्राह्य ₹ 7.29 करोड़ के बजाय ₹ 2.36 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की गई थी, परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अनुसार यदि पंजीकरण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु, जैसा भी मामला हो, कलेक्टर के पास भेज सकता है।

11 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों⁷ के अभिलेखों (1,20,076 मामलों में से 23,990 मामले) की संवीक्षा (जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) में यह पाया गया था कि अप्रैल 2018 से जून 2020 के मध्य पंजीकृत 83 बिक्री विलेखों का निर्धारण कलेक्टर द्वारा कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया गया था, जिसमें इन संपत्तियों का मूल्य ₹ 42.79 करोड़ था, जिस पर ₹ 2.36 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 2.25 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.11 करोड़) उद्गृहीत की गई थी। तथापि, कलेक्टर की दर सूची/पंजीकृत दस्तावेज के अभिलेखों/पटवारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में दिए गए भू-अभिलेख/खसरा नंबरों के अनुसार ये अचल सम्पत्तियां आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियां थीं। इन अचल संपत्तियों के मूल्य का निर्धारण कलेक्टर द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए निर्धारित दरों पर ₹ 114.83 करोड़ निर्धारित किया जाना था, जिस पर ₹ 7.29 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 7.01 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.28) करोड़) उद्ग्राह्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ (स्टाम्प शुल्क ₹ 4.76 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.17 करोड़) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सब-रजिस्ट्रार, जगाधरी ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि चार प्रकरणों का निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जा चुका था परंतु वसूली लंबित थी। शेष सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास (अप्रैल 2018 और फरवरी 2021 के मध्य) भेजे गए थे।

⁷ अंबाला कैंट-10, नारायणगढ़-10, बिलासपुर-2, जगाधरी-9, प्रताप नगर-6, छछरौली-7, सरस्वती नगर-6, कैथल-22, ढांड-3, करनाल-5 और असंध-3.

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांग्रेस और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि सब-रजिस्ट्रार, ढांड के दो मामलों में ₹ 17.64 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी और यह भी बताया कि मामला विचाराधीन था और सभी जिला राजस्व अधिकारियों को सभी मामलों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार को राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में त्रुटियों का समय पर पता लगाने एवं सुधार सुनिश्चित करने तथा इंगित की गई गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए।

4.6 अचल संपत्ति में गलत दरें लगाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के अंदर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 18 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का निर्धारण आवासीय भूमि की बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) के अपवंचन की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर बेची गई कृषि भूमि 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र अथवा ऐसे मामलों में जहां खरीददार एक से ज्यादा थे तथा प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस लगाने के उद्देश्य से उस इलाके में आवासीय संपत्ति हेतु निर्धारित दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

नौ पंजीकरण कार्यालयों⁸ के 87,536 मामलों में से 17,749 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2019 और दिसंबर 2020 के मध्य) से पता चला कि उपर्युक्त अधिसूचना के उक्त पैमाने के अंतर्गत आने वाले 18 प्लॉटों के बिक्री विलेख मई 2017 तथा फरवरी 2020 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 10.12 करोड़ किया जाना था तथा ₹ 0.74 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 0.69 करोड़ तथा पंजीकरण फीस ₹ 0.05 करोड़) उद्ग्रह्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन विलेखों का निर्धारण कृषि भूमि के लिए नियत दरों के आधार पर ₹ 3.66 करोड़ किया और ₹ 0.21 करोड़ (स्टाम्प शुल्क ₹ 0.19 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.02 करोड़) का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 0.50 करोड़ + पंजीकरण फीस ₹ 0.03 करोड़) का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सब-रजिस्ट्रार, जगाधरी ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि तीन प्रकरणों का निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जा चुका था परंतु वसूली लंबित थी। शेष सभी सब-

⁸ अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, असंध, जगाधरी, कालका, करनाल, पंचकुला, राई और राजौंद।

रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास (जून 2020 और अक्टूबर 2021 के मध्य) भेजे गए थे।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस और अप्रैल 2022 में उत्तर में बताया कि सब-रजिस्ट्रार, राई के एक मामले में ₹ 2.13 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। आगे यह बताया गया था कि निर्देशों में संशोधन के लिए मामला पहले से ही विचाराधीन है।

4.7 प्राइम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा सरकार ने अनुदेशों के अंतर्गत (नवंबर 2000) राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों एवं लिंक सड़कों पर स्थित कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक भूमि की खसरा संख्या की पहचान करने का निर्देश दिया। आगे, हरियाणा सरकार ने कलेक्टर दरों को निर्धारित करने के लिए भूमि की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन के लिए राजस्व विभाग और नगर समितियों के अधिकारियों वाली जिला स्तरीय समितियों के गठन के लिए सितंबर 2013 में निर्देश जारी किए। आगे, हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां दस्तावेज में पूर्णतया अथवा सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए।

24 सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (जनवरी 2018 और जनवरी 2021 के मध्य) कि भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार प्राइम खसरा में स्थित 83 हस्तांतरण विलेख जुलाई 2016 और फरवरी 2020 के मध्य पंजीकृत किए गए थे जिनका निर्धारण प्राइम भूमि के लिए निर्धारित उच्च दर के आधार पर ₹ 33.73 करोड़ किया जाना था जिस पर ₹ 1.36 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.13 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। तथापि, विभागीय प्रणाली द्वारा प्रयुक्त संबंधित आई.टी. एप्लीकेशन में प्राइम खसरा का मानचित्रण न करने के कारण, सामान्य दरों के आधार पर अचल संपत्तियों को ₹ 23.99 करोड़ पर गलत ढंग से मूल्यांकन किया गया था और ₹ 0.90 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.09 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

⁹ अंबाला कैंट, असंध, बराड़ा, बालसमंद, बिलासपुर, छछरौली, ढांड, गन्नौर, इंद्री, इस्माइलाबाद, कलायत, खानपुर कलां, मतलौडा, मुलाना, निगधू, नीलोखेड़ी, प्रताप नगर, पेहोवा, पुंडरी, साहा, सांपला, शाहबाद, सढौरा और शहजादपुर।

यह इंगित किए जाने पर, आठ सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁰ ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि 16 मामलों में ₹ 5.20 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। 15 मामलों में सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹¹ ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे जा चुके थे। सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, नीलोखेड़ी ने सूचित किया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे जाएंगे।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस और अप्रैल 2022 में उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

विभाग स्टाम्प शुल्क के उचित मूल्यांकन के लिए संबंधित सूचना प्रौद्योगिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्राइम भूमि और कॉलोनियों/वार्ड/सेक्टरों की खसरा संख्या की पहचान और रिकॉर्ड दर्ज करे।

4.8 गैर-वास्तविक डिक्रियों को वास्तविक मानते हुए स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

तेरह समझौता डिक्रियां जो वास्तविक नहीं थी, बिना किसी स्टाम्प शुल्क के और ₹ 3.73 करोड़ के कुल प्रतिफल पर ₹ 650 की मामूली पंजीकरण फीस प्रभारित करके पंजीकृत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.84 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट हुई।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अंतर्गत, न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का, या पंचाट का अंतरण या समनुदेशन करने वाली गैर-वसीयतनामा लिखत जबकि ऐसी डिक्री या आदेश या पंचाट से यह तात्पर्यित हो या उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह अचल संपत्ति पर या अचल संपत्ति में ₹ 100 या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित हो या समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, सृष्ट, घोषित, परिसीमित या निरवापित करती हो, अनिवार्य पंजीकरण योग्य दस्तावेज है। इस प्रकार, एक समझौता डिक्री¹², जो वास्तविक¹³ नहीं है, हस्तांतरण दस्तावेज के रूप में प्रभारित किए जाने के लिए देय है। वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ने सितंबर 1996 में सभी पंजीकृत प्राधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि समझौता डिक्री के आधार पर पंजीकृत उत्परिवर्तित संपत्ति, जो कि वास्तविक नहीं थी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुसार हस्तांतरण दस्तावेज के रूप में प्रभारित किए जाने हेतु देय थी। सब-रजिस्ट्रारों को प्रत्येक दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित

¹⁰ असंध, बालसमंद, बिलासपुर, ढांड, खानपुर कलां, निगधू, सढौरा और साहा।

¹¹ अंबाला कैंट, बराड़ा, बिलासपुर, छछरौली, गन्नौर, इंद्री, इस्माइलाबाद, कलायत, मतलौडा, मुलाना, प्रताप नगर, पेहोवा, पुंडरी, सांपला, शाहबाद और शहजादपुर।

¹² आपसी सहमति से संपत्ति का निपटान।

¹³ खून के रिश्तों के मध्य।

किया जा सके कि स्टाम्प शुल्क के अपवंचन का जानबूझकर कोई प्रयास नहीं किया गया था और उस पर अधिनियम के अंतर्गत उचित रूप से स्टाम्प लगाई गई थी।

क. सब-रजिस्ट्रार, पानीपत के अभिलेखों की नवंबर 2018 में संवीक्षा में यह देखा गया था कि अचल संपत्तियों को वादी के पक्ष में अदालत के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। विलेख को मार्च 2018 में पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण प्राधिकारी ने विलेख को बिना किसी स्टाम्प शुल्क के वास्तविक के रूप में पंजीकृत किया और ₹ 0.60 करोड़ के कुल प्रतिफल पर ₹ 50 की नाममात्र पंजीकरण फीस प्रभारित की। तथापि, इस विलेख में भूमि डिक्री के माध्यम से वादी को हस्तांतरित की गई थी, पार्टियों के द्वारा बिक्री समझौते को निष्पादित किया गया था। इसलिए, इसे बिक्री के रूप में माना जाना अपेक्षित था तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ए के अनुसार ₹ 4.35 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी और यह विलेख भी वास्तविक नहीं था। पंजीकरण प्राधिकारियों ने सितंबर 1996 के उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया तथा तथ्यों का सत्यापन किए बिना स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.35 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 4.20 लाख और पंजीकरण फीस ₹ 0.15 लाख) की अनियमित छूट हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सब-रजिस्ट्रार, पानीपत ने फरवरी 2022 में सूचित किया कि मामला मार्च 2018 में निर्णय के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 ए के अंतर्गत कलेक्टर के पास भेजा गया था और कलेक्टर के स्तर पर लंबित था।

(ख) अचल संपत्तियों के विनिमय से संबंधित समझौता विलेख

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ए के अनुसार दो पक्ष अपनी अचल संपत्तियों का विनिमय कर सकते हैं और इसे 'विनिमय' श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, जिस पर अधिक मूल्य वाली संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा।

पांच सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों¹⁴ के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2019 और अक्टूबर 2020 के मध्य) ने दर्शाया कि अचल संपत्तियों के विनिमय से आवेष्टित बारह समझौता डिक्रियां (सिविल न्यायालय के आदेशों की प्रक्रिया के माध्यम से) जुलाई 2017 और जनवरी 2019 के मध्य स्टाम्प शुल्क प्रभारित किए बिना पंजीकृत की गई थीं और ₹ 3.13 करोड़ के कुल प्रतिफल पर ₹ 600 की नाममात्र पंजीकरण फीस प्रभारित की गई थी। पार्टियों ने पारस्परिक रूप से संपत्तियों के अपने कब्जे का विनिमय किया था और इसलिए, ₹ 17.50 लाख¹⁵ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.49 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 16 लाख और पंजीकरण फीस ₹ 1.49 लाख) की अनियमित छूट हुई।

¹⁴ बल्ला, गुहला, जगाधरी, कैथल और करनाल।

¹⁵ उस भूमि के लिए कलेक्टर दरों पर मूल्यांकन के आधार पर परिगणित।

यह इंगित किए जाने पर सब-रजिस्ट्रार, जगाधरी ने फरवरी 2022 में सूचित किया कि दो प्रकरणों को निर्णय के लिए अगस्त एवं नवम्बर 2021 में कलेक्टर के पास भेजा गया था। सब-रजिस्ट्रार, करनाल ने बताया कि मामला अधिनियम की धारा 47ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजा गया था। बल्ला, गुहला एवं कैथल के सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों ने बताया (सितंबर एवं अक्टूबर 2020 के मध्य) कि प्रकरणों को अधिनियम की धारा 47ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

विभाग ने मार्च 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में और अप्रैल 2022 में उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

सरकार को जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करना चाहिए।

विशाल बंसल

(विशाल बंसल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक: 21 जून 2022

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 28 जून 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लंबित रही/31 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2016-17	2017-18	2018-19	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट अनुच्छेद/लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित	12	12	12	36
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	12	12	12	36
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट अनुच्छेद/लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित	2	2	2	6
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	2	शून्य	2
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट अनुच्छेद/लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित	8	8	1	17
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	8	शून्य	8
राज्य उत्पाद शुल्क/यात्री एवं वस्तु कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट अनुच्छेद/लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित	2	5	2	9
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	2	5	2	9
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट अनुच्छेद/लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित	2	1	3	6
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	शून्य	3	3
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट अनुच्छेद/लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित	26	28	20	74
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों की कृत कार्रवाई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई	14	27	17	58

परिशिष्ट II
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति/सेक्टर)
के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31.03.2021 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2014-15 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1	22वीं	1979-80	3
2	23वीं	1980-81	4
3	25वीं	1981-82	4
4	26वीं	1982-83	3
5	28वीं	1983-84	2
6	29वीं	1984-85	7
7	32वीं	1985-86	4
8	34वीं	1986-87	9
9	36वीं	1987-88	6
10	38वीं	1988-89	10
11	40वीं	1989-90	21
12	42वीं	1990-91, 91-92, 92-93	26
13	44वीं	1990-91, 91-92, 92-93	39
14	46वीं	1993-94	9
15	48वीं	1993-94, 1994-95	10
16	50वीं	1993-94, 94-95, 1995-96	40
17	52वीं	1996-97	29
18	54वीं	1997-98	39
19	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20	60वीं	2000-01	36
21	62वीं	2001-02	42
22	63वीं	2002-03	46
23	64वीं	2003-04	52
24	65वीं	2004-05	48
25	67वीं	2005-06	48
26	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	98
27	70वीं	2008-09	55
28	71वीं	2009-10	51
29	72वीं	2010-11	59
30	73वीं	2011-12	23
31	74वीं	2013-14	50
32	75वीं	2012-13	47
33	78वीं	2014-15	49
योग			1,033

परिशिष्ट II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर)
के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2014-15 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	497
2	राजस्व	226
3	खदान एवं भू-विज्ञान	52
4	कृषि	41
5	सिंचाई	9
6	चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर (विद्युत)	17
7	जन-स्वास्थ्य	5
8	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	4
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	100
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	7
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	5
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
	कुल योग	1,033

परिशिष्ट III

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.1)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (स्टाम्प शुल्क) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	धन मूल्य
2011-12	907	2,001	60.17	97	328	12.52	222	650	17.68	782	1,679	55.01
2012-13	782	1,679	55.01	89	220	8.58	70	210	7.44	801	1,689	56.15
2013-14	801	1,689	56.15	89	207	15.23	26	110	1.71	864	1,786	69.67
2014-15	864	1,786	69.67	89	314	22.43	25	107	3.20	928	1,993	88.90
2015-16	928	1,993	88.90	117	349	220.28	58	225	11.53	987	2,117	297.65
2016-17	987	2,117	297.65	105	536	89.27	64	259	23.58	1,028	2,394	363.34
2017-18	1,028	2,394	363.34	86	399	61.19	32	200	56.36	1,082	2,593	368.17
2018-19	1,082	2,593	368.17	99	460	70.16	48	283	31.83	1,133	2,770	406.50
2019-20	1,133	2,770	406.50	120	480	52.07	9	95	18.06	1,244	3,155	440.51
2020-21	1,244	3,155	440.51	60	261	16.10	2	17	9.11	1,302	3,399	447.50

परिशिष्ट IV

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.2)

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (स्टाम्प शुल्क) के स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2010-11	06	5.49	06	5.49	0.02	0.03
2011-12	06	4.13	06	4.13	शून्य	0.04
2012-13	07	65.27	07	65.27	0.13	1.93
2013-14	06 01 (सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा)	18.30 203.87	06 01 (सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा)	18.30 203.87	0.01 शून्य	0.39
2014-15	07	19.96	07	19.96	0.04	0.06
2015-16	09	42.33	09	42.33	शून्य	0.55
2016-17	08	66.69	08	66.69	0.01	0.58
2017-18	08	82.04	08	79.01	0.01	0.06
2018-19	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	25.86	01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	25.86	शून्य	0.05
2019-20	05	1.38	05	1.38	शून्य	0.04
योग	62 प्रारूप अनुच्छेद 01 (सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा) 01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	305.59 203.87 25.86	62 प्रारूप अनुच्छेद 01 (सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा) 01 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	302.56 203.87 25.86	0.22 - -	3.73
कुल योग	64	535.32	64	532.29	0.22	3.73

परिशिष्ट V

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.3)

श्रेणी-वार लेखापरीक्षा यूनीवर्स और नमूना चयन की सूची

रिफंड के कारणों का विवरण	मामलों की कुल संख्या		मामलों की कुल संख्या (चयनित इकाइयों के लिए)		नमूना मामले की संख्या (वस्तु एवं सेवा कर विंग द्वारा भेजा गया)		लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामले की संख्या	
	पूर्व- स्वचालन	पश्च- स्वचालन	पूर्व- स्वचालन	पश्च- स्वचालन	पूर्व- स्वचालन	पश्च- स्वचालन	पूर्व- स्वचालन	पश्च- स्वचालन
कोई अन्य	526	731	496	703	27	16	13	8
निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश (ए.एस.एस.ओ.आर.डी.) के कारण	14	64	13	62	3	4	2	2
इलेक्ट्रॉनिक केश लेज़र (ई.एक्स.बी.सी.एल.) में अतिरिक्त शेष	6,453	1,935	5,709	1,733	85	113	43	57
डीमंड एक्सपोर्ट (आपूर्तिकर्ता) (ई.एक्स.पी.एस.डी.ई.)	30	21	30	21	4	4	2	2
माल/सेवाओं का निर्यात-कर के भुगतान के बिना अर्थात् संचित आई.टी.सी. (ई.एक्स.पी.डब्लू.ओ.पी.)	6,845	2,811	6,748	2,771	522	390	260	195
सेवाओं का निर्यात - कर के भुगतान के साथ (ई.एक्स.पी. डब्लू.पी.)	980	210	975	205	8	8	4	4
इन्वर्टेड कर ढांचे के कारण संचित आई.टी.सी. (आई.एन.वी. आई.टी.सी.)	6,187	3,575	6,065	3,469	456	578	232	289
एस.ई.जेड इकाई/ एस.ई.जेड डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण (कर के भुगतान के बिना) (एस.ई.जेड. डब्लू.ओ.पी)	152	68	152	68	12	8	6	4
एस.ई.जेड. इकाइयों/एस.ई.जेड. डेवलपर्स (कर के भुगतान के साथ) (एस.ई.जेड.डब्लू.पी.) को की गई आपूर्ति के कारण	377	60	377	60	5	4	3	2
कर का अधिक भुगतान (एक्स.एस.पी.ए.वाई.)	154	325	141	307	8	8	4	4
अंतर-राज्य आपूर्ति पर भुगतान किया गया कर जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति और इसके विपरीत माना जाता है (आई.एन.टी.आर.वी.सी.)	7	2	5	1	3	0	2	0
डीमंड एक्सपोर्ट (प्राप्तकर्ता) (ई.एक्स.पी.आर.डी.ई)	51	8	50	7	0	3	0	1
	21,776	9,810	20,761	9,407	1,133	1,136	571	568

परिशिष्ट VI

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5.1 (ग)}

रिफंड मामलों की सूची जिनमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिफंड स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया था

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	रिफंड मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया (₹ में)
1	डी.ई.टी.सी. अंबाला	3	2,511
2	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पूर्व)	5	16,717
3	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (उत्तर)	5	7,91,811
4	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (दक्षिण)	3	22,310
5	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पश्चिम)	4	14,450
6	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व)	23	35,26,178
7	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (उत्तर)	13	3,55,805
8	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (दक्षिण)	8	2,06,902
9	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम)	2	3,416
10	डी.ई.टी.सी. हिसार	1	863
11	डी.ई.टी.सी. जगाधरी	6	18,701
12	डी.ई.टी.सी. झज्जर	5	1,29,740
13	डी.ई.टी.सी. करनाल	17	4,81,218
14	डी.ई.टी.सी. पंचकुला	5	31,881
15	डी.ई.टी.सी. पानीपत	14	1,20,783
16	डी.ई.टी.सी. रेवाड़ी	2	78,159
17	डी.ई.टी.सी. रोहतक	1	7,962
18	डी.ई.टी.सी. सोनीपत	17	4,40,013
	योग	134	62,49,420

परिशिष्ट VII

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5.2 (ग) (i)}

रिफंड के मामलों की सूची जिनमें रिफंड की प्रदानगी के लिए अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर विचार किया गया था

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	रिफंड मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	आरएफडी-01 में दावा किया गया निवल आई.टी.सी.	निवल आई.टी.सी. रिफंड के लिए विचार किए जाने योग्य	स्वीकृत रिफंड की राशि	योग्य आई.टी.सी. के अनुसार देय रिफंड की राशि	स्वीकृत अधिक रिफंड
1	डी.ई.टी.सी. अंबाला	1	4,41,13,621	4,04,52,657	25,55,962	23,07,741	2,48,221
2	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पश्चिम)	1	41,81,453	39,29,438	23,53,246	23,05,389	47,857
3	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (उत्तर)	1	1,17,63,206	1,10,33,049	1,17,47,620	1,10,18,430	7,29,190
4	डी.ई.टी.सी. करनाल	1	34,11,514	32,78,351	4,32,915	3,12,998	1,19,917
5	डी.ई.टी.सी. सोनीपत	4	1,62,43,609	1,52,56,057	1,01,06,371	93,38,148	7,68,223
	योग	8	7,97,13,403	7,39,49,552	2,71,96,114	2,52,82,706	19,13,408

परिशिष्ट VIII

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5.2 (ग) (ii)}

रिफंड के मामलों की सूची जिनमें रिफंड की प्रदानगी के लिए अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर विचार किया गया था

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	रिफंड मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	आरएफडी-01 में दावा किया गया निवल आई.टी.सी.	निवल आई.टी.सी. रिफंड के लिए विचार किए जाने योग्य	स्वीकृत रिफंड की राशि	योग्य आई.टी.सी. के अनुसार देय रिफंड की राशि	स्वीकृत अधिक रिफंड
1	डी.ई.टी.सी., गुरुग्राम (दक्षिण)	1	1,65,615	1,22,302	1,65,615	1,22,302	43,313
2	डी.ई.टी.सी., करनाल	1	29,58,974	28,04,261	4,11,849	2,72,529	1,39,320
3	डी.ई.टी.सी., पानीपत	1	18,36,002	12,93,061	15,26,052	9,83,111	5,42,941
4	डी.ई.टी.सी., सोनीपत	1	1,13,47,530	91,77,989	79,36,782	59,96,192	19,40,590
	योग	4	1,63,08,121	1,33,97,613	1,00,40,298	73,74,134	26,66,164

परिशिष्ट IX

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5.2 (ड)}

उन मामलों की सूची जिनमें समय बाधित अवधि के लिए रिफंड स्वीकृत किया गया था

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	रिफंड मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	संचित आई.टी.सी. के रिफंड का दावा किया गया	निवल आई.टी.सी. रिफंड के लिए विचार किए जाने योग्य	स्वीकृत रिफंड की राशि	योग्य आई.टी.सी. के अनुसार देय रिफंड की राशि	स्वीकृत अधिक रिफंड
1	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (दक्षिण)	1	17,17,513	0	17,17,513	0	17,17,513
2	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद पूर्व	1	21,24,537	20,94,461	21,24,537	6,51,218	14,73,319
3	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम)	2	28,83,276	0	23,01,096	0	23,01,096
4	डी.ई.टी.सी. रोहतक	1	38,12,758	22,35,500	36,89,456	19,10,444	17,79,012
5	डी.ई.टी.सी. सोनीपत	2	25,37,477	1,45,05,207	25,37,477	9,17,121	16,20,356
	योग	7	1,30,75,561	1,88,35,168	1,23,70,079	34,78,783	88,91,296

परिशिष्ट X

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5.3)

रिफंड मामलों की सूची जहां फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य के बजाय चालान मूल्य पर विचार करने के कारण अधिक रिफंड प्रदान किया गया था

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	रिफंड के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	आर.एफ.डी.-01 के अनुसार शून्य रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर	आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई./ विवरण-3 पर जीरो रेटेड सप्लाइ का टर्नओवर (एफ.ओ.बी)	स्वीकृत रिफंड	देय रिफंड	स्वीकृत अधिक रिफंड
1	डी.ई.टी.सी. अंबाला	5	15,45,48,713	14,10,46,178	2,69,83,950	2,47,94,320	21,89,630
2	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (उत्तर)	1	4,28,58,565	3,98,24,610	9,63,011	9,13,545	49,466
3	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (दक्षिण)	3	87,97,73,635	81,91,61,015	8,24,50,091	7,53,30,740	71,19,351
4	डी.ई.टी.सी. जगाधरी	1	2,98,90,516	2,63,88,418	45,20,017	40,58,684	4,61,333
5	डी.ई.टी.सी. करनाल	3	49,44,52,419	45,55,00,627	1,38,84,910	1,33,39,872	5,45,038
6	डी.ई.टी.सी. कुरुक्षेत्र	1	63,44,656	62,64,512	8,20,890	8,10,521	10,369
7	डी.ई.टी.सी. पानीपत	2	6,86,46,757	6,39,32,953	62,29,932	58,22,691	4,07,241
	योग	16	1,67,65,15,261	1,55,21,18,313	13,58,52,801	12,50,70,373	1,07,82,428

परिशिष्ट XI

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.10.5.4)

उन मामलों की सूची जिनमें केंद्रीय कर प्राधिकरण से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर/केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान की जानकारी प्राप्त नहीं हुई

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	रिफंड के मामलों की संख्या जिनमें लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से स्वीकृत रिफंड की राशि	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर से स्वीकृत रिफंड की राशि
1	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पूर्व)	13	75,16,585	12,44,920
2	डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (दक्षिण)	11	1,53,84,247	38,64,311
3	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व)	13	4,51,69,702	1,13,12,526
4	डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम)	25	9,30,07,413	2,86,73,997
5	डी.ई.टी.सी. हिसार	1	-	75,00,000
6	डी.ई.टी.सी. जगाधरी	27	53,21,684	1,11,75,687
7	डी.ई.टी.सी. कैथल	3	1,63,68,880	41,38,014
8	डी.ई.टी.सी. पंचकुला	10	1,43,92,680	87,54,581
9	डी.ई.टी.सी. पानीपत	35	5,42,10,877	2,06,96,381
10	डी.ई.टी.सी. रेवाड़ी	1	2,89,220	76,999
11	डी.ई.टी.सी. रोहतक	2	45,93,776	9,89,149
12	डी.ई.टी.सी. सोनीपत	37	12,29,02,303	10,37,96,006
	योग	178	37,91,57,367	20,22,22,571

परिशिष्ट XII

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.6.1 (i)}

2019-21 की अवधि के लिए लाइसेंस फीस की मासिक किस्तों और उन पर ब्याज की कम वसूली के विवरण

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के कार्यालय का नाम	वर्ष	जोन की संख्या	कुल लाइसेंस फीस	लाइसेंस फीस की मासिक किस्त की कम वसूली	मार्च 2021 तक लाइसेंस फीस की कम वसूली पर ब्याज की राशि
1	फरीदाबाद	2019-20	30	2,88,44,38,921	0	1,81,66,149
2	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	02	12,18,56,500	64,58,201	96,873
3	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	01	16,31,51,151	44,38,468	9,98,655
4	हिसार	2019-20	15	97,28,59,754	8,77,42,081	2,43,32,781
5	पानीपत	2019-20	08	84,84,39,841	9,00,67,611	2,73,82,876
6	रेवाड़ी	2019-20	08	75,49,78,510	5,38,69,826	1,21,12,256
7	सोनीपत	2019-20	03	15,73,00,000	0	10,45,821
	योग		67	5,90,30,24,677	24,25,76,187	8,41,35,411

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित)

परिशिष्ट XIII

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.6.1(i)}

वर्ष 2019-21 के लिए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होने के विवरण

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कार्यालय का नाम	वर्ष	जोन की संख्या	लाइसेंस फीस की राशि	लाइसेंस फीस जमा करने में विलंब (दिनों में)	ब्याज की राशि
1	फरीदाबाद	2019-20	31	1,75,30,49,382	21 से 86	4,22,97,282
2	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	6	16,70,62,734	22 से 83	32,32,439
3	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	1	11,77,50,568	21 से 133	36,15,315
4	जगाधरी	2020-21	53	86,11,36,516	16 से 113	1,70,69,299
5	करनाल	2020-21	14	17,39,09,446	16 से 46	24,27,214
6	पंचकुला	2020-21	01	3,17,51,502	18 से 78	5,46,589
7	हिसार	2019-20	13	49,77,55,337	22 से 137	1,24,69,023
8	पानीपत	2019-20	3	21,95,13,980	35 से 104	60,22,191
9	रेवाड़ी	2019-20	14	66,20,22,186	21 से 133	2,07,89,801
		2020-21	36	18,16,81,068	16 से 43	20,42,029
10	सोनीपत	2019-20	3	7,29,88,600	44 से 104	19,20,695
	योग		175	4,73,86,21,319		11,24,31,877

परिशिष्ट XIV

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.6.1 (i)}

एल-1बी.एफ. लाइसेंसधारियों के संबंध में लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के विवरण

गुरुग्राम (पूर्व)

माह	लाइसेंस फीस की राशि	जी.आर.एन. संख्या	जमा करने की तिथि	विलंब (दिनों में)	ब्याज
अप्रैल	1,84,03,027	47801369	22-मई-2019	52	4,71,924
मई	78,36,973	47801369	22-मई-2019	22	85,026
मई	1,79,37,229	48710416	25-जून-2019	56	4,95,362
मई	4,65,798	53351414	16-जुलाई-2019	77	17,688
जून	2,57,74,202	53351414	16-जुलाई-2019	46	5,84,686
जून	4,65,798	56393568	20-अगस्त-2019	81	18,606
जुलाई	2,57,74,202	56393568	20-अगस्त-2019	51	6,48,239
जुलाई	4,65,798	57115802	16-सितंबर-2019	78	17,917
अगस्त	1,27,34,202	57115802	16-सितंबर-2019	47	2,95,154
अगस्त	1,30,40,000	57226745	17-सितंबर-2019	48	3,08,673
अगस्त	4,65,798	58887695	22-अक्तूबर-2019	83	19,066
सितंबर	2,57,74,202	58887695	22-अक्तूबर-2019	52	6,60,949
सितंबर	4,65,798	59702435	13-नवंबर-2019	74	16,998
अक्तूबर	2,57,74,202	59702435	13-नवंबर-2019	44	5,59,265
अक्तूबर	4,65,798	60815149	17-दिसंबर-2019	78	17,917
नवंबर	2,57,74,202	60815149	17-दिसंबर-2019	47	5,97,397
नवंबर	4,65,798	61834962	21-जनवरी-2020	51	11,715
दिसंबर	2,57,74,202	61834962	21-जनवरी-2020	52	6,60,949
दिसंबर	4,65,798	62615151	11-फरवरी-2020	73	16,769
जनवरी	2,57,74,202	62615151	11-फरवरी-2020	42	5,33,844
जनवरी	4,65,798	62715663	11-फरवरी-2020	42	9,648
योग	25,45,63,027				60,47,792

गुरुग्राम (पश्चिम)

देय मासिक फीस	राशि	जमा करने की तिथि	लाइसेंस फीस में देरी (दिन)	ब्याज
अप्रैल	2,62,40,000	18-जून-2019	79	10,22,282
मई	2,62,40,000	10-जुलाई-2019	71	9,18,759
जून	1,30,00,000	7-अगस्त-2019	67	4,29,534
जून	1,32,40,000	16-अगस्त-2019	77	5,02,757
जुलाई	1,00,00,000	7-सितंबर-2019	69	3,40,274
जुलाई	1,62,40,000	10-सितंबर-2019	72	5,76,631
अगस्त	1,31,00,000	15-अक्तूबर-2019	76	4,90,981
अगस्त	1,31,40,000	28-अक्तूबर-2019	89	5,76,720
सितंबर	2,62,40,000	14-नवंबर-2019	75	9,70,521
अक्तूबर	1,31,25,000	6-दिसंबर-2019	67	4,33,664
अक्तूबर	1,31,25,000	9-दिसंबर-2019	70	4,53,082
नवंबर	1,31,50,000	7-जनवरी-2019	68	4,40,975
नवंबर	1,30,90,000	13-जनवरी-2019	74	4,77,695
दिसंबर	1,31,00,000	5-फरवरी-2019	67	4,32,838
दिसंबर	1,31,40,000	12-फरवरी-2019	74	4,79,520
जनवरी	1,31,40,000	15-फरवरी-2020	46	2,98,080
जनवरी	1,31,00,000	3-मार्च-2020	62	4,00,537
योग	26,24,10,000		योग	92,44,850
कुल योग	51,69,73,027			1,52,92,642

परिशिष्ट XV

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.6.1 (v)}

(क) वर्ष 2019-21 के लिए त्रैमासिक कोटा कम उठाने और पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/अवसूली को दर्शाने वाले विवरण (आई.एम.एफ.एल. और सी.एल.)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के कार्यालय का नाम	वर्ष	जोन की संख्या	पेनल्टी की राशि
1	फरीदाबाद	2019-20	33	2,36,57,545
2	गुरुग्राम (पूर्व)	2020-21	06	3,17,92,312
3	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	05	3,60,44,856
4	जगाधरी	2020-21	52	81,75,468
5	हिसार	2019-20	15	7,26,42,529
6	पंचकुला	2020-21	1	45,19,375
7	पानीपत	2019-20	14	2,61,32,022
8	रेवाड़ी	2019-20	11	1,60,86,792
		2020-21	44	3,63,709
9	सोनीपत	2020-21	21	2,93,07,257
योग			202	24,87,21,865

परिशिष्ट XV

(ख) वर्ष 2019-21 के लिए त्रैमासिक कोटा कम उठाने और पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/अवसूली को दर्शाने वाले विवरण (आई.एम.एफ.एल.)

जोन की संख्या	लाइसेंसधारी का नाम	पहली तिमाही के लिए पेनल्टी	दूसरी तिमाही के लिए पेनल्टी	तीसरी तिमाही के लिए पेनल्टी	चौथी तिमाही के लिए पेनल्टी
17	विशाल सिंगला	5,240	3,60,490	4,51,200	11,05,050
22	विशाल सिंगला	0	6,83,110	11,31,610	27,01,810
29	हरियाणा पर्यटन	7,04,236	23,07,510	50,38,050	78,82,050
37	विशाल सिंगला	76,437	5,56,360	7,15,100	17,01,000
41	विशाल सिंगला	0	16,06,440	22,94,740	44,17,930
45	हरियाणा पर्यटन	2,68,833	5,09,480	17,30,280	31,52,280
					2,09,60,120

परिशिष्ट XVI

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.7.1 (iii)}

वर्ष 2019-21 के लिए लाइसेंस के उल्लंघन की स्थिति में लगाए गए पेनल्टी की अवसूली दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कार्यालय का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	पता लगाने/प्रेषण का महीना	कलेक्टर के आदेश का माह	पेनल्टी की राशि
1	पंचकुला	2019-20	01	मई 2020	अक्टूबर 2020	33,52,600
2	जगाधरी	2019-20	13	मई 2020- फरवरी 2021	अक्टूबर 2020- अप्रैल 2021	10,86,91,639
3	करनाल	2019-20	02	मई 2020	अक्टूबर 2020	5,22,30,500
4	पानीपत	2019-20	04	मई 2020	जनवरी 2021- फरवरी 2021	7,19,66,300
		2020-21	04	मार्च 2021- मई 2021	अप्रैल 2021- जून 2021	4,14,49,814
5	सोनीपत	2019-20	03	मई 2020	अक्टूबर-नवंबर 2020	6,46,64,500
		2020-21	01	अगस्त 2020	अक्टूबर 2020	46,31,379
6	गुरुग्राम (पूर्व)	2019-20	27	मई 2020	नवंबर 2020	26,32,680
7	फरीदाबाद	2019-20	04	अप्रैल 2020	नवंबर 2020	3,64,55,700
8	रेवाड़ी	2019-20	1	मई 2020	अक्टूबर 2020	1,06,90,800
	योग		60			39,67,65,912

परिशिष्ट XVII

{संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.7.2 (i)}

2019-21 के दौरान अवैध शराब की जब्ती के विवरण

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. के कार्यालय का नाम	अवधि	पेनल्टी की बकाया राशि	मामलों की संख्या	पेनल्टी लगाने में विलंब (दिनों में)
1	फरीदाबाद	2020-21	0	-	0 से 810
2	गुरुग्राम (पश्चिम)	2019-20	20,59,200	04	शून्य
3	हिसार	2019-20	13,85,000	04	शून्य
4	पंचकुला	2020-21	0	-	88 से 1517
5	पानीपत	2019-20	25,00,000	01	30 से 510
6	सोनीपत	2019-20	23,60,450	07	0 से 660
		2020-21	12,000	01	0 से 840
	योग		83,16,650	17	

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.7.4)

वर्ष 2019-21 के लिए पुलिस अधीक्षक, सोनीपत और पानीपत के संबंध में नष्ट करने में देरी के विवरण

सोनीपत

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	नष्ट करने में देरी (माह में)
1	सोनीपत शहर	3 से 18
2	गन्नौर	1 से 25
3	खरखोदा	1 से 6
4	मोहाना	4 से 10
5	एच.एस.आई.डी.सी.	1 से 5
6	मुरथल	5 से 8
7	सदर सोनीपत	1 से 11
8	कुंडली	6 से 8
9	बड़ौदा	3 से 6
10	गोहाना सिटी	6
11	गोहाना सदर	3 से 6
12	राई	3 से 7

पानीपत

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	नष्ट करने में देरी (माह में)
1	मतलौडा	2 से 19
2	सेक्टर 29	6 से 9
3	सनोली	12 से 15
4	बापोली	3 से 21
5	सेक्टर-13/17	9 से 21
6	सदर पानीपत	1 से 20
7	किला	3 से 21
8	इसराना	2 से 11
9	पुराने उद्योग	5 से 8
10	समालखा	1 से 12
11	मॉडल टाउन	8

परिशिष्ट XIX

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.7.4)

पुलिस अधीक्षक, सोनीपत तथा पानीपत द्वारा वर्ष 2019-21 में नष्ट नहीं की गई जब्त शराब के विवरण

सोनीपत

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	शराब का अंतिम स्टॉक (बोतलों में)
1	सोनीपत शहर	888
2	गन्नौर	278
3	सिविल लाइंस	2,599.25
4	मोहाना	468
5	मुरथल	33.5
6	सदर सोनीपत	6,980
7	बड़ौदा	84
8	गोहाना सिटी	104
	योग	11,434.75

पानीपत

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	शराब का अंतिम स्टॉक (बोतलों में)
1	मतलौडा	359 + 215 लीटर लाहन
2	सेक्टर 29	16,298
3	सनोली	774
4	बापोली	138.5
5	सेक्टर 13/17	1,204
6	पानीपत सिटी	1,031
7	सदर पानीपत	943 + 4 कट्टा
8	किला	85
9	इसराना	1,257
10	पुराने उद्योग	911
11	समालखा	2,045
	योग	2,50,455 +215 लीटर लाहन + 4 कट्टा शराब
	कुल योग	35,739 +215 लीटर लाहन + 4 कट्टा शराब

परिशिष्ट XX

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.7.5)

पुलिस अधीक्षक, सोनीपत तथा पानीपत द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कलेक्टर के पास नहीं भेजी गई जब्त की गई शराब के विवरण

सोनीपत

क्र. सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	बोतल में शराब की मात्रा	₹ 50 से ₹ 500/- प्रति बोतल की दर पर पेनल्टी (₹ में)
1	सोनीपत शहर	126.5	6,325 से 63,250
2	सिविल लाइंस	436	21,800 से 2,18,000
3	कुंडली	4,556.75	2,27,838 से 22,78,375
4	गोहाना सिटी	533.25	26,663 से 2,66,625
5	सदर गोहाना	3,530	17,650 से 17,65,000
	योग	9,182.5	4,59,125 से 45,91,250

पानीपत

क्र. सं.	पुलिस स्टेशन का नाम	बोतल में शराब की मात्रा	₹ 50 से ₹ 500/- प्रति बोतल की दर पर पेनल्टी (₹ में)
1	सनोली	252	12,600 से 1,26,000
	कुल योग	9,434.5	4,71,725 से 47,17,250

परिशिष्ट XXI

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 3.4.7.6)

वर्ष 2019-20 के लिए पुलिस अधीक्षक, सोनीपत तथा पानीपत में जब्त की गई शराब (आर-19 में दर्ज नहीं) का लेखा-जोखा न रखने के विवरण

सोनीपत

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन	मामलों की संख्या	मात्रा (बोतल में)
1	गोहाना सिटी	1	27

पानीपत

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन	मामलों की संख्या	मात्रा (बोतल में)
1	पुराने उद्योग	29	506
	कुल योग	30	533

शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.आर.सी.	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
सी.बी.आई.सी.	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सी.ई.एन.बी.ए.टी.	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सी.जी.एस.टी.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सी.एल.	देशी शराब
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
एफ.आई.आर.सी.	विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र
एफ.ओ.बी.	फ्री ऑन बोर्ड
भा.स.	भारत सरकार
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
जी.एस.टी.आई.एन.	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या
जी.टी.ओ.	सकल टर्नओवर
एच.एस.वी.पी.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई.	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन

आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त सब-रजिस्ट्रार
एम.सी.	नगर निगम
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)
आर.ए.	पुनरीक्षण प्राधिकारी
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
एस.जी.एस.टी. एक्ट	राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.आर.	सब-रजिस्ट्रार
एस.एस.सी.ए.	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एस.टी.डी.	बिक्री कर विभाग
एस.टी.ओ.	राज्य कर अधिकारी
टी.डी.एन.	कर मांग सूचना
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/hi